VISIONIAS

www.visionias.in

Classroom Study Material

PT 365 - योजनाएँ (अद्यतन) Till May 15, 2017

विषय सूची

A. आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय _____ *7*

A.1. प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) _____ 7

A.2. दीन दयाल अन्त्योदय योजना /राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन _____ 7

B. वित मंत्रालय _____ *9*

B.1.नेशनल पेंशन स्कीम-NPS _____ 9

B.2. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना _____ 9

B.3. जन सुरक्षा योजना: अटल पेंशन योजना _____ 10

B.4. जन सुरक्षा योजना- प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना _____ 11

B.5. जन सुरक्षा योजना- प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना _____ 11

B.6. वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (VPBY) _____ 11

C. मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय _____ *12*

C.1. सर्व शिक्षा अभियान _____ 12

C.2. मध्याह्न भोजन योजना (मिड-डे मील स्कीम) _____ 12

C.3. पढ़े भारत बढ़े भारत _____ 12

C.4. विद्यांजली _____ 13

C.5. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) _____ 13

C.6. राष्ट्रीय आविष्कार अभियान _____ 13

C.7. भारत में बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल जेंडर एटलस _____ 14

C.8. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) _____ 14

C.9. वित्तीय साक्षरता अभियान _____ 15

C.10. उड़ान – गिविंग विंग्स टू गर्ल्स _____ 15

C.11. उन्नत भारत _____ 15

C.12. अन्य योजनाएं _____ 16

D. ग्रामीण विकास मंत्रालय _____ *17*

D.1. सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAANJHI) _____ 17

D.2.स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम _____ 17

D.3. प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना _____ 18

D.4. श्यामा प्रसाद मुख़र्जी रुर्बन मिशन (SPMRM) _____ 18

D.5. मनरेगा- महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट _____ 19

D.6. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY) _____ 20

VISION IAS

D.7. प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) ____ 20

E. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ____ *21*

E.1. सिर पर मैला ढोने की प्रथा का निषेध और इससे जुड़े लोगों के पुनर्वास संबंधी अधिनियम ____ 21

E.2. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग ____ 21

E.3. स्वच्छता उद्यमी योजना ____ 22

E.4. दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना ____ 22

E.5. सुगम्य भारत अभियान – विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग ____ 23

E.6.राष्ट्रीय वयोश्री योजना ____ 23

F. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ____ *24*

F.1. एकीकृत बाल विकास सेवा ____ 24

F.2. जेंडर बजटिंग स्कीम ____ 24

F.3.बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ____ 25

F.4. सुकन्या समृद्धि योजना - महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और वित्त मंत्रालय ____ 25

F.5. उज्जवला योजना ____ 26

F.6. महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन/ मिशन पूर्ण शक्ति ____ 26

F.7. प्रियदर्शिनी योजना (मध्य गंगा के मैदानी इलाकों में महिला सशक्तिकरण और आजीविका कार्यक्रम) ____ 26

F.8. सबला योजना या राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना ____ 27

F.9. सक्षम या राजीव गांधी किशोर सशक्तिकरण योजना ____ 27

F.10. इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना ____ 28

F.11 निर्वाचित महिला प्रतिनिधि (EWR)-प्रशिक्षण कार्यक्रम ____ 28

F.12 अन्य पहलें ____ 28

G. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ____ *29*

G.1. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ____ 29

G.2. राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन ____ 30

G.3. आशा कार्यकर्ता - राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक घटक ____ 30

G.4 राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम ____ 31

G.5 सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम ____ 31

G.6. मिशन इंद्रधनुष ____ 31

G.7 EVIN (इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क) ____ 32

G.8 स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ____ 32

VISION IAS

G.9. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY) ____ 33
G.10. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम ____ 33
G.11. जननी सुरक्षा योजना ____ 34
G.12. जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम ____ 34
G.13. मृदा संचारित कृमि (STH) संक्रमण- नेशनल डीवॉर्मिंग डे ____ 35
G.14. राष्ट्रीय आरोग्य निधि (RAN) ____ 35
G.15. अमृत कार्यक्रम ____ 36
G.16. प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना ____ 36
G.17 माँ-मदर्स एबस्लयुट अफेक्शन ____ 36
G.18 स्वास्थ्य के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रयास ____ 37
G.19 प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना ____ 37
G.20 मिशन परिवार विकास ____ 37
H. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ____ *38*
H.1. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ____ 38
H.2. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ____ 39
H.3. नीरांचल वाटरशेड प्रोग्राम ____ 40
H.4. परंपरागत कृषि विकास योजना ____ 40
H.5. राष्ट्रीय कृषि बाजार (नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट: NAM) ____ 41
H.6. कृषि विज्ञान केंद्र ____ 41
H.7. अन्य प्रमुख कृषि विस्तार कार्यक्रम ____ 42
H.8. मेरा गांव–मेरा गौरव ____ 42
H.9. राष्ट्रीय गोकुल मिशन ____ 43
I. शहरी विकास मंत्रालय ____ *44*
I.1. स्मार्ट सिटीज़ मिशन ____ 44
I.2. अमृत: अटल मिशन फॉर रेजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन ____ 45
I.3 हृदय ____ 45
I.4 स्वच्छ भारत मिशन ____ 46
J. वाणिज्य मंत्रालय ____ *47*
J.1 स्टार्ट अप इंडिया ____ 47
J.2. स्टैंड-अप इंडिया स्कीम ____ 47

VISION IAS

J.3 अन्य योजनाएं ____ 48

K. कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ____ 49

K.1. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ____ 49

K.2 प्रधान मंत्री युवा योजना ____ 49

K.3 प्रवासी कौशल विकास योजना: विदेश मामलों के मंत्रालय के परामर्श से ____ 50

L.पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ____ 51

L.1. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ____ 51

L.2. पहल ____ 51

M. ऊर्जा मंत्रालय ____ 52

M.1. उदय (उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना)- ____ 52

M.2. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ____ 52

M.3 उजाला (उन्नत ज्योति बाइ अफोर्डेबल LEDS फॉर आल (UJALA)) ____ 53

N. खेल और युवा मामलों का मंत्रालय ____ 54

N.1 स्वच्छ युग अभियान ____ 54

N.2. अन्य योजनायें ____ 54

O. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ____ 55

O.1. INSPIRE (इनोवेशन इन साइंस पर्सूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च) ____ 55

O.2. साइबर फिजिकल सिस्टम (CPS) प्रोग्राम ____ 55

O.3. अन्य योजनाएं ____ 55

P. श्रम और रोजगार मंत्रालय ____ 57

P.1. प्रधानमन्त्री रोजगार प्रोत्साहन योजना ____ 57

P.2. दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम ____ 57

Q. आयुष मंत्रालय ____ 58

Q.1. नेशनल आयुष मिशन ____ 58

Q.2. अन्य योजनायें ____ 58

R. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार मंत्रालय ____ 59

R.1. नमामि गंगा योजना ____ 59

R.2. जल क्रांति अभियान ____ 60

S. पर्यटन मंत्रालय ____ 61

S.1. स्वदेश दर्शन ____ 61

VISION IAS

S.2. प्रसाद 61

T. विविध कार्यक्रम 62

T.1. प्रगति: प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) द्वारा प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन 62

[PRAGATI: 62

T.2. अटल नवोन्मेष मिशन – नीति आयोग 62

T.3.नयी मंजिल योजना 63

T.4. उस्ताद 63

T.5. जन औषधि स्टोर्स 63

T.6 प्रोजेक्ट मौसम – संस्कृति मंत्रालय 64

T.7. सेतु भारतम – सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय 64

T.8. उड़े देश का आम नागरिक (UDAN):नागर विमानन मंत्रालय 65

T.9. सूर्यमित्र :नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 65

T.10. सम्पदा (कृषि-समुद्री प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण समूह के विकास हेतु योजना)- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 66

T.11. सागरमाला- पोत परिवहन मंत्रालय 66

T.12. प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY)- खान मंत्रालय 67

T.12.1. ताम्र (TAMRA) 67

T.13. पॉवरटेक्स- कपड़ा मंत्रालय 67

T.14.यूनीफाइड पेमेंट इंटरफेस (UNIFIED PAYMENT INTERFACE) प्रोजेक्ट 68

T.15. राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क – इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग 68

T.16. डिजिटल इंडिया- इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी विभाग 69

T.17. जीवन प्रमाण- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग 70

T.18. प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान - इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी विभाग 70

T.19. सायबर स्वच्छता केन्द्र -इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी विभाग 70

T.20. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF) 71

T.21. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना -पंचायती राज्य मंत्रालय 72

T.22. विभिन्न राज्यों की महत्वपूर्ण योजनाएं 72

VISION IAS

A. आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय

(MINISTRY: HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION)

A.1. प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)

(Pradhan Mantri Awas Yojana)

PMAY & PMAY (ग्रामीण) का मुख्य लक्ष्य → सभी के लिए वर्ष 2022 तक आवास मिशन

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• पूरे देश में 2 करोड़ घरों का निर्माण करना • 500 क्लास-1 शहरों पर प्रारंभिक रूप से ध्यान देते हुए पूरे शहरी क्षेत्र को कवर करना जिसमे 4041 वैधानिक कस्बें सम्मिलित होंगे	• BPL • देश के शहरी भागों में रहने वाले EWS (आर्थिक रूप से कमजोर समूह) एवं LIG (निम्न आय समूह) श्रेणी के लोग • मध्यम आय वर्ग (MIG- 12 लाख रुपये से लेकर 18 लाख रुपये तक की वार्षिक आय) के अन्तर्गत आने वाले लोग।	• आवास का स्वामित्व महिला के नाम अथवा उसके पति के साथ संयुक्त रूप से होगा • राज्यों को आवास निर्माण की स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नियमों में छूट दी गयी है • स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम (बस्ती पुनर्वास कार्यक्रम) के तहत प्रति आवास औसतन एक लाख रु. केन्द्रीय अनुदान के रूप में उपलब्ध होगा • यह योजना निम्नलिखित तीन चरणों में क्रियान्वित की जाएगी:- **(a) चरण-I** (April 2015 - March 2017) - राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से उनकी इच्छानुसार चुने गए 100 शहरों को कवर किया जायेगा; **(b) चरण - II** (April 2017 - March 2019) - 200 अतिरिक्त शहर कवर किये जायेंगे और **(c) चरण-III** (April 2019 - March 2022) शेष सभी शहर कवर किये जायेंगे • इस योजना के अन्तर्गत होने वाले निर्माण कार्यों की प्रगति की निगरानी हेतु **जिओ -टैगिंग** का प्रावधान किया गया है; इलेक्ट्रॉनिक पूंजी प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए **पब्लिक फाइनेंसियल मैनेजमेंट सिस्टम (PFMS)** को अपनाया गया है। निर्माण संबंधी नवीन प्रौद्योगिकियों को अपनाये जाने के लिए टेक्नोलॉजी सब-मिशन प्रारंभ किया गया है।

सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) को बढ़ावा देने हेतु आवासीय क्षेत्र को 'बुनियादी ढांचे का दर्जा' भी दिया है।

A.2. दीन दयाल अन्त्योदय योजना /राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

(Deen Dayal Antyodaya Yojana/National Urban Livelihoods Mission)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• शहरी गरीबी से संबंधित प्राथमिक मुद्दों पर केन्द्रित, जैसे- कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, उद्यमशीलता का विकास करना, शहरी गरीबों को सवैतनिक रोज़गार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना • शहरों में निवास करने वाले गरीब तथा आवास विहीन	• शहरी गरीब ✓ स्ट्रीट वेंडर ✓ झुग्गीवासी ✓ बेघर ✓ कूड़ा	• यह योजना मौजूदा 'स्वर्ण जयंती शहरी रोज़गार' योजना' का स्थान लेगी • शहरी गरीबों को स्वयं सहायता समूहों (SHGs) में संगठित करना

 ©Vision IAS

VISION IAS

लोगों को चरणबद्ध रूप से आधारभूत सुविधाओं से युक्त आश्रय स्थल उपलब्ध करवाना • शहरों में निवास करने वाले गरीब तथा आवास विहीन लोगों की आजीविका संबधित चिंताओ का निवारण करना	बीनने वाले • बेरोजगार • निःशक्तजन	• शहरी गरीबों को बाजार आधारित रोज़गार अवसरों के योग्य बनाने के लिए कौशल विकास के अवसर पैदा करना • आवासहीन शहरी लोगों सहित शहरी गरीबों को चरणबद्ध रूप से आधारभूत सुविधाओं से युक्त आश्रय प्रदान करना

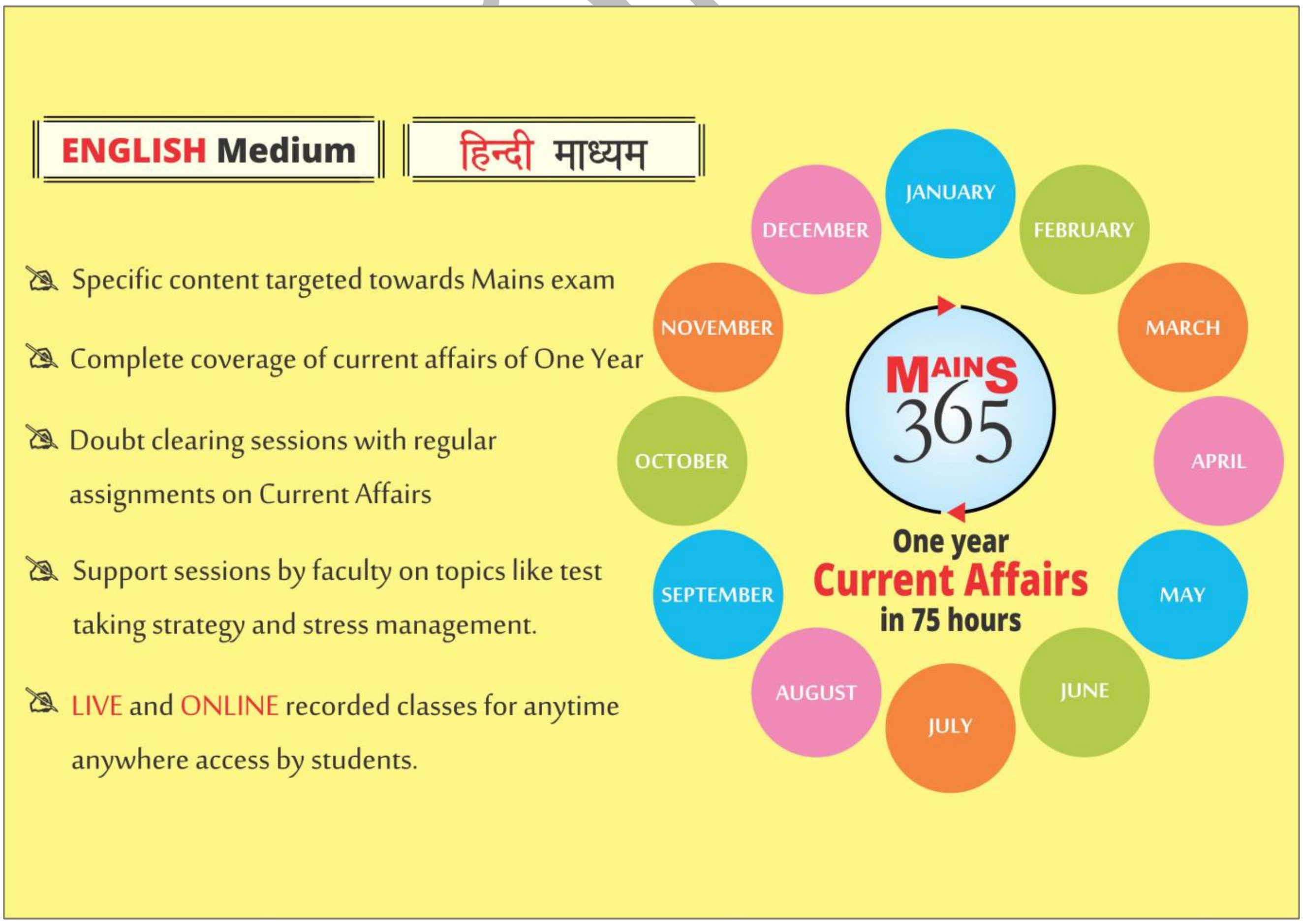

B. वित मंत्रालय

(MINISTRY OF FINANCE)

B.1.नेशनल पेंशन स्कीम-NPS

(National Pension Scheme)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• सभी नागरिकों को सेवानिवृति आय प्रदान करना • पेंशन सुधारों को संस्थागत करना और नागरिकों में सेवानिवृति संबंधी बचत की आदत डालना	• 18-60 वर्ष की आयु वाले सभी भारतीय नागरिक • टियर-1 के सभी सरकारी कर्मचारी • सभी नागरिक जैसे- निजी कर्मचारी एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिक	PFRDA द्वारा प्रशासित अंशदान योजना के रूप में परिभाषित 3 प्रकार : ✓ टियर 1 NPS एकाउंट ✓ टियर 2 NPS एकाउंट ✓ NPS - स्वावलंबन योजना • सरकार की स्वावलंबन योजना 'NPS लाइट' के सभी वर्तमान सदस्य स्वतः ही 'अटल पेंशन योजना' में स्थानांतरित हो जायेंगे। यह अब स्वावलंबन योजना का स्थान लेगी। • **साधारण:** NPS के रूप में अकाउंट खुलवाने पर एक 'स्थायी सेवानिवृति खाता संख्या (PRAN)' प्रदान की जाती है, जो कि एक अद्वितीय नंबर है और यह अभिदाता (NPS में योगदान करने वाले) के साथ आजीवन रहेगा। • **वहनीय (पोर्टेबल):** मौजूदा सभी पेंशन योजनाओं, जिसमें EPFO की योजनाएं भी सम्मिलित हैं, के विपरीत NPS सभी प्रकार के नौकरियों तथा सभी स्थानों पर सीमलेस (निर्बाध) पोर्टेबिलिटी की सुविधा प्रदान करता है। • निवेशक समग्र जोखिम को विभिन्न परिसम्पति वर्गों में बांटने के विकल्प को चुन सकते है, जिसे परिसम्पति आवंटन(asset allocation) कहा जाता है, **(e=equity, c=credit risk, securities other than government, g=government securities)** • NPS अकाउंट के बंद होने पर, निकासीयोग्य राशि में से कुल जमा राशि के केवल 40% पर टैक्स छूट दी गई है। NPS अकाउंट को बंद किए बिना इसमें से धन निकालने पर किसी प्रकार की कर छूट नहीं प्रदान की गई है।

B.2. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

(Pradhan Mantri MUDRA Yojana)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• युवाओं को रोज़गार खोजकर्ता से रोजगार सृजनकर्ता बनाना	• कोई भी भारतीय	• यह एक लघु ऋण प्राप्तकर्ता को गैर-कृषि आय उत्पादक गतिविधियों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंको, जैसे-

VISION IAS

• ऐसे उद्यमों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली के तहत लाकर तथा उन्हें सस्ते ऋण उपलब्ध कराकर "गैर-वित्तपोषित को वित्तपोषित" करना।
• सूक्ष्म इकाइयों और सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं (MFIs) का विकास एवं उन्हें पुनर्वित प्रदान करना
	नागरिक जिसके पास गैर-कृषि क्षेत्र के लिए व्यवसाय की योजना हो	PSU बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और कोआपरेटिव बैंक, निजी बैंक, विदेशी बैंक, सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं (MFIs) और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC), से 10 लाख रु. तक के ऋण प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाती है।
		• मुद्रा बैंक (माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी बैंक) द्वारा 3 प्रकार के ऋण आवंटित किए जाएंगे -
		  • शिशु : 50,000 रु तक के ऋण
		  • किशोर : 50,000 से 5 लाख तक के ऋण
		  • तरुण : 5 लाख से 10 लाख तक के ऋण
		• PMMY योजना के तहत दिए जाने वाले ऋण के लिए कोई सब्सिडी नहीं दी जाती है।
		• RBI ने बैंकों को सूक्ष्म लघु उद्यम क्षेत्र की इकाइयों को दिए गये 10 लाख रु तक के ऋणों के लिए कोलैटरल संबंधी सुरक्षा पर बल न देने का आदेश दिया है।
		• यह देश भर में उपस्थित सभी बैंकों में उपलब्ध है।
		• मुद्रा बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (NBFC), को-ओपरेटिव सोसाइटी, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आदि जैसी अंतिम स्तर तक वित्त उपलब्ध कराने वाली (लास्ट माइल फाइनेंसर्स) सभी वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वित्त प्रदान करेगा।

B.3. जन सुरक्षा योजना: अटल पेंशन योजना

(Jan Suraksha Yojana: Atal Pension Yojana)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• अंशदाता 60 वर्ष की आयु के उपरांत अपने अंशदान के आधार पर एक न्यूनतम निर्धारित पेंशन प्राप्त करेगा।	• 18 से 40 वर्ष की आयु वाले सभी भारतीय नागरिक इससे जुड़ सकते हैं। • कोई भी बैंक खाता धारक जो किसी वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना से नहीं जुड़ा है, इस योजना से जुड़ सकता है। • यह मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के नागरिकों पर केंद्रित है।	• केंद्र सरकार प्रत्येक पात्र अंशदाता को 5 वर्ष तक उसके कुल अंशदान का 50% अथवा प्रति वर्ष 1000 रु., जो भी कम हो, का सह-अंशदान करेगी। • यह योजना स्वावलंबन योजना का स्थान लेगी दृष्टव्य है की स्वालंबन योजना देश के सभी भागों में अधिक लोकप्रिय नहीं हो पायी थी। • 60 वर्ष की आयु से पूर्व इस योजना का त्याग नहीं किया जा सकता है। • योजना के लाभार्थी की मृत्यु की स्थिति में उसका जीवन साथी समान राशि की पेंशन प्राप्त करने के लिए अधिकृत होगा।

B.4. जन सुरक्षा योजना- प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना

(Jan Suraksha Yojana-Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• इस योजना का प्रमुख लक्ष्य किसी भी दुर्घटना बीमा के तहत न आने वाली जनसंख्या को 12 रु प्रति वर्ष के अत्यंत सस्ते प्रीमियम वाली इस योजना के तहत कवर करना।	• 18 से 70 वर्ष के आयु समूह के लोगों के लिए उपलब्ध। • जिनके पास बचत बैंक खाता है। • जो 31 मई को या उस से पहले, वार्षिक नवीकरण के आधार पर 1 जून से 31 मई तक की कवरेज अवधि के लिए, इससे जुड़ने और अपने खाते से ऑटो डेबिट की सुविधा के लिए सहमति देंगे।	• दुर्घटना में मौत एवं स्थायी पूर्ण विकलांगता के लिए 2 लाख रु. का जोखिम कवरेज उपलब्ध होगा। • स्थाई आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख रु. • कोई भी व्यक्ति जो इस योजना से किसी भी समय खुद को अलग कर लेता है, वह भविष्य में वार्षिक प्रीमियम चुकाकर कभी भी इससे जुड़ सकता है। • यह योजना पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज (PSGICs) तथा अन्य जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के माध्यम से प्रदान/प्रशासित की जा रही है।

B.5. जन सुरक्षा योजना- प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

(Jan Suraksha Yojana - Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• एक वर्षीय जीवन बीमा योजना • प्रति वर्ष नवीकरण • किसी भी कारण से मृत्यु के लिए कवरेज उपलब्ध कराता है	• 18 से 50 वर्ष के आयु समूह के लिए उपलब्ध	• 1 जून 2015 से इससे जुड़े लोगो के जीवन संबंधी जोखिम का कवर प्रारम्भ • 1 जून से 31 मई की अवधि के लिए प्रति वर्ष प्रति सदस्य 330 रु. के प्रीमियम पर 2 लाख रुपये का जीवन बीमा उपलब्ध होगा।

B.6. वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (VPBY)

[(Varishtha Pension Bima Yojana (VPBY)]

उद्देश्य	लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• वृद्धावस्था के दौरान सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना तथा बाजार की अनिश्चित परिस्थितियों के कारण वृद्ध व्यक्तियों को प्राप्त होने वाली ब्याज संबंधी आय में भविष्य में होने वाली गिरावट से उनकी सुरक्षा करना।	• 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के वृद्ध व्यक्ति।	• यह योजना 10 वर्षों के लिए निश्चित पेंशन प्रदान करेगी। यह पेंशन राशि 8 प्रतिशत रिटर्न की गारंटी युक्त दर पर आधारित होगी। • इसका कार्यान्वयन भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के माध्यम से किया जाएगा। • LIC द्वारा प्राप्त किये गए रिटर्न और 8% ब्याज की गारंटी के बीच अंतर के कारण होने वाली हानि की पूर्ति LIC को दी जाने वाली सब्सिडी के माध्यम से की जाएगी।

VISION IAS

C. मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय

(MINISTRY OF HUMAN RESOURCE AND DEVELOPMENT)

C.1. सर्व शिक्षा अभियान

(Sarva Shiksha Abhiyaan)

उद्देश्य	लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• प्राथमिक शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना और शिक्षा से जोड़े रखना। • शिक्षा में लैंगिक और सामाजिक वर्ग अंतरालों को भरना; और • बच्चों के सीखने के स्तर का संवर्धन करना।	6-12 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चे।	• नए विद्यालय खोलना, शौचालयों का निर्माण करना (स्वच्छ विद्यालय योजना - सभी विद्यालयों में बालिकाओं और बालकों के लिए अलग-अलग शौचालय), समय-समय पर शिक्षक प्रशिक्षण और शैक्षिक संसाधन सहायता आदि सहित विभिन्न हस्तक्षेप। • SSA के अंतर्गत उप-कार्यक्रम: ✓ 'पढ़े भारत बढ़े भारत' (PBBB) ✓ राष्ट्रीय अविष्कार अभियान (RAA) ✓ विद्यांजली ✓ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय - शैक्षिक रूप से पिछड़े विकासखंडों में बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। ✓ मध्याह्न भोजन योजना आदि।

C.2. मध्याह्न भोजन योजना (मिड-डे मील स्कीम)

(Mid-Day Meal Scheme)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
1. बच्चों के नामांकन, उन्हें विद्यालय से सम्बद्ध रखने एवं उनकी उपस्थिति को बढ़ाने के लिए 2. बच्चों में पोषण के स्तर को बढ़ाना।	• सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय के सभी बच्चे • यह योजना सरकारी सहायता प्राप्त एवं स्थानीय निकाय के विद्यालयों, शिक्षा गारंटी स्कीम (EGS) के अधीन आने वाले विद्यालयों और वैकल्पिक एवं अभिनव शिक्षा (AIE) केंद्रों के साथ-साथ सर्व शिक्षा अभियान (SSA) के तहत सहायता पाने वाले मान्यता प्राप्त एवं गैर मान्यता प्राप्त मदरसों/मकतबों के लिए भी लागू है।	• न्यूनतम 200 दिनों के लिए प्रति दिन न्यूनतम 300 कैलोरी ऊर्जा एवं 8-12 ग्राम प्रोटीन दिये जाने का प्रावधान है। • उच्च प्राथमिक स्तर के लिए 700 कैलोरी ऊर्जा एवं 20 ग्राम प्रोटीन निर्धारित है। • यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसकी लागत पूर्णतया केंद्र द्वारा वहन की जाती है। • आधार लिंकिंग; विद्यालयों एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों को लाभार्थी बच्चों के आधार नंबर संग्रहित करने के लिए कहा गया है। • हाल ही में, टीएसआर सुब्रह्मण्यम समिति ने भी माध्यमिक स्तर के छात्रों तक मिड-डे मील स्कीम का विस्तार करने की सिफारिश की है।

C.3. पढ़े भारत बढ़े भारत

(Padhe Bharat Badhe Bharat)

उद्देश्य	लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• भाषा विकास में सुधार लाने और गणित में रुचि पैदा	• अधिगम निष्पादन (लर्निंग परफॉरमेंस) में सुधार करने के लिए कक्षा 1 और 2 के	• 'पढ़े भारत बढ़े भारत' के दो घटक हैं: अर्ली रीडिंग एंड राइटिंग विथ कॉम्प्रिहेंशन(ERWC) और अर्ली

VISION

करने पर विशेष ध्यान। • अधिगम निष्पादन (लर्निंग परफॉरमेंस) में सुधार करना।	बच्चों पर ध्यान। • नेशनल रीडिंग इनिशिएटिव: कक्षा 8 तक	मैथमेटिक्स (EM)। • आगे की कार्रवाई के रूप में: नेशनल रीडिंग इनिशिएटिव को प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के बीच पढ़ने की आदत विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ किया गया था, जिससे यह कार्यक्रम कक्षा 8 तक विस्तारित किया जा सके।

C.4. विद्यांजली

(Vidyanjali)

उद्देश्य	लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• ऐसे परिवेश का सृजन करना, जहां शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान अर्जन करना और अधिगम परिणाम (लर्निंग आउटपुट) में सुधार करना हो।	• सरकारी विद्यालयों, तथा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के विद्यार्थी आदि।	• सरकारी विद्यालय में सह-शैक्षिक (co-scholastic) गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से स्वयंसेवकों को सम्मिलित करना। • इसके अंतर्गत प्रदर्शन कलाओं और जीवनोपयोगी कौशलों को भी सम्मिलित किया जाएगा।

C.5. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA)

(Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• राज्य स्तर पर उच्च शिक्षा के **नियोजित विकास** के माध्यम से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में **पहुँच, समता और गुणवत्ता** में सुधार करना। • राज्यों के योग्य उच्च शिक्षण संस्थानों को रणनीतिक फंडिंग प्रदान करना • राज्य संस्थाओं की **समग्र गुणवत्ता** में सुधार करना	• उच्च शिक्षा या कॉलेज जाने वाले छात्र • राज्य के योग्य उच्च शिक्षण संस्थान।	• सकल नामांकन अनुपात को **वर्तमान 19% से 2020 तक 30%** लाने का लक्ष्य • राज्य उच्च शिक्षा प्रणाली में **परिवर्तनकारी सुधार**: a) मानदंडों एवं मानकों तथा **मान्यता** को एक अनिवार्य गुणवत्ता निर्धारण फ्रेमवर्क के रूप में अपनाना। b) राज्य विश्वविद्यालयों में **स्वायत्तता** को बढ़ावा देना और संस्थाओं के शासन में सुधार। c) संबद्धता (affiliation), शैक्षणिक और परीक्षा प्रणाली में सुधारों को सुनिश्चित करना। d) गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना।

C.6. राष्ट्रीय आविष्कार अभियान

(Rashtriya Avishkar Abhiyan)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• अन्वेषण और तकनीक को बढ़ावा देने के लिए स्कूल आधारित ज्ञान को बाहरी क्षेत्र से	• 6-18 आयु वर्ग के छात्र	• कक्षा के भीतर एवं बाहर की गतिविधियाँ • अन्वेषणात्मक कार्यक्रमों, छात्र आदान-प्रदान, छात्र

 ©Vision IAS

जोड़ना तथा विज्ञान एवं गणित सीखने की प्रक्रिया को रोचक एवं अर्थपूर्ण गतिविधि बनाना। • जिज्ञासा, प्रयोग एवं सृजनात्मकता की भावना विकसित करना। • कक्षा से बाहर के परिवेश में विज्ञान, गणित एवं तकनीक सीखने की क्षमता को बढ़ाना।	• सरकारी स्कूल, केन्द्रीय विद्यालय, विशेष स्कूल, विशेष ट्रेनिंग केंद्र	भ्रमण, प्रदर्शनी, आदि के द्वारा विज्ञान एवं गणित सीखने के प्रति एक प्राकृतिक भावना का विकास करने हेतु विभिन्न संस्थानों जैसे IITs/ IIMs/ IISERs एवं अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों व प्रतिष्ठित संगठनों से परामर्श प्राप्त करना। • यह अनुच्छेद 51 (A) के अंतर्गत वर्णित मूल कर्तव्य "वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना के विकास" को बढ़ावा देने के लिए एक कदम है।

C.7. भारत में बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल जेंडर एटलस

(Digital Gender Atlas for Advancing Girl's Education In India)

उद्देश्य	अपेक्षितलाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
विशिष्ट लैंगिक शिक्षा संकेतकों के आधार पर विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और मुस्लिम अल्पसंख्यकों जैसे हाशिए पर स्थित समूहों की बालिकाओं के संदर्भ में निम्नस्तरीय प्रदर्शन करने वाले भौगोलिक क्षेत्रों की पहचान करने में सहायता करना।	वंचित समूहों की बालिकायें और विकलांग बालिकायें।	• लैंगिक एटलस के मुख्य घटक हैं: (i) कंपोजिट जेंडर रैंकिंग (ii)लिंग आधारित संकेतकों की प्रवृत्तियों का विश्लेषण (trend analysis) (iii) शैक्षिक संकेतकों से संबंधित सुभेद्यताएं • यह एटलस MoHRD की वेबसाइट पर अपलोड की गई है। राज्य/जिला/ प्रखंड-शिक्षा प्रशासकों या रुचि रखने वाले अन्य लोगों द्वारा इसका उपयोग किया जा सकता है। • यह एटलस विभिन्न समय अवधियों में अलग-अलग लिंग संबंधी मापदंडों के निष्पादन प्रवृत्तियों का विश्लेषण करना और उनका निरीक्षण करना संभव बनाती है। • इसे UNICEF के सहयोग से विकसित किया गया है।

C.8. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA)

[Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA)]

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच में वृद्धि करना तथा इसकी गुणवत्ता में सुधार करना। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु सभी माध्यमिक विद्यालयों को निर्धारित मानदंडों के अनुरूप बनाना, लैंगिक, सामाजिक-आर्थिक और विकलांगता संबंधी बाधाएं दूर करना तथा माध्यमिक स्तर की शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच आदि लक्ष्यों को पूरा करना।	माध्यमिक स्तर पर छात्र और विद्यालय	• इस योजना के तहत प्रदान की गई महत्वपूर्ण भौतिक सुविधाएं हैं: अतिरिक्त क्लास रूम, प्रयोगशालाएं, शौचालय खंड, दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षकों के लिए आवासीय होस्टल आदि। • इस योजना से संबंधित किये जाने वाले महत्वपूर्ण प्रयासों में शामिल है: (छात्र:शिक्षक अनुपात) PTR 30:1 तक कम करने के लिए अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति; विज्ञान, गणित और अंग्रेजी की शिक्षा तथा शिक्षकों के प्रशिक्षण आदि पर ध्यान केंद्रित करना। • इस योजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण समता मूलक प्रयास हैं: उन्नयन के लिए आश्रम विद्यालयों को प्राथमिकता, विद्यालय खोलने के लिए अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अल्पसंख्यकों के संकेंद्रण वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता आदि।

C.9. वित्तीय साक्षरता अभियान

(Vittiya Saksharata Abhiyan)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
सभी लोगों को धन के हस्तांतरण के लिए डिजिटल रूप से सक्षम कैशलेस इकॉनोमिक सिस्टम का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, जागरूकता पैदा करना तथा प्रेरित करना।	भारत के नागरिक क्योंकि: • इससे शैडो इकॉनोमी को सीमित करना तथा मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम करना संभव होगा। • यह डिजिटल कॉमर्स को सुसाध्य बनाता है • अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है।	• इसमें कैशलेस इकॉनोमी पर बल दिया गया है और उच्च शिक्षण संस्थानों की फैकल्टी से अपने परिसर को कैशलेस बनाने की अपील की गयी है। • NCC / NSS के स्वयंसेवक निकटतम बाजार में दुकानदारों, विक्रेताओं में लेनदेन के इन डिजिटल तरीकों के संबंध में जागरूकता फैलाएंगे।

डिजीशाला चैनल - लोगों को डिजिटल भुगतान के विभिन्न तरीकों के संबंध में शिक्षित करने और सूचित करने के लिए **नि:शुल्क दूरदर्शन DTH चैनल।** इसके फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्र डिजिटल रूप से साक्षर और कैशलेस इकॉनोमी के लिए तैयार होंगे।

C.10. उड़ान – गिविंग विंग्स टू गर्ल्स

(UDAAN-Giving Wings To Girls)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग की वंचित छात्राओं और अन्य विद्यार्थियों को विद्यालयी शिक्षा के उपरांत व्यावसायिक शिक्षा, विशेषकर विज्ञान और गणित की शिक्षा प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाना। • इंजीनियरिंग कॉलेजों में बालिकाओं के कम नामांकन की समस्या का समाधान करना। दृष्टव्य है कि वर्तमान में इन संस्थानों में जहां बालकों का नामांकन अनुपात 77% है, वहीं बालिकाओं का नामांकन अनुपात 23% हैं। • इसका उद्देश्य तीन आयामों - पाठ्यक्रम डिजाइन, कार्यवाही और मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करके विद्यालयी शिक्षा और इंजीनियरिंग शिक्षा प्रवेश प्रणाली के बीच गुणवत्ता अंतराल को कम करना है।	• उच्च माध्यमिक स्तर पर विद्यालय जाने वाली बालिकाएं • सामान्यत: इंजीनियरिंग क्षेत्र, जो इसके परिणामस्वरूप लैंगिक रूप से अधिक संवेदनशील होगा।	ये उद्देश्य उच्च माध्यमिक स्तर पर विज्ञान और गणित के अध्यापन और अधिगम को पूरक प्रयासों द्वारा समृद्ध बनाकर प्राप्त किये जायेंगे। CBSE विशेष प्रोत्साहन के साथ सभी विद्यार्थियों को नि:शुल्क एवं ऑनलाइन संसाधन प्रदान करेगा तथा प्रति वर्ष वंचित वर्ग की एक हजार चयनित बालिकाओं को सहायता प्रदान करेगा।

C.11. उन्नत भारत

(Unnat Bharat)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• ग्रामीण भारत की आवश्यकताओं से संबंधित अनुसंधान एवं प्रशिक्षण हेतु उच्च शिक्षा संस्थानों में **संस्थागत क्षमता (institutional capacity)** का निर्माण करना।	गाँव और उनकी आबादी	• उपयुक्त प्रौद्योगिकियों द्वारा विकास की चुनौतियों का समाधान करने हेतु IITs, NIITs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च (IISERs) इत्यादि सहित अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों को स्थानीय समुदायों से सम्बद्ध करना।

©Vision IAS

C.12. अन्य योजनाएं

(Other Schemes)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
शगुन (शाला + गुणवत्ता)	निरंतर निगरानी द्वारा भारत के प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में नवाचारों और प्रगति के अवसर सृजित करना और उनका निष्पादन करना।	• सर्व शिक्षा अभियान के लिए समर्पित वेब पोर्टल 'शगुन'। • 'शाला' का अर्थ विद्यालय और 'गुणवत्ता' का अर्थ उत्कृष्टता से है।
सारांश	विद्यालयों को छात्रों, शिक्षकों और पाठ्यक्रम में सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने की अनुमति देना।	• CBSE से संबद्ध विद्यालयों और माता-पिता के लिए स्व-समीक्षा और विश्लेषण। • <u>माता-पिता के साथ संवाद:</u> सभी निष्पादन मेट्रिक्स का संख्याओं के साथ ही चार्ट / ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शन किया जाता हैं – इससे विद्यालयों को अन्य विद्यालयों के साथ अपने प्रदर्शन की तुलना करने में सहायता मिलती है।
ईशान विकास	कुछ प्रमुख संस्थानों में इंटर्नशिप हेतु पूर्वोत्तर के इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों का चयन करना।	• प्रमुख संस्थानों में विद्यार्थियों को श्रेष्ठ प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान करता है - जैसे [IIT, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIIT) और इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च (IISER)]
ईशान उदय	पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए दस हजार नई छात्रवृत्तियां।	• चिकित्सा और पैरा मेडिकल पाठ्यक्रमों सहित सामान्य डिग्री पाठ्यक्रमों, तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
ASMITA (ऑल स्कूल मॉनिटरिंग इंडिविजुअल ट्रेसिंग एनालिसिस)	15 लाख निजी और सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 12वीं तक के लगभग 25 करोड़ छात्रों की शैक्षणिक यात्रा पर दृष्टि रखना।	• शाला अस्मिता योजना (SAY) के अंतर्गत इसका शुभारंभ किया गया। • ASMITA ऐसा ऑनलाइन डेटाबेस होगा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ छात्रों की उपस्थिति और नामांकन, लर्निंग परफॉरमेंस, मध्याह्न भोजन सेवा और अवसंरचना सुविधाओं के संबंध में जानकारी शामिल होगी। • छात्रों को उनकी आधार संख्या के माध्यम से ट्रैक किया जाएगा।
स्वयं मूक (SWAYAM MOOC)	ऐसे छात्रों के लिए डिजिटल अंतराल को समाप्त करना जो अभी तक डिजिटल क्रांति से अछूते रहे हैं और ज्ञान अर्थव्यवस्था (नॉलेज इकॉनोमी) की मुख्य धारा में सम्मिलित नहीं हो पाए हैं।	• स्वदेशी रूप से विकसित IT प्लेटफार्म जिसके द्वारा किसी भी समय, कहीं भी, किसी भी व्यक्ति को 9वीं कक्षा से लेकर स्नातकोत्तर तक पढ़ाए जाने वाले सभी पाठ्यक्रमों तक एक्सेस प्रदान की जाती है।

©Vision IAS

D. ग्रामीण विकास मंत्रालय

(MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT)

D.1. सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAANJHI)

(Saansad Adarsh Gram Yojana)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• प्रत्येक सांसद (MP) द्वारा मार्च, 2019 तक 3 आदर्श ग्रामों (मॉडल गांव) का विकास, जिसमें से एक गांव का विकास वर्ष 2016 तक पूर्ण करना। • इसके पश्चात प्रत्येक वर्ष एक गांव का चयन करते हुए वर्ष 2024 तक कुल 5 आदर्श गाँवों का विकास करना।	विशेष रूप से आदर्श ग्राम/मॉडल गांव के निवासी और सामान्य रूप से समस्त ग्रामीण आबादी	• सांसद इस योजना के मुख्य कार्यकर्ता हैं और आगे भी बने रहेंगे तथा ग्राम पंचायत इस योजना के तहत विकास की आधारभूत इकाई होगी। मैदानी भागो में इसकी जनसंख्या 3000-5000 तथा पहाड़ी, जनजातीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में 1000-3000 होनी चाहिए। • आपूर्ति-आधारित विकास मॉडल के स्थान पर मांग-आधारित विकास मॉडल को अपनाना • SAANJHI कुछ निश्चित मूल्यों के विकास पर केन्द्रित है, जैसे- ✓ लोगों की भागीदारी, ✓ अन्त्योदय, ✓ लैंगिक समता, महिलाओं का सम्मान ✓ सामाजिक न्याय, सामुदायिक सेवा की भावना ✓ स्वच्छता, इको-फ्रेंडलीनेस, पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना ✓ शान्ति एवं सौहार्द्र, आपसी सहयोग, ✓ आत्म-निर्भरता, स्थानीय स्व-शासन ✓ गाँवों एवं उनके निवासियों के सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व आदि जिससे वह दूसरों के लिए मॉडल बन सकें। • यह योजना, ग्राम विकास योजना के माध्यम से क्रियान्वित की जाएगी, जो प्रत्येक चयनित ग्राम पंचायत हेतु तैयार की जाएगी।

D.2.स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम

(Startup Village Entrepreneurship Programme)

SVEP का क्रियान्वयन NRLM के तहत होना है:

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• SVEP रूरल स्टार्ट-अप्स की निम्नलिखित तीन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता है ✓ एक नॉलेज इको-सिस्टम की अनुपस्थिति ✓ इन्क्यूबेशन इको-सिस्टम की अनुपस्थिति ✓ एक फाइनेंसियल इको-सिस्टम (वित्तीय परिवेश) की अनुपस्थिति	ग्रामीण उद्यमी	• दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की तर्ज पर इसे प्रारम्भ किया गया है; • स्वरोजगार के द्वारा आजीविका के अवसर पैदा करना; • राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत यह एक उप-योजना है; • उद्यम शुरू करने के लिए स्वंय सहायता समूहों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना; • यह प्लेसमेंट आधारित कौशलविकास पर ध्यान केंद्रित नहीं

		करता है बल्कि स्व-रोजगार के माध्यम से आजीविका प्रदान करता है।

D.3. प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना

(Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी मौसमों में सड़क संपर्क उपलब्ध कराना। • 49000 km लम्बाई की सडकों के निर्माण का वार्षिक लक्ष्य(2017)।	• सभी बसावट (हैबिटेशन) क्षेत्र जिनमें मैदानी भागों के 500 या अधिक तथा पहाड़ी राज्यों, जनजातीय एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में 250 या अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र सम्मिलित हैं।	• पूर्णतः केंद्र प्रायोजित योजना है; • हाई स्पीड डीजल पर उपकर में से 75 पैसे प्रति लीटर इस योजना हेतु निर्धारित है; • अपग्रेडेशन कार्य इस योजना का केंद्र बिंदु नहीं है; • इस कार्यक्रम की इकाई बसावट (हैबिटेशन) है न कि राजस्व ग्राम। • PMGSY कार्बन फुटप्रिंट को कम करने हेतु 'ग्रीन टेक्नोलॉजीज़' तथा गैर-परंपरागत पदार्थो का प्रयोग करने पर अत्यधिक बल देती है। इन गैर-परंपरागत पदार्थो में अपशिष्ट प्लास्टिक, कोल्ड मिक्स, जिओ-टेक्सटाइल्स, फ्लाई-ऐश, आयरन तथा कॉपर स्लैग आदि शामिल हैं।

D.4. श्यामा प्रसाद मुख़र्जी रुर्बन मिशन (SPMRM)

[Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission (SPMRM)]

(Rurban Mission)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• देश भर में वर्ष 2019-20 तक 300 **स्मार्ट गांवों के एक क्लस्टर** के विकास द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक और बुनियादी ढांचे के विकास को प्रोत्साहित करना। • <u>नागरिक सेवा केन्द्र</u> उपलब्ध करवाना जिनके माध्यम से नागरिक केन्द्रित सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी और ई-ग्राम कनेक्टिविटी, सार्वजनिक परिवहन, एलपीजी गैस कनेक्शन, कृषि प्रसंस्करण, भण्डारण सहित कृषि सेवाएं, स्वच्छता, नल-जल आपूर्ति, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन और शिक्षा उन्नयन की सुविधा उपलब्ध हो सके।	• 25000 - 50000 की जनसंख्या वाले तटीय एवं मैदानी गाँव • 5000 - 15000 की जनसंख्या वाले पहाड़ी, मरुस्थलीय एवं जनजातीय क्षेत्र।	• श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन (SPMRM) ने PURA का स्थान ग्रहण किया है; • इस प्रकार, रुर्बन मिशन वस्तुतः स्मार्ट गाँवों का एक क्लस्टर विकसित करेगा • **स्मार्ट गांव-** एक ऐसा क्षेत्र जिसमे वस्तुतः शहरी क्षेत्र की आर्थिक विशेषतायें पाई जाती हैं तथा यहाँ की जीवन शैली शहरी जीवन से प्रभावित होती है, परंतु यह क्षेत्र अपनी ग्रामीण क्षेत्र संबंधी विशेषताओं को बनाए रखता है; • इन क्लस्टरों के सर्वोत्कृष्ट स्तरीय विकास को सुनिश्चित करने के लिए इस योजना का संचालन 14 अनिवार्य घटकों के साथ किया जाएगा, जिनमें सम्मिलित हैं:- आर्थिक गतिविधियों से संबधित कौशल विकास प्रशिक्षण, डिजिटल साक्षरता, सभी उपकरणों से लैस मोबाइल हेल्थ यूनिट और गाँवों के बीच कनेक्टिविटी आदि; • ऐसे रुर्बन क्लस्टरों की फंडिंग इन क्षेत्रों में संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से की जाएगी, हालांकि इस हेतु PPP मॉडल को वरीयता दी जाएगी।

VISION IAS

D.5. मनरेगा- महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट

(Mgnrega-Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए तैयार हैं, उन्हें प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी प्रदान कर आजीविका सुरक्षा में वृद्धि करना	• ग्रामीण जनसंख्या • अकुशल श्रमिक • मौसमी बेरोजगार	• सांविधिक न्यूनतम मजदूरी पर रोजगार; • कमजोर वर्गों हेतु महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा उपाय; • कृषि अर्थव्यवस्था का सतत विकास - सूखा, वनों की कटाई एवं मृदा अपरदन, जल एवं मृदा संरक्षण, वनीकरण तथा भूमि विकास कार्यों पर ध्यान केन्द्रित करने वाले रोजगार; • मजदूरी और सामग्री में 60:40 का अनुपात बनाए रखना आवश्यक है। किसी मशीनरी के प्रयोग एवं ठेकेदारों द्वारा कार्य निष्पादन की अनुमति नहीं है; • केंद्र सरकार अकुशल शारीरिक श्रम हेतु 100 प्रतिशत मजदूरी लागत वहन करती है तथा कुशल एवं अर्द्ध कुशल श्रमिकों की मजदूरी सहित सामग्री लागत का 75 प्रतिशत वहन करती है। • मनरेगा में महिलाओं की 33 प्रतिशत (एक तिहाई) श्रम भागीदारी को सुनिश्चित किया गया है। • ग्राम सभा द्वारा सोशल ऑडिट किया जाना आवश्यक है। • सरकार ने विभिन्न राज्यों में अधिसूचित सूखा प्रभावित जिलों में प्रत्येक परिवार को 100 दिनों से अधिक एवं अधिकतम 150 दिनों तक अतिरिक्त रोजगार को मंजूरी दी है। • हाल ही में 22 राज्यों ने नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फण्ड मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से मजदूरी भुगतान प्राप्त किया। यह मनरेगा मजदूरों के आधार से जुड़े बैंक खातों में समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करता है। • जिओ-मनरेगा (GEO-MGNREGA), ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) का अद्वितीय प्रयास है। यह MoRD द्वारा इसरो, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (NRSC) एवं नेशनल इन्फोर्मेटिक्स सेंटर के सहयोग से प्रारम्भ किया गया। इसके तहत अप्रैल, 2017 तक एक करोड़ मनरेगा परिसम्पत्तियों को जिओ-टैग किया गया है।

VISION IAS

D.6. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY)

(DDU Grameen Kaushal Yojana)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
<u>औपचारिक शिक्षा एवं विपणन कौशल की कमी</u> जैसे कौशल अंतराल को समाप्त करना, जो भारत के ग्रामीण गरीबों को आधुनिक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में अवरोध उत्पन्न करता है।	• ग्रामीण युवा: 15-35 वर्ष • SC/ST/ महिला/ PCTG/PWD: 45 वर्ष तक	• **<u>गरीबों एवं सीमांत लोगों की लाभकारी योजनाओं तक पहुंच को सक्षम बनाना</u>** ✓ ग्रामीण गरीबों के लिए मांग आधारित नि:शुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना ✓ समावेशी कार्यक्रम तैयार करना ✓ प्रशिक्षण के बजाय करियर प्रोग्रेशन जॉब रिटेंशन पर ध्यान देना ✓ प्लेसमेंट पार्टनरशिप बनाने हेतु प्रोएक्टिव अप्रोच • **क्षेत्रीय फोकस** ✓ जम्मू-कश्मीर (HIMAYAT) में गरीब ग्रामीण युवाओं के लिए परियोजनाओं पर अधिक बल देना। ✓ पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित (LWE) 27 ज़िले (ROSHINI) • **3-स्तरीय कार्यान्वयन मॉडल** ✓ ग्रामीण विकास मंत्रालय की DDU-GKY राष्ट्रीय इकाई, एक नीति निर्माता, तकनीकी सहायक और सुविधा एजेंसी के रूप में काम करती है। ✓ DDU-GKY के राजकीय मिशन कार्यान्वयन सहायता प्रदान करते हैं; तथा ✓ परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियां (PIAs) कौशल प्रदान करने और रोजगार परियोजनाओं के माध्यम से कार्यक्रम का कार्यान्वयन करती हैं।

D.7. प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

[Pradhan Mantri Aawas Yojana (Gramin)]

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएँ
• पहले चरण में मार्च 2019 तक एक करोड़ भवनों का निर्माण।	लाभान्वितों का चयन सामाजिक-आर्थिक जनगणना, 2011 के आधार पर तथा ग्राम सभा के अनुमोदन से किया जाएगा।	• इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। • इस योजना तहत 1.5 से 1.6 लाख रूपए तक की न्यूनतम सहायता का प्रावधान किया गया है। साथ ही इसके अंतर्गत 70000 रूपये की अतिरिक्त राशि बैंक ऋण के रूप में प्राप्त करने का विकल्प भी उपलब्ध है। • आवास के विभिन्न प्रकारों, पर्यावरणीय खतरों और परिवार की आवश्यकताओं के विस्तृत अध्ययन के आधार पर 200 से अधिक विभिन्न आवास डिजाइनों का उपयोग किया जाएगा । • 2019 तक 5 लाख ग्रामीण राजमिस्त्रियों (Masons) को कौशल प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। • आधार से जुड़े बैंक खातों में IT/DBT के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

VISION IAS

E. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT)

E.1. सिर पर मैला ढोने की प्रथा का निषेध और इससे जुड़े लोगों के पुनर्वास संबंधी अधिनियम

(Manual Scavenging Act)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• अस्वच्छ शौचालयों को हटाना • निषेध: - ✓ मैला ढोने वालों का नियोजन ✓ सीवर और सेप्टिक टैंकों की हाथ से जोखिमपूर्ण सफाई • सिर पर मैला ढोने वालों का सर्वेक्षण और उनका पुनर्वास	• सफाई कर्मचारी • सैनिटेशन से जुड़े बेहतर कार्य प्रणालियों को अपनाने के फलस्वरूप आम जनता को स्वास्थ्य लाभ	• जम्मू और कश्मीर को छोड़कर अन्य सभी राज्यों के लिए। • सर पर मैला ढोने की प्रथा तथा अस्वच्छ शौचालयों की परिभाषा को विस्तृत कर इसमें न केवल शुष्क शौचालयों (dry toilets) बल्कि अन्य अस्वच्छ शौचालयों को भी शामिल किया गया है। • अधिनियम के तहत किए जाने वाले अपराध संज्ञेय और गैर जमानती प्रकृति के हैं और साथ ही कठोर दंड का भी प्रावधान सम्मिलित है। • केंद्र, राज्य, जिला और उप-जिला स्तरों पर सतर्कता/निगरानी समिति। • राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अन्य बातों के साथ-साथ अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी तथा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच करेगा। • इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से तीन वर्ष के भीतर खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करने के लिए शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में स्वच्छ सामुदायिक शौचालयों के निर्माण का प्रावधान।

E.2. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग

(National Commission For Safai Karamcharis:NCSK)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• एक स्वायत्त संगठन के रूप में इसका कार्य सफाई कर्मचारियों के लिए प्रारम्भ की गई विभिन्न योजनाओं का अध्ययन करना, मूल्यांकन करना तथा उनके कार्यान्वयन की निगरानी करना है। अधिनियम के प्रावधानो के उल्लंघन के संबंध में की गई शिकायतों की जांच करना तथा प्राप्त परिणामों को अपनी सिफारिशों के साथ संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष कार्रवाई हेतु प्रस्तुत करना।	• सफाई कर्मचारी • सैनिटेशन से जुड़े बेहतर कार्यप्रणाली को अपनाने के फलस्वरूप आम जनता को स्वास्थ्य लाभ	• यह राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित सांविधिक निकाय है। • यह 'कैंप' दृष्टिकोण का अनुसरण करता है • आयोग अधिनियम के कार्यान्वित नहीं होने से जुड़े मामले का स्वत: संज्ञान ले सकता है। • अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों को सुझाव देता है। • राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, चिन्हित मैनुअल स्कैवेंजर और उनके आश्रितों के पुनर्वास हेतु नोडल एजेंसी है। • सिर पर मैला ढोनेवाले लोगों के कौशल विकास हेतु दिशा निर्देश जारी करना

VISION IAS

E.3. स्वच्छता उद्यमी योजना

(Swachhta Udyami Yojana)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
स्वच्छता और सफाई कर्मचारियों और मुक्त कराए गए मैला ढोनेवालों को आजीविका प्रदान करना।	• मैला ढोने वाले लोग; • नागरिक: पर्यावरण में बेहतर स्वच्छता और कम पेथोजेनिक लोड (pathogenic load)।	• राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (*NSKFDC)* द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। • स्वच्छ भारत अभियान के उद्देश्यों को साकार करने के लिए जारी प्रयासों का समेकन करना; कचरा एकत्रित करने वाले स्वच्छता संबंधी वाहनों तथा व्यवहार्य सामुदायिक शौचालय परियोजनाओं के लिए रियायती ऋण। • उद्यम आरम्भ करने वाले सफाई कर्मचारी और चिन्हित किये गए मैला ढोने वाले व्यक्ति निर्धारित सीमा तक *4%* प्रतिवर्ष रियायती ब्याज दर पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं। महिला लाभार्थियों की स्थिति में प्रभारित ब्याज दर में *1%* की छूट दी गई है।

E.4. दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना

(Deendayal Disabled Rehabilitation Scheme:DDRS)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समान अवसर, निष्पक्षता, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए एक अनुकूल वातावरण का सृजन करना। • **निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर और अधिकार संरक्षण) अधिनियम 1995** के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को प्रोत्साहित करना।	"विकलांगता" में निम्न शामिल हैं: • दृष्टिहीनता; • अल्प दृष्टि; • उपचारित कुष्ठ रोग; • श्रवण बाधित; • लोको मोटर विकलांगता; • मानसिक मंदता; • मानसिक बीमारी;	• स्वैच्छिक कार्रवाई को बढ़ावा देना: माता-पिता/अभिभावक और स्वैच्छिक संगठनों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। • विकलांग व्यक्तियों के लिए विभिन्न सेवाओं के वितरण की सुविधा के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान उपलब्ध कराना। • दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए सभी प्रकार की आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराना। जिसमें सम्मिलित है: ✓ शीघ्र हस्तक्षेप ✓ दैनिक जीवन संबंधी कौशल का विकास और शिक्षा ✓ रोजगारोन्मुख कौशल-विकास ✓ प्रशिक्षण और जागरूकता उत्पन्न करना

VISION IAS

E.5. सुगम्य भारत अभियान – विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग

(Sugamya Bharat Abhiyan- Department Of Empowerment Of Persons With Disabilities)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
विकलांग व्यक्तियों हेतु सार्वभौमिक सुगम्यता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रव्यापी फ्लैगशिप अभियान	"विकलांगता" में निम्न शामिल हैं: • दृष्टिहीनता; • अल्प दृष्टि; • उपचारित कुष्ठ रोग; • श्रवण बाधित; • लोको मोटर विकलांगता; • मानसिक मंदता; • मानसिक बीमारी	**भाग एक: परिवेश सुगमता का निर्माण** • एक सुगम्य सरकारी इमारत वह है, जहाँ विकलांग व्यक्तियों को प्रवेश करने और उनके द्वारा सभी सुविधाओं का उपयोग करने में कोई बाधा न हो। **भाग दो: परिवहन प्रणाली सुगमता** • सभी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों, घरेलू हवाई अड्डों, प्रमुख रेलवे स्टेशनों का सुगम्यता ऑडिट कराना। **भाग तीन: सूचना और संचार परिवेश सुगमता** • सार्वजनिक टेलिविजन समाचार कार्यक्रमों की दैनिक कैप्शनिंग और संकेत भाषा व्याख्या के अनुपात को बढ़ाना। • "सुगम्य पुलिस थाना", "सुगम्य अस्पताल", "सुगम्य पर्यटन" और "सुगम्य डिजिटल इंडिया" आदि के क्षेत्र में सहयोग। • सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार के संगठनों को, सुगम्य बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अपने CSR फंड्स का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। • इस योजना के अंतर्गत सरकार विभिन्न उद्योगों द्वारा अपने कार्यस्थल को दिव्यांगो (पीडब्ल्यूडी) के अनुकूल तैयार करने के प्रयासों का आकलन करने के लिए **'इन्क्लुसिवनेस एंड एक्सेसिबिलिटी इंडेक्स'** का उपयोग करती है। • माराकेश संधि के प्रावधानों के अनुरूप , डिपार्टमेंट ऑफ़ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी (DEPwD) द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए "सुगम्य पुस्तकालय" प्रारंभ किया गया है। यह सुगम्य भारत अभियान का एक भाग है। यह प्रिंट डिसेबिलिटी वाले लोगों के लिए एक ऑनलाइन पुस्तकालय है।

E.6.राष्ट्रीय वयोश्री योजना

(Rashtriya Vayoshri Yojana)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
वरिष्ठ नागरिकों में विकलांगता की समस्या से निपटना। दृष्टव्य है कि विकलांगता से ग्रस्त वृद्धों की आबादी प्रत्येक वर्ष बढ़ रही है।	3 वर्ष की अवधि में 5,20,000 वरिष्ठ नागरिकों तक लाभ पहुँचाना।	• BPL श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों को शारीरिक सहायक सामग्री और असिस्टेड-लिविंग डिवाइसेस प्रदान करना जो कमजोर दृष्टि, बहरापन, दांत गिरना और लोकोमोटर डिसेबिलिटी आदि स्थितियों से संबंधित है , • प्रत्येक जिले में 30% लाभार्थी महिलाएं होंगी। • इस योजना के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक व्यय "वरिष्ठ नागरिक कल्याणकारी कोष" से प्रदान किया जाएगा।

VISION IAS

F. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

(MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT)

F.1. एकीकृत बाल विकास सेवा

(Integrated Child Development Services)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• छोटे बच्चों में अल्प पोषण (0-3 वर्ष के सामान्य से कम वजन के बच्चे) की समस्या को रोकना और इसे 10 प्रतिशत अंकों तक कम करना • 0-6 वर्ष के सभी बच्चों के विकास और लर्निंग आउटकम को बढ़ाना • 12 वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक छोटे बच्चों और महिलाओं में रक्ताल्पता (एनीमिया) की व्यापकता को 20 प्रतिशत तक कम करना।	छह वर्ष से कम आयु के बच्चे, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलायें।	• यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है • एक ही गांव से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और उसके सहायक की नियुक्ति • यह एक सार्वभौमिक और स्वतः चयन आधारित योजना है, इसलिए कोई भी आंगनवाड़ी केंद्र में जाकर इन सेवाओं में अपना नामांकन करवा सकता है। • छह सेवाओं का पैकेज ✓ पूरक पोषण (SNP) ✓ स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा ✓ स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा ✓ टीकाकरण ✓ स्वास्थ्य जांच सेवाएँ ✓ लाभार्थियों को रेफरल सेवाएँ • AEC-कम-क्रेच, AEC-कम-काउंसलर

F.2. जेंडर बजटिंग स्कीम

(Gender Budgeting Scheme)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
पुरुषों के समान महिलाओं तक विकास के लाभ की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं को मुख्यधारा से जोड़ना	महिला	• भारत ने औपचारिक रूप से 2005 में जेंडर रेस्पोंसिव बजटिंग (gender responsive budgeting) को अपनाया क्योंकि यह नीति जेंडर न्यूट्रल नहीं हैं बल्कि महिलाओं के विकास पर विशेष ध्यान देती है एवं इस नीति का पुरुषों और महिलाओं पर विभेदकारी प्रभाव (डिफरेंशियल इफ़ेक्ट) पड़ा हैं। • इस योजना के संबंध में, प्रत्येक वर्ष बजट में दो भागों को सूचीबद्ध किया जाता है, भाग 'A' और भाग 'B'। जहाँ भाग 'A' का सम्बन्ध महिलाओं से सम्बंधित विशिष्ट योजनाओ से है वही भाग 'B' का सम्बन्ध 'महिला केन्द्रित योजनाओं' से है। • एक एकीकृत दृष्टिकोण की शुरुआत और विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों द्वारा स्थापित लैंगिक बजटिंग प्रकोष्ठ के मार्गदर्शन के लिए लैंगिक बजटिंग की अवधारणा, उपकरण और रणनीति का प्रसार करना • कार्यशालाओं का आयोजन करना, राज्य सरकारों और पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करना और सहायता प्रदान करना

VISION IAS

		• इस योजना के तहत अनुदान में निम्न शामिल हैं: 1. अनुसंधान और प्रलेखन के लिए अनुदान 2. प्रशिक्षण के लिए अनुदान 3. सतत और संयुक्त अनुसंधान और प्रशिक्षण गतिविधियों के लिए अनुदान

F.3.बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

(Beti Bachao Beti Padhao)

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल।

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• लैंगिक पूर्वाग्रह से युक्त लिंग चयनात्मक गर्भपात को रोकना • बालिका शिशु के अस्तित्व को बचाना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना • बालिका शिशु की शिक्षा सुनिश्चित करना • इसका उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था में विद्यमान पित्रसत्तात्मक ढांचे तथा लोगों की मनोवृत्ति में परिवर्तन पर फोकस करना है। इसके अतिरिक्त जीवन के प्रत्येक चरण में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।	• न्या भ्रूण • नवजात कन्या • बालिका शिशु	• 2015 तक लगभग 50% नए कस्तूरबा गाँधी बाल विद्यालय चालू करना. • निम्न बाल लिंग-अनुपात वाले 100 जिलों में गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान तकनीक (PC&PNDT) अधिनियम का प्रवर्तन करना, जागरूकता और समर्थन अभियान तथा बहु-आयामी कार्रवाई करना। • बालिकाओं के लिए समानता और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निरंतर सामाजिक एकजुटता और संचार अभियान। • जिला/ब्लॉक/जमीनी स्तर पर अंतर-क्षेत्रीय और अंतर-संस्थागत अभिसरण सक्षम बनाना।

F.4. सुकन्या समृद्धि योजना - महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और वित्त मंत्रालय

(Sukanya Samruddhi Yojana – Ministry Of Women and Child Development And Ministry Of Finance)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• माता-पिता को अपनी बेटी के नाम पर खाता खुलवाने और और उसके कल्याण के लिए निर्धारित सीमा तक अपनी बचत का अधिकतम जमा कराने के लिए प्रेरित करना • बालिकाओं की उच्च शिक्षा व्यय की आवश्यकता को पूरा करना	10 वर्ष से कम उम्र की बालिकायें	• एक छोटी बचत योजना • सुकन्या समृद्धि खाता- इसके माध्यम से बालिकाओं की शिक्षा और विवाह के खर्च की परेशानी दूर होगी। • बालिका के दस वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, माता-पिता या कानूनी अभिभावक बालिका के नाम पर एक खाता खोल सकते हैं। • बालिका 18 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद 50% पैसा वापस निकाल सकती है, जैसे उच्च शिक्षा के लिए। • 18 वर्ष की समय सीमा निर्धारित कर देने से बाल-विवाह को रोकने में भी मदद मिलेगी। • ब्याज दर: 9.1% सालाना चक्रवृद्धि दर पर। इस वर्ष के लिए कोई आय कर नहीं। • खाता पोस्ट ऑफिस या वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से खोला जा सकता है। बालिका के 21 वर्ष की आयु पूरी होने तक खाता चालू रहेगा।

VISION IAS

F.5. उज्जवला योजना

(Ujjawala scheme)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• तस्करी की रोकथाम और बचाव, पुनर्वास, एकीकरण और वाणिज्यिक यौन शोषण के लिए तस्करी के शिकार लोगों की स्वदेश वापसी के लिए व्यापक योजना	वाणिज्यिक यौन शोषण के शिकार	• पुनर्वास केन्द्रों को आश्रय और निम्न बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है: • भोजन, वस्त्र, चिकित्सा देखभाल, कानूनी सहायता, • यदि पीड़ित एक बच्चा है तो उसके लिए शिक्षा का प्रावधान, • पीड़ितों को आजीविका के विकल्प प्रदान करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और आय सृजन गतिविधियां

F.6. महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन/ मिशन पूर्ण शक्ति

(National Mission for Empowerment of Women (NMEW) / Mission Poorna Shakti)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करना। • महिलाओं के खिलाफ हिंसा का उत्तरोत्तर उन्मूलन सुनिश्चित करना। • स्वास्थ्य और शिक्षा पर जोर देने के साथ महिलाओं का सामाजिक सशक्तीकरण सुनिश्चित करना। • कार्यक्रमों, नीतियों, संस्थागत व्यवस्था और भाग लेने वाले मंत्रालयों, संस्थाओं और संगठनों की प्रक्रियाओं में महिलाओं को मुख्यधारा में लाना। • विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत मिलने वाले लाभों की प्राप्ति के लिए के लिए अपेक्षित लाभार्थीयों में जागरूकता पैदा करना	महिलाएं महिलाओं के सशक्तिकरण के कारण ग्रामीण जनता बालिका और नवजात शिशु: महिलाओं को बेहतर सेवाओं की वजह से	• मिशन का उद्देश्य विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के तत्वावधान में महिलाओं के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी कार्यक्रमों के लिए एकल खिड़की सेवा उपलब्ध कराना है • प्रत्येक गाँव में पूर्ण शक्ति केंद्र • पूर्ण शक्ति केंद्रों पर समन्वयक **"हम सुनेंगे नारी की बात"** आदर्श वाक्य के साथ महिलाओं तक पहुँच बनायेंगे • योजनाओं के अंतर-क्षेत्र अभिसरण को सुगम बनाने के लिए अभिसरण मॉडल का उपयोग करने की कोशिश की जा रही है। • अनुसंधान गतिविधियां प्रारम्भ करना, संस्थागत ढांचे को मजबूत बनाना, सूक्ष्म ऋण और कौशल विकास के माध्यम से बालिकाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ाना

F.7. प्रियदर्शिनी योजना (मध्य गंगा के मैदानी इलाकों में महिला सशक्तिकरण और आजीविका कार्यक्रम)

(Priyadarshini (Women's Empowerment and Livelihoods Programme in the Mid Gangetic Plains) Scheme)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• आजीविका में वृद्धि • 7200 स्वयं सहायता समूहों के गठन के माध्यम से 108000	• महिलायें • महिलाओं के सशक्तिकरण के कारण ग्रामीण जनता	• उत्तर प्रदेश और बिहार में 4745 स्वयं सहायता समूह गठित किये गए हैं • सामुदायिक सेवा केन्द्र (CSCs)

VISION IAS

गरीब महिलाओं और किशोरियों के समग्र सशक्तिकरण की परिकल्पना • क्षमता निर्माण के माध्यम से महिलाओं की राजनीतिक, कानूनी और स्वास्थ्य समस्याओं को हल करना	• बालिका और नवजात शिशु → महिलाओं को बेहतर सेवाओं की वजह से	• राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) इस योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है • आय अर्जन और संबंधित गतिविधियों, उत्पादों के विपणन और सामाजिक मुद्दों आदि जैसे विषयों पर स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को प्रशिक्षण • महिला उद्यमियों को वित्तीय कार्यों के लिए, उदार शर्तों और रियायती ब्याज दर पर व्यापक ऋण सेवाओं की पेशकश की गयी है

F.8. सबला योजना या राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना

[SABLA or Rajiv Gandhi Scheme for Empowerment Of Adolescent Girls (RGSEAG)]

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• स्व-विकास और सशक्तिकरण के लिए किशोरियों को सक्षम बनाना • उनके पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना। • स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, किशोर प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य (ARSH) और परिवार एवं बच्चे की देखभाल के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना। • किशोरियों को शिक्षा, कौशल प्रदान करना और उन्हें जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार करना।	• किशोरियाँ (सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से चुने गए सभी 200 जिलों में समेकित बाल विकास योजनाओं के तहत सम्मिलित 11-18 वर्ष की किशोर बालिका)	• पोषण प्रावधान • आयरन और फोलिक एसिड पूरकता • स्वास्थ्य जांच तथा रेफरल सेवाएं • पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा • परिवार कल्याण, ARSH, बच्चे की देखभाल और गृह प्रबंधन पर मार्गदर्शन/परामर्श • गृह आधारित कौशल और जीवन कौशल का उन्नयन एवं व्यावसायिक कौशल के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम के साथ एकीकरण। • स्कूल न जाने वाली किशोरियों को औपचारिक/अनौपचारिक शिक्षा से जोड़ना। • मौजूदा सार्वजनिक सेवाओं जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, डाकघर, बैंक, पुलिस स्टेशन, आदि के बारे में जानकारी / मार्गदर्शन प्रदान करना

F.9. सक्षम या राजीव गांधी किशोर सशक्तिकरण योजना

(SAKSHAM or Rajiv Gandhi Scheme for Empowerment of Adolescent Boys)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
आत्मनिर्भर, लिंग-संवेदनशील और जागरूक नागरिक बनाने के लिए किशोर बालकों (ABS) का सर्वांगीण विकास।	11 से 18 वर्ष आयु वर्ग के सभी किशोर बालक (विद्यालय जाने वाले और विद्यालयी शिक्षा से बाहर के किशोर)	• बालकों की स्वास्थ्य यथा शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक आवश्यकताओं को संबोधित करना तथा स्वच्छता, पोषण और यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य के संबंध में जागरूकता को बढ़ावा देना। • राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम (NSDP) के माध्यम से 16 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को व्यावसायिक कौशल प्रदान करना। • एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (ICDS) के अंतर्गत संरचनात्मक इकाइयों का मंच के रूप में उपयोग किया जाएगा। इसे केंद्र और राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर बनायीं गयी समर्पित 'सक्षम' इकाई / प्रकोष्ठ द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।

VISION IAS

F.10. इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना

(Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• अल्पकालीन आय सहायता • पहले छह महीनों के लिए विशेष रूप से स्तनपान सहित इष्टतम पोषण और आहार देने के तौर-तरीकों का पालन करने के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित करना • गर्भावस्था, प्रसव और स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त तौर-तरीकों, देखरेख और संस्थागत सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना।	53 चुनिंदा जिलों में 19 वर्ष या उससे अधिक उम्र की गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पहले दो जीवित बच्चों के जन्म के लिए	• **सशर्त नकदी हस्तांतरण (CCT)**- निश्चित स्वास्थ्य और पोषण शर्तों को पूरा करने पर नकद प्रोत्साहन • **सशर्त मातृत्व लाभ (CMB)** ✓ गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को उनके स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार लाने के लिए नकद प्रोत्साहन। ✓ पहले बच्चे के प्रसव वाली स्थिति में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को वेतन के नुकसान की आंशिक रूप से क्षतिपूर्ति • लाभार्थियों को बैंक खातों या डाकघर खातों के माध्यम से 6000 रूपए का भुगतान दो किश्तों में किया जाता है।

F.11 निर्वाचित महिला प्रतिनिधि (EWR)-प्रशिक्षण कार्यक्रम

[Elected Women Representatives (Ewrs)-Training Program]

लक्ष्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
जमीनी स्तर पर महिला सरपंचों और अन्य महिला प्रतिनिधियों को इंजीनियरिंग, वित्त, सामाजिक विकास, शिक्षा , स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करना।	पंचायत स्तर पर महिला नेता।	• यह पंचायतों की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (EWR) की क्षमता निर्माण और सम्पूर्ण देश में पंचायत स्तर पर महिला नेतृत्व को प्रशिक्षण प्रदान करने वाले प्रशिक्षकों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। • यह मॉड्यूल TISS के सहयोग से WCD मंत्रालय के महिला आयोग द्वारा तैयार किया गया है।

F.12 अन्य पहलें

(Other Initiatives)

पहल	विशेषताएं
• सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वीमेन (STEP)	• दक्षता और कौशल प्रदान करना जो महिलाओं को निजी व्यवसायी तथा उद्यमी बनने में सक्षम बनाता है। • यह योजना उन महिलाओं को लाभ देने के लिए है, जो 16 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग की हैं।
• राष्ट्रीय महिला कोष (RMK)	• गरीब महिलाओं का सामाजिक-आर्थिक उत्थान करने हेतु उन्हें सूक्ष्म वित्तीय सेवाएं प्रदान करना।
• महिला पुलिस स्वयंसेवी योजना	• महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और गृह मंत्रालय की संयुक्त पहल। • संकट से घिरी महिलाओं की मदद के लिए पुलिस और समुदाय के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करना।

G. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE)

G.1. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

(National Rural Health Mission)

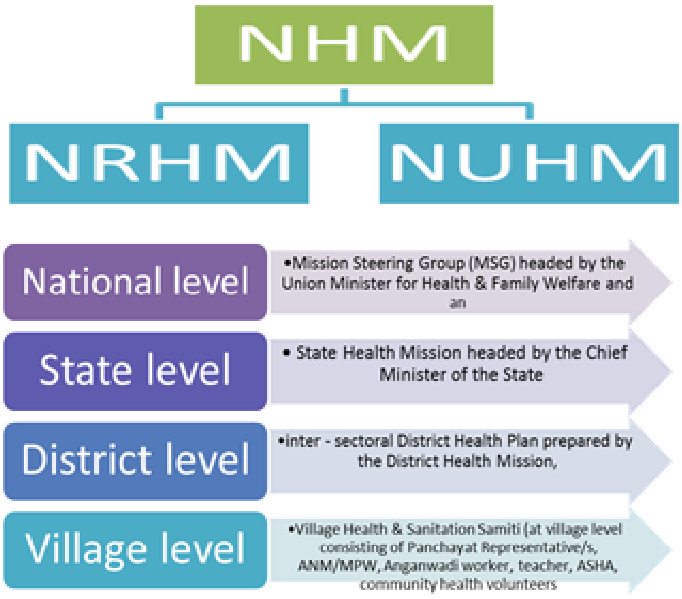

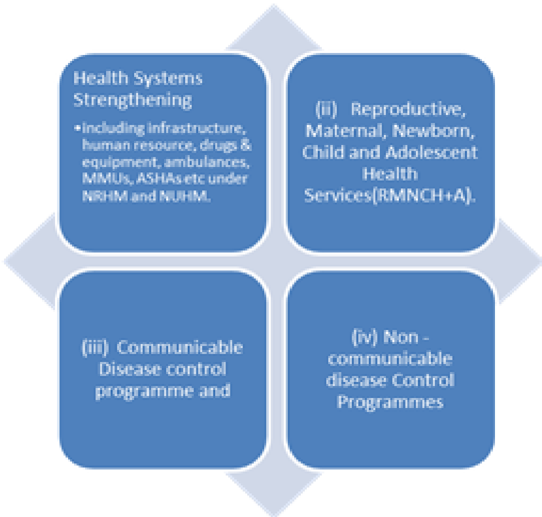

Components of NRHM

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में। • सुलभ, सस्ती, जवाबदेह और प्रभावी प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, विशेष रूप से गरीब और कमजोर वर्गों के लिए। • सभी स्तरों पर अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण(inter-sectoral convergence) के साथ एक संपूर्ण कार्यात्मक, सामुदायिक स्वामित्व वाली, विकेन्द्रीकृत स्वास्थ्य वितरण प्रणाली की स्थापना • जल, स्वच्छता, शिक्षा, पोषण, सामाजिक और लैंगिक समानता जैसे स्वास्थ्य निर्धारकों की एक विस्तृत श्रृंखला पर एक साथ कार्रवाई सुनिश्चित करना	• नवजात बच्चे • शिशु • बच्चे • किशोर • मातायें • आम जनता	**राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत के पहल:** • मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा कार्यकर्ता) • जननी सुरक्षा योजना • मोबाइल चिकित्सा इकाइयाँ • जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम • राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम • माँ और शिशु स्वास्थ्य खंड • RMNCH+A - प्रजननशील मातृ नवजात शिशु और किशोर स्वास्थ्य (Reproductive Maternal Newborn Child and Adolescent Health)। • नि:शुल्क दवाएं और मुफ्त नैदानिक सेवा • जिला अस्पताल और ज्ञान केंद्र • स्थानीय स्वास्थ्य परंपराओं को पुन: जीवित करके आयुष को मुख्य धारा में लाना • मौजूदा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (PHCs) और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (CHCs) को मजबूत बनाना और इनमें 30 से 50 बिस्तरों (बेड) का प्रावधान • प्रोत्साहन प्रदान करना: राज्यों के पूर्व प्रदर्शन तथा उनके द्वारा प्राप्त लक्ष्यों के आधार पर फंड प्रदान किया जायेगा

VISION

G.2. राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

(National Urban Health Mission)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• आवश्यक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवायें उपलब्धता सुनिश्चित कर शहरी आबादी, विशेष रूप से शहरी गरीब और झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों, की स्वास्थ्य जरूरतों की पूर्ति करना • उनके द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं पर किये जाने वाले खर्च को कम करना	• नवजात शिशु • शिशु • बच्चे • किशोर • मातायें • आम जनता • चरणबद्ध रूप से सभी राज्यों की राजधानियों, जिला मुख्यालय और अन्य शहरों/कस्बों में लागू किया जायेगा जिनकी जनसंख्या 50,000 या इससे अधिक (2011 की जनगणना के अनुसार) हैं। • 50,000 से कम आबादी वाले शहरों और कस्बों को NRHM के अंतर्गतकवर किया जाना जारी रहेगा।	• आवश्यकता आधारित शहर विशिष्ट शहरी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली • समुदाय, स्थानीय निकायों और गैर सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी • जिला स्वास्थ्य कार्य योजना • सभी राज्यों के लिए केंद्र-राज्य फंडिंग पैटर्न 75:25 रहेगा और विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 90:10 रहेगा।

G.3. आशा कार्यकर्ता - राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक घटक

(Accredited Social Health Activist (ASHA) – Part of NRHM)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• समुदाय और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करना। • अपने गांव के सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में समुदाय की भागीदारी का स्रोत होना। • ग्रामीणों और माताओं के लिए टीकाकरण, प्रसव-पूर्व जांच, प्रसव के बाद जांच, पूरक पोषण, स्वच्छता आदि सुलभ बनाना।	• नवजात बच्चे • शिशु • बच्चे • किशोर • माताएँ • आम जनता	• राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक उद्देश्य हर गांव को एक आशा कार्यकर्ता प्रदान करना है। • आबादी के वंचित वर्ग (विशेष रूप से महिलाएँ और बच्चे), जिन्हें स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करने में मुश्किल आती है किसी भी स्वास्थ्य से संबंधित जरुरत के लिए सबसे पहले आशा कार्यकर्ता के पास जाएंगे। • स्वास्थ्य और इसके सामाजिक निर्धारकों के बारे में जागरुकता उत्पन्न करना, अच्छे हेल्थ प्रैक्टिस को को बढ़ावा देना। • पोषण, स्वच्छता एवं स्वास्थ्यवर्धक व्यवहार आदि जैसे स्वास्थ्य निर्धारकों के सम्बन्ध में समुदाय को जानकारी प्रदान करना • इन्हें NUHM के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों के लिए भी चुना गया है।

औक्सिलरी नर्स मिडवाइफ(ANM) स्वास्थ्य उप-केन्द्रों पर कार्य करती हैं। ये उप-केंद्र ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी लघु संस्थान है जो समुदाय को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाए प्रदान करते है। प्रत्येक ANM की चार या पांच ASHA कार्यकर्ताओं द्वारा सहायता की जाती है। ANM स्वास्थ्य संबंधी देखभाल के क्षेत्र में ASHAs को निर्देश एवं प्रशिक्षण प्रदान करती हैं।

VISION IAS

G.4 राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम

(Rashtriya Kishor Swasthya Karyakram)

लक्ष्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• देश के किशोरों की स्वास्थ्य और विकास संबंधी आवश्यकताओं को संबोधित करना एवं उन्हें पूरा करना।	10-19 वर्ष वाले आयु वर्ग के बच्चे।	• RKSK के अंतर्गत निर्धारित छह प्रमुख क्षेत्रों- पोषण, यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य , नशाखोरी (ड्रग्स), गैर-संचारी रोग, मानसिक स्वास्थ्य, चोट और हिंसा। • यह हमउम्र शिक्षको (साथिया) के माध्यम से समुदाय आधारित प्रयास आरम्भ करता है। • **साथिया रिसोर्स किट:**, हमउम्र शिक्षको की सहायता के लिए, विशेष रूप से गांवों में संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा करने तथा सूचित तरीके (informed manner) से अपने समुदाय के किशोरों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए साथिया रिसोर्स किट।

G.5 सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम

(Universal Immunization Programme)

उद्देश्य	लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• देश भर के सभी बच्चों को 11 वैक्सीन निवारण योग्य रोगों (VPD-वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज) से सुरक्षित रखने हेतु निःशुल्क टीके उपलब्ध कराना। • प्रतिरक्षण कवरेज में तीव्रता से वृद्धि करना । • स्वास्थ्य सुविधा स्तर पर एक विश्वसनीय कोल्ड चेन सिस्टम की स्थापना करना। • वैक्सीन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। • वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज (VPD) और ऐडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन (AEFI) के लिए मजबूत निगरानी प्रणाली को सशक्त करना और उसे बनाए रखना; • UIP में नए और कम उपयोग में लिए गए वैक्सीन और टेक्नोलॉजी का उपयोग आरम्भ करना और इनके उपयोग में वृद्धि करना।	गर्भवती महिलायें और शिशु।	UIP के अंतर्गत, भारत सरकार 11 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज़ के लिए निःशुल्क टीकाकरण प्रदान कर रही है: • डिप्थीरिया, परट्यूसिस, टिटनेस, पोलियो, • खसरा (खसरा-रूबेला (MR) टीका -खसरा और रूबेला के खिलाफ दोहरी सुरक्षा के लिए एक टीका) • बाल्यावस्था TB के गंभीर रूप, • हेपेटाइटिस बी और • पूरे देश में हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी के कारण होने वाला मेनिनजाइटिस और निमोनिया; [हाल ही में निमोनिया और मेनिनजाइटिस के लिए न्यूमोकोकल कोंजूगेट वैक्सीन (PCV) लांच किया गया था।] • रूबेला, जापानी इंसेफेलाइटिस और रोटावायरस डायरिया → ये 3 केवल चयनित राज्यों में।

G.6. मिशन इंद्रधनुष

(Mission Indradhanush)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
वर्ष 2020 तक सभी बच्चों का पूर्ण टीकाकरण। टीकाकरण स्तर को	ऐसे बच्चे जिनका आंशिक टीकाकरण हुआ है अथवा टीकाकरण हुआ ही	• सार्क टीकाकरण कार्यक्रम" के तहत सभी टीके मुफ्त में उपलब्ध हैं। • इन्द्रधनुष मिशन के तहत निम्नलिखित 7 टीका निवारणीय रोगों के लिए टीकाकरण किया जाता है - डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी,

वर्तमान के 65% से 90% तक लाना।	नहीं है।	मीज़ल्स (ख़सरा) और हेपेटाइटिस-बी। • जहाँ बच्चों का टीकाकरण नहीं हो पाया है वहां पूर्ण टीकाकरण के लिए "कैच अप" अभियान। • मिशन के पहले चरण में उन 201 जिलों को लक्षित किया गया है जहाँ आंशिक रूप से प्रतिरक्षित (immunized) और गैर- प्रतिरक्षित (unimmunized) बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है। • WHO, UNICEF, रोटरी इंटरनेशनल इत्यादि द्वारा तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी। • 4 अन्य टीके अर्थात् वयस्क जापानी इन्सेफलाइटिस, रूबेला, रोटावायरस और इंजेक्टेबल पोलियो को सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा।

G.7 EVIN (इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क)

EVIN (Electronic Vaccine Intelligence Network)

लक्ष्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• समस्याओं को हल करने में राज्य सरकारों की सहायता कर टीकाकरण कवरेज में उपस्थित व्यापक असमानताओं को दूर करना ✓ अवसंरचना, ✓ निगरानी और ✓ मानव संसाधन	• दूरदराज के उन क्षेत्रों के बच्चे जहां टीके पहुंच नहीं सकते। • जिन बच्चों का आंशिक टीकाकरण हुआ है या टीकाकरण बिलकुल नहीं हुआ है। • सरकार: लागत में बचत।	• इसका उद्देश्य भारत सरकार के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम का समर्थन करना है। • यह भारत में विकसित एक स्वदेशी प्रौद्योगिकी प्रणाली है जो वैक्सीन भण्डार का डिजिटलीकरण करती है और स्मार्टफोन एप्लिकेशन के जरिए कोल्ड चेन के तापमान पर निगरानी रखती है। • यह सभी कोल्ड चेन पॉइंट्स पर वैक्सीन स्टॉक और प्रवाह तथा भंडारण तापमान से लेकर मोबाइल और वेब आधारित डैशबोर्ड का उपयोग करते हुए राज्य, जिला और स्वास्थ्य केन्द्रों में वैक्सीन स्टोरेज पॉइंट्स के सन्दर्भ में रियल टाइम जानकारी प्रदान करता है। • **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय** के साथ साझेदारी में, **UNDP** वर्तमान में 12 राज्यों में ईविन (eVIN) संचालित कर रहा है।

G.8 स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(SWACHH SWASTH SARVATRA-Ministry of Health and Family Welfare)

लक्ष्य	लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
देश भर में खुले में शौच से मुक्त 708 ब्लॉक्स में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को मजबूत करना ताकि वे सफाई और स्वच्छता के उच्च स्तर को प्राप्त करने में सक्षम हो सकें।	देश भर में खुले में शौच से मुक्त 708 ब्लॉक्स।	इस पहल के तहत पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दो पूरक कार्यक्रमों क्रमशः- स्वच्छ भारत मिशन (SBM) और कायाकल्प- की उपलब्धियों का लाभ उठाना: (a) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने 700 से ज्यादा ब्लॉक्स को खुले में शौच से मुक्त (ODF-ओपन डीफिकेशन फ्री) ब्लाक्स के रूप में घोषित किया है। स्वच्छता और आरोग्यता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए देश के ODF ब्लॉक्स में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (CHC) को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

		(NHM) के अंतर्गत 10 लाख रुपये आवटित किये जाएगे। (b) कायाकल्प के तहत, प्रत्येक जिले में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) को स्वच्छता और आरोग्यता सहित अन्य गुणवत्ता मानकों को पूरा करने के लिए सम्मानित किया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत उस जिले को खुले में शौच से मुक्त (ODF) जिला बनाने पर विशेष रूप से फोकस किया जाएगा, जिसके किसी ग्राम पंचायत के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को कायाकल्प के तहत सम्मानित किया गया हो।

G.9. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY)

(Rashtriya Swasthya Bima Yojana)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना, लाभार्थियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति और प्रशासनिक नेटवर्क के संबंध में विविधता की पहचान करना। • स्वास्थ्य बीमा योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा (BPL) से नीचे जीवनयापन कर रहे असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए विभिन्न राज्यों के सभी जिलों में चरणबद्ध तरीके से स्वास्थ्य बीमा योजनाओं की शुरूआत करना है।	• पहले, इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवनयापन करने वाले ऐसे परिवार शामिल थे जिनकी जानकारी राज्यों की जिला BPL सूची में शामिल है और जिन्होंने इस योजना के लिए नामांकन किया है। • अब, यह योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों की परिभाषित श्रेणियों को भी सम्मिलित करती है जैसे- भवन और निर्माण कामगार, स्ट्रीट वेंडर्स, घरेलू कामगार आदि।	• BPL परिवारों के लिए सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना। • IT एवं स्मार्ट कार्ड आधारित कैशलेस (नकदी रहित) स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराया जाता है, जिसके अंतर्गत प्रति परिवार प्रति वर्ष पारिवारिक फ्लोटर आधार पर कुल बीमा राशि 30,000/- रुपए निर्धारित है। • आम आदमी बीमा योजना और राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना जैसी अन्य कल्याणकारी योजनाओं को शामिल करने के लिए एक केंद्रीय स्मार्ट कार्ड जारी किया जाएगा • राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को राष्ट्रीय स्वास्थ्य गारंटी मिशन में जोड़ा जायेगा: (सार्वभौमिक बीमा, स्वास्थ्य गारंटी की अवधारणा के लिए महत्वपूर्ण है)

G.10. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

[Rashtriya Bal Swasthya Karyakram (RBSK)]

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• 4 D – जन्म के समय किसी प्रकार के विकार (**D**efects at birth), बीमारी (**D**iseases), कमी (**D**eficiencies) और विकलांगता सहित विकास में रूकावट (**D**evelopment **D**elays)	• ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी झुग्गी बस्तियों में रहने वाले 0-6 वर्ष के आयु समूह तक के सभी बच्चों को इसमें शामिल किया गया है। • 18 साल तक के बच्चे जो सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा	• यह प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य पहल (NRHM के तहत बच्चे की स्वास्थ्य जांच और *अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज* (शीघ्र हस्तक्षेप सेवाओं) का भाग है। • बीमार बच्चों को तृतीयक स्तर पर सर्जरी सहित राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएँ। • जन्मजात विकृतियों के लिए आशा कार्यकर्ता

• उचित बाल स्वास्थ्य, और बीमारियों का शीघ्र पता लगाना औएवं उनका उपचार। • नि:शुल्क उपचार तथा चिकित्सीय सहायता।	1 से 12 तक के छात्र/छात्रा हैं। • चरणबद्ध तरीके से करीब 27 करोड़ बच्चों तक पहुँच और उन्हें लाभ।	द्वारा समुदाय आधारित शिशु जाँच (शिशु की उम्र: 0-6 सप्ताह) • 6 सप्ताह से 18 वर्षों तक, मोबाइल हेल्थ टीम {जिसमें दो आयुष डॉक्टर (एक पुरुष और एक महिला), एक नर्स और एक फार्मासिस्ट शामिल होंगे} द्वारा जांच

G.11. जननी सुरक्षा योजना

(Janani Suraksha Yojana)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• गर्भवती महिलाओं के संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना • राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के **RMNCHA+** का भाग • नवजात शिशुओं को गर्भावस्था संबंधी जटिलताओं और मौतों से बचाना।	• गर्भवती महिला • नवजात शिशु	• यह राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) के तहत सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित करने का एक प्रयास है। • यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। • पात्र गर्भवती महिलायें सरकारी या मान्यता प्राप्त निजी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में बच्चे को जन्म देने पर **नकद सहायता** की हकदार हैं। भले ही माँ की उम्र और बच्चों की संख्या कुछ भी हो। • खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ गरीब गर्भवती महिलाओं पर विशेष ध्यान। • गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए आशा कार्यकर्ता के लिए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन। • घर पर होने वाले प्रसव की स्थिति में कुछ नकद सहायता भी प्रदान की जाती है।

G.12. जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम

(Janani Shishu Suraksha Karyakram)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• संस्थागत प्रसव में ज्यादा खर्च की समस्या को कम करना, जो गर्भवती महिलाओं के संस्थागत प्रसव न कराने का प्रमुख कारण है। • गर्भवती महिलाओं और बीमार नवजात शिशुओं के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना।	• गर्भवती महिला • नवजात शिशु	• इस योजना के अंतर्गत **मुफ्त सेवा प्रदान करने** पर बल दिया गया है। इसमें गर्भवती महिलाओं तथा रूग्ण नवजात शिशुओं को खर्चों से मुक्त रखा गया है। • **मुफ्त प्रसव:** इस योजना के तहत, गर्भवती महिलाओं को मुफ्त दवाएँ एवं खाद्य पदार्थ, मुफ्त इलाज, जरूरत पड़ने पर मुफ्त खून दिया जाना, सामान्य प्रसव के मामले में तीन दिनों एवं सी-सेक्शन के मामले में सात दिनों तक मुफ्त पोषाहार दिया जाता है। • इसमें घर से स्वास्थ्य केंद्र तक जाने एवं वापसी के लिए मुफ्त यातायात सुविधा प्रदान की जाती है। • यह जननी सुरक्षा योजना (JSY) के अंतर्गत गर्भवती महिला को दी जाने वाली नकद सहायता के पूरक के रूप में कार्य करता है।

G.13. मृदा संचारित कृमि (STH) संक्रमण- नेशनल डीवॉर्मिंग डे

(Soil Transmitted Helminthes (STH) Infections-NATIONAL DEWORMING DAY)

यह योजना **मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय** द्वारा संयुक्त रूप से क्रियान्वित की जा रही **है**।

उद्देश्य	अपेक्षित ला	मुख्य विशेषताएं
• मृदा संचारित कृमि (STH) संक्रमण के नियंत्रण कवेश को प्राथमिकता देना। • मृदा संचारित कृमि (STH) संक्रमण के सबसे प्रभावी और कम लागत वाले उपचार के बारे में जन जागरूकता पैदा करना। • प्रत्येक वर्ष 10 फरवरी को नेशनल डीवॉर्मिंग डे मनाया जाता है।	• 1-19 वर्ष की उम्र के बीच के सभी स्कूलपूर्व (pre-school) और स्कूल जाने योग्य बच्चों (नामांकित और गैर-नामांकित) को डी-वोर्म (De-worm) करना।	• यह स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से लागू किया जाएगा। • एलबेंडाजोल दवाएं देना; • साफ-सफाई, स्वच्छता, शौचालय का उपयोग, जूते/चप्पल पहनना, हाथ धोने जैसे तौर-तरीकों में परिवर्तन; • त्वरित एवं बेहतर डेटा संग्रहण हेतु MOHFW ने NDD ऐप विकसित की है; • STH मैपिंग करने के लिए *नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल* नोडल एजेंसी है। • इंडियन फार्माकोपिया कमीशन (IPC) किसी भी प्रतिकूल प्रभाव की निगरानी में सहायता और सहयोग कर रहा है।

G.14. राष्ट्रीय आरोग्य निधि (RAN)

(Rashtriya Arogya Nidhi)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएँ
• जानलेवा रोगों से पीड़ित, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना • किसी भी सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल/संस्थान या अन्य सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा उपचार प्राप्त करना।	• जानलेवा रोगों से पीड़ित, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले मरीज़	• RANको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। • वित्तीय सहायता 'वन टाइम ग्रांट' के रूप में दी गई है। • राष्ट्रीय आरोग्य निधि (RAN) में सहायता सीधे मरीज को प्रदान नहीं की जाती, बल्कि अस्पताल अधीक्षक को दी जाती है। सरकारी अस्पताल में इलाज करवाने पर ही सहायता दी जाती है • यह 4 विंडो के माध्यम से परिचालित होती है - रिवॉल्विंग फंड, डायरेक्ट फाइनेंसियल असिस्टेंस (प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता), स्टेट इलनेस असिस्टेंस फंड और हेल्थ मिनिस्टर्स कैंसर पेशेंट फंड।

VISION IAS

G.15. अमृत कार्यक्रम

(AMRIT program)

उद्देश्य	लक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएँ
• कैंसर और हृदय रोगों के इलाज के लिए रोगियों द्वारा किए जाने वाले व्यय को कम करना।	• कैंसर और हृदय रोगियों (गैर संचारी रोग)	• उच्च रियायती दरों पर कैंसर और हृदय रोगों की औषधियों के विक्रय हेतु अमृत फार्मेसी के नाम से रिटेल आउटलेट। • सरकार की स्वामित्व वाली HLL लाइफकेयर लिमिटेड (HLL) के साथ इस परियोजना को शुरू किया गया है, जो पूरे देश में फार्मेसियों की अमृत श्रृंखला स्थापित करने और संचालित करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है।

G.16. प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना

(Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyaan)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएँ
सुरक्षित गर्भधारण और सुरक्षित प्रसव के माध्यम से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना	गर्भवती महिला	• उच्च जोखिम वाले गर्भधारण से बचने के लिए हर महीने की 9 तारीख को लगभग 3 करोड़ गर्भवती महिलाओं को विशेष नि:शुल्क प्रसवपूर्व देखभाल प्रदान करना। • निजी क्षेत्र के डॉक्टर सरकार की इस पहल में सहयोग प्रदान करेंगे। • यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए उपलब्ध है।

G.17 माँ-मदर्स एबस्लयुट अफेक्शन

(MAA - Mother Absolute Affection)

उद्देश्य	लक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएँ
• शिशु की प्रारंभिक अवस्था में कुपोषण से बचाने के लिए स्तनपान को बढ़ावा देना तथा इससे संबंधित परामर्श प्रदान करना।	• स्तनपान कराने वाली माताएँ • स्तनपान कराने वाली मां एवं उनके पति तथा परिवार के अन्य सदस्य।	• समुदायिक जागरूकता उत्पन्न करना • आशा के माध्यम से अंतर वैयक्तिक संचार को मजबूत बनाना • सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के वितरण बिंदुओं पर स्तनपान को बढ़ावा देने हेतु विशेषज्ञ सहायता प्रदान करना • विभिन्न स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य की निगरानी करना तथा इस स्वस्थ परंपरा के लिए उन्हें पुरस्कार अथवा मान्यता प्रदान करना।

VISION IAS

G.18 स्वास्थ्य के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रयास

(IT Initiatives in Health)

उद्देश्य	लक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएँ
• अनमोल (ANMOL)		• यह एक टेबलेट / मोबाईल आधारित एप्लीकेशन है जो ANM द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों के डेटा को अपडेट करने की सुविधा प्रदान करता है। यह आधार सक्षम होगा।
• ई-रक्तकोष पहल(E-RAKTKOSH INITIATIVE)		• यह एक ब्लड बैंक प्रबंधन सूचना प्रणाली है जो भारत में सभी ब्लड बैंकों को डिजिटल माध्यम से जोड़ेगी
• किलकारी		• इसके तहत सीधे परिवार के मोबाइल फोनों पर गर्भावस्था, बच्चे के जन्म, बच्चों की देखभाल से जुड़े 72 ऑडियो संदेश गर्भावस्था की दूसरी तिमाही से लेकर बच्चे के एक वर्ष का होने तक भेजे जाते हैं।

G.19 प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना

(Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएँ
• भारत में स्वास्थ्य सुविधा की कमी वाले क्षेत्रों में चिकित्सा और नर्सिंग शिक्षा, अनुसंधान एवं क्लिनिकल केयर हेतु तृतीयक हॉस्पिटल का निर्माण करना। • यह अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के सन्दर्भ में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करेगा।		• यह विभिन्न सरकारी कॉलेजों के अतिरिक्त भारत के विभिन्न क्षेत्रों में एम्स की स्थापना करने का प्रावधान करता है। • स्वास्थ्य क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के निर्माण से संबंधित विभिन्न केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से इसे वित्त पोषित किया गया है।

G.20 मिशन परिवार विकास

(Mission Parivar Vikas)

उद्देश्य	लाभार्थियों	मुख्य विशेषताएं
• 3 या इससे अधिक TFR वाले सात उच्च फोकस राज्यों के उच्च प्रजनन दर वाले जिलों में गर्भ निरोधकों एवं परिवार नियोजन सेवाओं की पहुंच में महत्वपूर्ण वृद्धि करना। • 2025 तक 2.1 के बराबर प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन लक्ष्य की प्राप्ति।	सात उच्च फोकस प्राप्त एवं उच्च TFR वाले राज्य (उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और असम)	• इस पहल का प्रमुख रणनीतिक फोकस, सुनिश्चित सेवाएं प्रदान करने, नई प्रचार योजनाओं द्वारा, कमोडिटी सुरक्षा सुनिश्चित करने, निर्माण क्षमता (सेवा प्रदाताओं की), कड़ी निगरानी और कार्यान्वयन के साथ एक सक्षम वातावरण तैयार कर गर्भनिरोधकों तक पहुंच में सुधार पर होगा।

VISION IAS

H. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE)

H.1. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

(PM Fasal Bima Yojana)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• प्राकृतिक आपदा ,कीट और रोगों की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना I • कृषि में निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु किसानों की आय को स्थायित्व देना I • किसानों को कृषि में नवाचार एवं आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। • कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करना।	• अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलें उगाने वाले ऐसे सभी किसान इसके लाभार्थी होंगे जिनके फसल बीमा कवरेज हेतु पात्र हैं। • ऐसे भूमिहीन किसान जो किसी दूसरे की भूमि पर खेती कर रहे हों और उन्होंने संबंधित किसानों के साथ करार कर रखा हो। • ग्रामीण अर्थव्यवस्था	• एक फसल एक दर • सभी खरीफ तथा रबी फसलों के लिए क्रमशः 2% तथा 1.5% प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा। • वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के सन्दर्भ में, किसानों द्वारा केवल 5% प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा। • सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं की गई है इसलिए किसानों को किसी भी कटौती के बिना पूरी बीमा राशि देय होगी I • किसानों द्वारा दी जाने वाली प्रीमियम दरें बहुत कम हैं और शेष राशि का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा। • PMFBY अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों के लिए ऋण प्राप्तकर्ता किसानो के लिए अनिवार्य है तथा गैर-ऋण प्राप्तकर्ता किसानों के लिए स्वैच्छिक है। • उपज **हानि (Yield Losses):** प्राकृतिक अग्नि एवं तडित, तूफान, ओला-वृष्टि, चक्रवात, टाइफून, आंधी/झंझावात, हरिकेन , टोरनाडो आदि जैसे रोके न जा सकने वाले(non-preventabl) जोखिम;था बाढ़ और भूस्खलन, सूखा, सूखा अवधि, कीटों / रोगों के कारण होने वाले जोखिम को भी कवर किया जाएगा। • पोस्ट हार्वेस्ट हानियों को भी कवर किया गया है I • **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** किसानों के दावे के भुगतान में देरी को कम करने तथा फसल कटाई के आंकड़ों को एकत्रित करने एवं अपलोड करने के लिए स्मार्ट फोन का उपयोग किया जाएगा। रिमोट सेंसिंग का उपयोग फसल कटाई प्रयोगों की संख्या को कम करने के लिए किया जाएगा। • इस योजना को 'क्षेत्र दृष्टिकोण आधार' (एरिया एप्रोच बेसिस) पर क्रियान्वित किया जायेगा। • परिभाषित क्षेत्र (अर्थात्, बीमा का इकाई क्षेत्र) एक गांव या उससे अधिक क्षेत्र है जो किसी अधिसूचित फसल हेतु समान जोखिम का सामना करने वाला एक जियो-फेंस्ड/ जियो-मैप्ड क्षेत्र(Geo-Fenced/Geo- mapped region) हो सकता है।

VISION IAS

H.2. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

(Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• खेत स्तर पर सिंचाई में निवेश में एकरूपता प्राप्त करना । • सुनिश्चित सिंचाई (हर खेत को पानी) के तहत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना। • वर्ष 2016-17 के लिए 28.5 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य है। • खेतों में ही जल के उपयोग करने की दक्षता को बढ़ाना ताकि जल के अपव्यय को कम किया जा सके। • सूक्ष्म -सिंचाई और अन्य जल बचत प्रौद्योगिकियों (हर बूंद अधिक फसल) को अपनाना। जलाशयों के पुनर्भरण में वृद्धि करना तथा सतत जल संरक्षण प्रणालियों को आरम्भ करना ।	• छोटे और मध्यम किसान जो पंप सेट के माध्यम से सिंचाई वहन नहीं कर सकते है • पारिस्थितिक संवहनीयता • सूखा प्रवण क्षेत्रों के किसान	• सिंचाई के अंतर्गत 140 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र सम्मिलित करने के लिए पांच वर्ष (2015-16 से 2019 -20) की अवधि में 50,000 करोड़ के व्यय का प्रावधान। • विकेंद्रीकृत राज्य स्तरीय योजना और कार्यान्वयन संरचना, ताकि राज्य एक डिस्ट्रिक्ट इरीगेशन प्लान (DIP) और एक स्टेट इरीगेशन प्लान (SIP) का निर्माण कर सकें। • **प्रशासन**: प्रधानमंत्री सहित सभी संबंधित मंत्रालयों के केंद्रीय मंत्रियों के एक अधीन इन्टर-मिनिस्ट्रीयल नेशनल स्टीयरिंग कमिटी (NSC) का गठन। कार्यक्रम कार्यान्वयन की देखरेख हेतु नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति (National Executive Committee) का गठन किया जाएगा। • PMKSY को वर्तमान में जारी निम्न योजनाओं को सम्मिलित कर तैयार किया गया है : ✓ जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय का त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एक्सेलरेटेड इरीगेशन बेनिफिट प्रोग्राम: AIBP); ✓ भूमि संसाधन विभाग का एकीकृत जलसंभर क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम (इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम: INWMP); ✓ कृषि एवं सहकारिता विभाग के तहत नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (NMSA)। ✓ **वाटर बजटिंग** : घरेलू, कृषि और उद्योग जैसे सभी क्षेत्रों हेतु वाटर बजटिंग की जाती है। ✓ योजना के अंतर्गत खेतों के स्तर (फार्म लेवल) पर निवेश संभव होगा। अतः किसानो को घटनाक्रम का पूर्ण ज्ञान होगा तथा वे इस सम्बन्ध में अपना फीडबैक प्रदान कर सकेंगे।

Accelerated Irrigation Benefit Programme (AIBP)	PMKSY (Har Khet ko Pani)	PMKSY (Per Drop More Crop)	PMKSY (Watershed Development)
•Faster completion of ongoing Major and Medium Irrigation including National Projects	•Creation of new water sources through Minor Irrigation (both surface and ground water) •Repair, restoration and renovation of water bodies; •Strengthening carrying capacity of traditional water sources, construction rain water harvesting structures (Jal Sanchay); Jal Mandir (Gujarat); Khatri, Kuhl (H.P.); Zabo (Nagaland); Eri, Ooranis (T.N.); Dongs (Assam); Katas, Bandhas (Odisha and M.P.) •Command area development	•Promoting efficient water conveyance and precision water application devices like drips, sprinklers, pivots, rain - guns in the farm (Jal Sinchan) •Extension activities for promotion of scientific moisture conservation, Crop combination, crop alignment etc., •(ICT) interventions through NeGP -- precision irrigation technologies, on farm water management, crop alignment etc. and also to do intensive monitoring of the Scheme.	•Effective management of runoff water and improved soil & moisture conservation activities •Converging with MGNREGS •DPAP, DDP and IWDP were consolidated under this component •Cluster Approach in selection and preparation of projects

VISION IAS

H.3. नीरांचल वाटरशेड प्रोग्राम

(NEERANCHAL Watershed Program)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• PMKSY के वाटरशेड घटक को और अधिक मजबूत बनाना तथा तकनीकी सहायता प्रदान करना। • प्रत्येक खेत तक सिंचाई की पहुंच (हर खेत को पानी)। • जल का कुशल उपयोग (हर बूँद अधिक फसल)।	• छोटे और मध्यम किसान जो पंप सेट के माध्यम से सिंचाई को वहन नहीं कर सकते है; • पारिस्थितिक संवहनीयता • सूखा प्रवण क्षेत्रों के किसान	• **विश्व बैंक** समर्थित नेशनल वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। • भारत में जलसंभर और वर्षा सिंचित कृषि प्रबंधन प्रणालियों में संस्थागत परिवर्तन लाना। • ऐसी पद्धतियों का विकास करना जो यह सुनिश्चित करे कि जलसंभर कार्यक्रमों और वर्षा सिंचित सिंचाई प्रबंधन प्रणालियों पर बेहतर तरीके से फोकस किया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि ये प्रणालियां आपस में समन्वित है एवं मात्रात्मक रूप से अधिक परिणाम प्राप्त करने में सहायक हैं। • जलसंभर को बनाए रखने हेतु रणनीतियां तैयार करने में सहायता करना। परियोजना को प्राप्त होने वाली सहायता को वापस लेने के बाद भी कार्यक्रम वाले क्षेत्रों का प्रबंधन कार्य। • जल-संभर से जुड़े दृष्टिकोण तथा फॉरवर्ड लिंकेज के माध्यम से बेहतर निष्पक्षता, आजीविका और आय में मदद करने के जरिए इन चिंताओं को दूर किया जाएगा। समावेशी मंच के साथ-साथ स्थानीय लोगों की भागीदारी भी इसमें सहायक होगी।

H.4. परंपरागत कृषि विकास योजना

(Paramparagat Krishi Vikas Yojana)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• जैविक कृषि को समर्थन एवं बढ़ावा देना तथा मृदा स्वास्थ्य में सुधार करना। • उत्पादन में वृद्धि करने हेतु किसान की उर्वरकों और कृषि रसायनों पर निर्भरता में कमी करना। • उत्पादन आगत (input production) हेतु प्राकृतिक संसाधन जुटाने के लिए किसानों को प्रेरित करना। • सरकार तीन वर्षों के दौरान जैविक कृषि के तहत 10,000 क्लस्टर बनाने की योजना बना रही है जो 5 लाख एकड़ के क्षेत्र को कवर करेंगे।	• जैविक कृषि में संलग्न कृषक • पूर्वोत्तर भारत जैसे सिक्किम आदि के कृषकों को लाभ • खाद्य प्रसंस्करण उद्योग • कार्बनिक खाद्य पदार्थ - निर्यात उद्योग	• "परम्परागत कृषि विकास योजना" एक महत्वपूर्ण परियोजना *नेशनल मिशन ऑफ़ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर* (NMSA) के *साइल हेल्थ मैनेजमेंट* (SHM) का एक विस्तृत घटक है। • क्लस्टर एप्रोच: क्लस्टर एप्रोच में जैविक कृषि करने के लिए 50 या अधिक किसान 50 एकड़ भूमि वाले क्लस्टर का निर्माण करते हैं। फसल की पैदावार हेतु बीज खरीदने के लिए तथा उपज को बाजार में ले जाने के लिए प्रत्येक किसान को तीन वर्ष के लिए 20000 रु प्रति एकड़ दिया जाएगा। • पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम (PGS) और गुणवत्ता नियंत्रण: • किसान का प्रशिक्षण और ऑनलाइन पंजीकरण; • मृदा नमूना संग्रहण और परीक्षण • PGS प्रमाणीकरण के लिए जैविक विधियों, उपयोग किए गए आगतों, अनुगमन किये गए क्रॉपिंग पैटर्न, प्रयोग में लाये गए जैविक खाद और उर्वरक आदि के रूपांतरण की प्रक्रिया का दस्तावेज़ीकरण। • क्लस्टर सदस्यों के क्षेत्रों का निरीक्षण • क्लस्टर पद्धति के माध्यम से खाद प्रबंधन और जैविक

		नाइट्रोजन हार्वेस्टिंग के लिए जैविक गांव को अपनाना: ✓ एकीकृत खाद प्रबंधन (Integrated Manure Management) ✓ क्लस्टर के जैविक उत्पादों की पैकेजिंग, लेबलिंग और ब्रांडिंग

H.5. राष्ट्रीय कृषि बाजार (नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट: NAM)

(National Agriculture Market)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• प्रमाणिक मूल्य के प्रकटीकरण/खोज को बढ़ावा देना; • किसानों के लिए विक्रय और बाजारों तक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु विकल्पों में वृद्धि करना: • अगले पांच वर्षों में किसानों की आय को दोगुना करने हेतु आरम्भ की गई विभिन्न योजनाओं का एक हिस्सा।	• राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) में 585 नियंत्रित थोक बाजार। • किसान • स्थानीय व्यापारी • थोक क्रेता, प्रोसेसर • फार्म प्रोड्यूस एक्सपोर्टर • देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था	• NAM एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है I यह कृषि वस्तुओं हेतु एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार निर्माण के लिए मौजूदा APMCs और अन्य बाजार स्थलों को जोड़ने का प्रयास करता है। NAM एक "आभासी" बाजार है लेकिन साथ ही इसका एक भौतिक बाजार (मंडी) भी है। • स्माल फार्मर्स एग्रीबिज़नेस कंसोर्टियम (SAFC) को इस राष्ट्रीय ई-प्लेटफॉर्म के कार्यान्वयन करने हेतु प्रमुख एजेंसी के रूप में चुना गया है। • केंद्र सरकार राज्यों को नि:शुल्क सॉफ्टवेयर प्रदान करेगीI इसके साथ ही संबंधित उपकरणों और अवसंरचना संबंधी आवश्यकताओं हेतु प्रत्येक मंडी या बाजार या निजी मंडियों को 30 लाख रुपये तक की अनुदान राशि दी जाएगीI • 8 राज्यों से 21 मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ दिया गया हैI 200 मंडियों को पांच महीनों के अन्दर और 585 मंडियों मार्च 2018 तक जोड़ा जाएगा। • मंडी / बाजार में स्थानीय व्यापारी के लिए, NAM द्वितीयक व्यापार हेतु एक अपेक्षाकृत बड़े राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचने का अवसर प्रदान करता है। • थोक क्रेता, प्रोसेसर, निर्यातक आदि NAM प्लेटफार्म के माध्यम से स्थानीय मंडी / बाजार स्तर पर व्यापार में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने में सक्षम होते हैं जिससे उनकी मध्यस्थता लागत कम होने से लाभ होगा। • राज्यों की सभी प्रमुख मंडियों के NAM में क्रमिक एकीकरण से लाइसेंस जारी करने की सामान्य प्रक्रिया, शुल्क अधिरोपन तथा उपज की अधिक गतिशीलता सुनिश्चित होगी।

H.6. कृषि विज्ञान केंद्र

(Krishi Vigyan Kendras :KVK)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• कृषि में विस्तार के लिए एक मत्वपूर्ण भूमिका निभाना तथा किसानों की प्रौद्योगिकी संबंधी आवश्यकताओं को संबोधित करने हेतु	ग्रामीण युवा, महिला किसान तथा किसान (कौशल विकास प्रशिक्षण)	• भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने देश में 642 कृषि विज्ञान केंद्र (KVKs) का एक नेटवर्क बनाया है। • डायरेक्टरेट ऑफ़ एक्सटेंशन इन द स्टेट यूनिवर्सिटीज भी KVKs को इनकी गतिविधियों में सहायता प्रदान करता है। • KVKs ग्रामीण युवाओं, महिला किसानों और किसानों के कौशल

VISION IAS

सिंगल विंडो मैकेनिज्म के रूप में कार्य करना; • अवस्थिति विशिष्ट प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करना; • शोध एवं विस्तार तथा किसानों के मध्य भी एक कड़ी के रूप में कार्य करना।		विकास प्रशिक्षण पर अत्यधिक बल देते हैं। • KVKs बीज, रोपण सामग्री और जैव उत्पाद आदि जैसे नवीनतम तकनीकी संबंधी आगत प्रदान करते हैं। • KVKs, किसानों को क्लाइमेट रिज़िल्यन्ट (climate resilient) प्रौद्योगिकियों सहित समयानुकूल फसल (timely crop)/ उद्यम संबंधित सिफारिशों की सलाह देता है। • KVKs जिला कृषि-पारिस्थितिक तंत्र से उत्पन्न होने वाली समस्याओं की पहचान करते हैं तथा उनका समाधान करते हैं। साथ ही ये नवाचारों को पूर्णतया अपनाने का मार्ग प्रशस्त करने हेतु स्थापित किये जाते हैं।

H.7. अन्य प्रमुख कृषि विस्तार कार्यक्रम

(Other Major Agricultural Extension Programmes)

एग्री-क्लिनिक एंड एग्री-बिज़नस सेंटर :

- देश भर में चिन्हित नोडल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से चयनित योग्य अभ्यर्थियों को दो महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है।

1. **किसान कॉल सेंटर (KCCs):**

- टोल फ्री टेलीफोन लाइनों के माध्यम से कृषि संबंधी जानकारी प्रदान करता है
- किसानों के प्रश्नों के उत्तर 22 स्थानीय भाषाओं में दिए जाते हैं।

2. **प्रदर्शनी और मेले:**

- DAC के सहयोग से कृषि के विकास से सम्बंधित सूचना का प्रचार करने हेतु राज्य कृषि विश्वविद्यालयों /ICAR संस्थानों द्वारा क्षेत्रीय कृषि मेलों का आयोजन किया जाता है।

3. **एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी (ATMA)**
4. **इनफार्मेशन एंड टेक्नोलॉजी (ICT) इंटरवेंशन्स:**

- महत्वपूर्ण पोर्टल्स में SEEDNET, DACNET, AGMARKNET, RKVY, ATMA, NHM, INTRADAC, NFSM और APY सम्मिलित हैं।

H.8. मेरा गांव–मेरा गौरव

(Mera Gaon-Mera Gaurav)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• वैज्ञानिक द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार गांवों का चयन करना; इन चयनित गांवों के संपर्क में बने रहना; तथा व्यक्तिगत यात्राओं के माध्यम से या टेलीफोन पर किसानों को निर्धारित समय-सीमा में तकनीकी एवं अन्य संबंधित पहलुओं पर जानकारी प्रदान करना।	• जमीनी स्तर का अनुभव रखने वाले वैज्ञानिक • 'लैब टू लैंड' विस्तार सेवा प्राप्त करने वाले किसान	• इस योजना में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के विभिन्न केंद्रों और संस्थानों में कार्यरत 6,000 वैज्ञानिक सम्मिलित हैं तथा 15,000 से अधिक वैज्ञानिक राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के साथ कार्यरत हैं। • इन संस्थानों और विश्वविद्यालयों में चार बहु-विषयक वैज्ञानिकों के समूहों का गठन किया जाएगा। • प्रत्येक समूह अधिकतम 100 किलोमीटर के दायरे के भीतर पांच गांवों को "गोद" लेगा । • वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र (KVKs) और कृषि प्रौद्योगिकी

VISION IAS

		प्रबंधन एजेंसी (ATMA) की सहायता से कार्य कर सकते हैं।

H.9. राष्ट्रीय गोकुल मिशन

(National Gokul Mission)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• स्वदेशी नस्लों का विकास एवं संरक्षण करना तथा साथ ही उनकी उत्पादकता में वृद्धि करना; • स्वदेशी पशुओं की नस्लों हेतु नस्ल सुधार कार्यक्रम (breed improvement programme) आरम्भ करना ताकि उनमे आनुवांशिक सुधार किया जा सके तथा पशुधन में वृद्धि हो सके; • दुग्ध उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि; • गिर, साहिवाल, राठी, देउनी, थारपारकर, रेड सिंधी जैसी सर्वोत्कृष्ट स्वदेशी नस्लों का उपयोग करते हुए नॉन-डिस्क्रिप्ट (nondescript) पशुओं को अपग्रेड करना।	• आनुवंशिक उन्नयन (अपग्रेडेड जेनेटिक्स) वाले भारतीय पशुधन • अतिरिक्त आय वाले किसान	• राष्ट्रीय गोकुल मिशन, नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग एंड डेरी डेवलपमेंट (National Programme for Bovine Breeding and Dairy Development) के तहत एक महत्वपूर्ण परियोजना है। • स्वदेशी नस्लों के देशी प्रजनन प्रदेशों में इंटीग्रेटेड इंडिजेनस कैटल सेंटर(Integrated Indigenous Cattle Centres) या गोकुल ग्राम की स्थापना। • व्यावसायिक कृषि प्रबंधन और बेहतर पोषण के माध्यम से भारत की स्वदेशी नस्लों की उत्पादकता को बढ़ाना । • प्राकृतिक सेवा हेतु रोगमुक्त उच्च आनुवंशिक गुण वाले साँडो का वितरण।

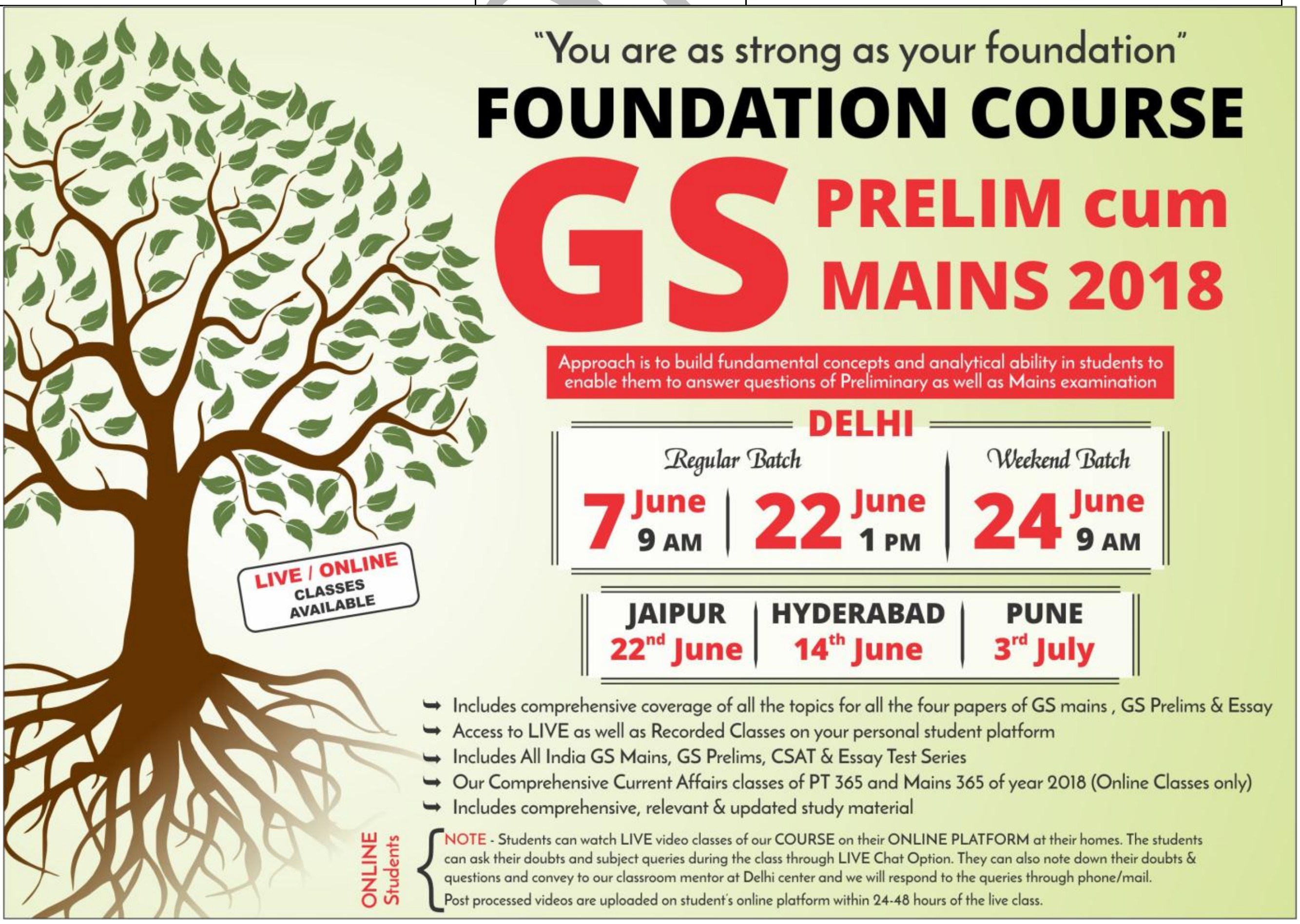

I. शहरी विकास मंत्रालय

(MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT)

I.1. स्मार्ट सिटीज़ मिशन

(Smart Cities Mission)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएँ
• आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए • निम्नलिखित हेतु केंद्र (साइट) बनाने के लिए ✓ उत्पादन ✓ दक्षता ✓ उपभोग ✓ निवास योग्य सतत स्थान (अपशिष्ट प्रबंधन आदि) • क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए • क्षेत्र आधारित विकास में मिश्रित भूमि उपयोग को बढ़ावा देने के लिए • आवास निर्माण और समावेशन	शहरी आबादी	• वर्तमान योजना: इस वर्ष 20 शहरों तथा आने वाले दो वर्षों में हर वर्ष 40 शहरों का चयन किया जाएगा। योजना में राज्यों को 'सिटी चैलेंज कम्पटीशन' हेतु शहरों का नामांकन करने के लिए कहा जाता है। चयनित शहरों को 5 वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष 100 करोड़ रुपये के हिसाब से केंद्रीय निधियन प्रदान किया जाएगा। • स्मार्ट सिटी प्लान एक स्पेशल पर्पस व्हीकल (SPV) द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। इस SPV में राज्यों / संघ शासित प्रदेशों और ULBs की 50:50 की इक्विटी होगी। ✓ क्षेत्र आधारित विकास ✓ प्रदान की गई बुनियादी सेवाएं: i. जल की पर्याप्त आपूर्ति, ii बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, iii ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित स्वच्छता (सैनिटेशन) व्यवस्था • मॉडल स्मार्ट शहरों की प्रतिकृतिता (Replicability) और स्केलेबिलिटी (Scalability) • विशिष्ट जरूरतों के अनुरूप ढालते हुए स्थानीयकृत (localised) बनाया गया है जैसे: रोजगार, विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए DMIC के आसपास विकास; वित्तीय सेवाओं आदि के लिए GIFT सिटी, कोच्चि स्मार्ट सिटी - आईटी सिटी; • सततता : नवीकरणीय ऊर्जा; कुशल और इंटेलीजेंट ट्रांसपोर्टेशन। उदाहरण: अहमदाबाद नगरपालिका और गुजरात सरकार द्वारा निर्मित जनमार्ग। • माझा स्वप्न (Maza Swapna), पुणे में जन भागीदारी दृष्टिकोण। • PPP: विशेषज्ञता, प्राइवेट प्लेयर्स + दक्षता • शहरी प्रशासन में सुधार - मल्टी चैनल नागरिक सेवाएं (कॉमन सर्विस सेंटर, ई-गवर्नेंस, एम-गवर्नेंस आदि); एकीकृत परिसंपत्ति प्रबंधन, नियोजन आदि, • सुभेद्यता में कमी: जलवायु परिवर्तन कार्रवाई योजनाएं + अनुकूलन रणनीतियाँ

VISION IAS

I.2. अमृत: अटल मिशन फॉर रेजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन

(AMRUT: Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएँ
• शहरी घरों को बुनियादी सेवाएं (जैसे- जल की आपूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन) प्रदान करना • शहरों में सुविधाओं का निर्माण करना, जो सभी लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के साथ ही गरीबों और वंचितों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करेगी ,	• इसे एक लाख और उससे अधिक की आबादी वाले 500 शहरों और कस्बों में लागू किया जाएगा। • मुख्य नदियों के किनारे स्थित कुछ शहर, कुछ राजधानी शहर और पहाड़ी इलाकों, द्वीपों और पर्यटन क्षेत्रों में स्थित कुछ महत्वपूर्ण शहरों को भी शामिल किया गया है।	• यह जल की आपूर्ति, सीवरेज, परिवहन और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान युक्त हरित स्थलों के विकास जैसी अवसंरचना सुविधाओं को सुनिश्चित करने हेतु एक 'परियोजना दृष्टिकोण (project approach)' अपनाता है। • गत वर्ष किए गए सुधारों की उपलब्धि के आधार पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहन के रूप में बजट का 10 प्रतिशत दिया जाएगा। • इसके अंतर्गत राज्यों को JNNURM की तुलना में अधिक लचीलापन प्रदान किया गया है क्योंकि इस योजना के तहत प्रस्तुत राज्य कार्य योजना में केवल केंद्र सरकार के साथ 'व्यापक सहमति' की आवश्यकता है • 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों और कस्बों के लिए केंद्रीय सहायता, परियोजना की कुल लागत का 50 प्रतिशत होगी; वहीं 10 लाख से ऊपर की आबादी वाले शहरों के लिए यह परियोजना लागत का एक तिहाई होगी। • स्टेट एनुअल एक्शन प्लान में बताई गई उपलब्धि के आधार पर 20:40:40 के अनुपात में तीन किस्तों में केंद्रीय सहायता जारी की जाएगी। • अमृत मिशन के तहत 50% भारांश किसी भी राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश को उनके वैधानिक कस्बों की संख्या के आधार पर दिया जाता है ताकि उनमे निधियों का आवंटन हो सके। • केंद्र द्वारा धन हस्तांतरण के 7 दिनों के भीतर ही राज्य स्थानीय शहरी निकायों को धन का हस्तांतरण कर देंगे और इस धन का किसी भी प्रकार का लीकेज नहीं होगा।

I.3 हृदय

(Hriday)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• विरासत शहरों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करना। • सुंदरतापूर्ण, सुलभ, सूचनात्मक और सुरक्षित वातावरण को प्रोत्साहित करके शहर के अद्वितीय चरित्र को प्रतिबिंबित करने के लिए विरासत शहर की आत्मा को संरक्षित और पुनर्जीवित करना।	पर्यटक और पर्यटन क्षेत्रक द्वारा रोजगार सृजन।	• भारत सरकार द्वारा 100% वित्त पोषण प्रदान किया जाएगा। • इस योजना की अवधि चार वर्ष अर्थात दिसंबर 2014 से मार्च 2018 तक है। • शहरों का सामरिक और नियोजित विकास करने के लिए आजीविका पर **विशेष ध्यान देने** के साथ जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करते हुए स्वच्छता, सुरक्षा, पर्यटन, विरासत पुनरोद्धार और शहर की सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखना।

VISION IAS

		• कुछ हृदय शहर निम्नलिखित हैं :अजमेर, राजस्थान; अमरावती, आंध्र प्रदेश; अमृतसर, पंजाब;बदामी, कर्नाटक; द्वारका,गुजरात; गया, बिहार; कांचीपुरम, तमिलनाडु; मथुरा उत्तर प्रदेश; पुरी, ओडिशा; वाराणसी, उत्तर प्रदेश; वेलांकनी, तमिलनाडु और वारंगल, तेलंगाना।

I.4 स्वच्छ भारत मिशन

(Swachh Bharat Mission)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभकारी	मुख्य विशेषताएं
1. 2019 तक स्वच्छ भारत के निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाकर खुले में शौच को समाप्त करना। 2. अस्वास्थ्यकर शौचालयों का फ्लश शौचालयों में रूपांतरण, हाथ से मैला ढोने की प्रथा (मैनुअल स्केवेंजिंग) का उन्मूलन, 3. नगर निगम के ठोस कचरे का 100% संग्रहण और वैज्ञानिक प्रसंस्करण/निपटान, पुन: उपयोग /पुनर्चक्रण। 4. स्वस्थ स्वच्छता प्रथाओं के संबंध में लोगों में एक व्यवहारिक परिवर्तन लाना। 5. स्वच्छता तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर स्वच्छता के प्रभावों के बारे में नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा करना। 6. डिजाइन, निष्पादन और व्यवस्था को संचालित करने हेतु शहरी स्थानीय निकायों को सुदृढ़ बनाना। 7. पूंजी व्यय और संचालन एवं रखरखाव (O&M) की लागतों में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए समर्थ वातावरण बनाना।	1. नागरिकों के स्वास्थ्य में सुधार और पर्यावरण में रोगजनक तत्वों को कम करना 2. अधिक रोजगार मुहैया कराने वाले पर्यटन को बढ़ाना 3. पर्यावरण अनुकूल और पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार	मिशन के निम्नलिखित घटक हैं: - 1. घरेलू शौचालयों का निर्माण, 2. समुदाय और सार्वजनिक शौचालय, 3. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, 4. सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) तथा जन जागरूकता, 5. क्षमता निर्माण और प्रशासनिक और कार्यालय व्यय (A&OE) केंद्र सरकार और राज्य सरकार / शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के बीच फंडिंग पैटर्न है- 75%: 25% (उत्तर पूर्वी और विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 90%: 10%)। उक्त घटकों के वित्त पोषण में अंतराल की पूर्ति लाभार्थी योगदान, निजी वित्त पोषण, कॉर्पोरेट सामाजिक उतरदायित्व (CSR) के तहत निजी कंपनियों से प्राप्त धन और **वित्त मंत्रालय के स्वच्छ भारत कोष** से की जा सकती है।

शहरी भाग शहरी विकास मंत्रालय द्वारा और ग्रामीण भाग पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा।

©Vision IAS

J. वाणिज्य मंत्रालय

(MINISTRY OF COMMERCE)

J.1 स्टार्ट अप इंडिया

(Start Up India)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थियों	मुख्य विशेषताएं
देश में नवाचार और स्टार्ट अप्स के पोषण के लिए एक मजबूत इको-सिस्टम का निर्माण करना जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करेगा।	उद्यमी	• सरलीकरण और हैंडहोल्डिंग: स्टार्ट-अप्स पर नियामक बोझ को कम करने के उद्देश्य से, उन्हें छह श्रम कानूनों और तीन पर्यावरणीय कानूनों से तीन साल की अवधि के लिए छूट दी गई है। • बौद्धिक संपदा अधिकारों (आई.पी.आर.) संबंधी पेटेंट आवेदनों को दाखिल करने की प्रक्रिया में स्टार्ट-अप्स को मुफ्त कानूनी सहायता भी प्रदान की जाएगी। स्टार्ट-अप्स द्वारा दायर आवेदनों के संबंध में शीघ्रता से निर्णय लिए जाएंगे ताकि सम्पूर्ण प्रक्रिया में कम लागत आए । • अनुदान सहायता और प्रोत्साहन: ✓ अगले चार वर्षों के लिए 10,000 करोड़ रुपये के कोष के माध्यम से सहायता प्रदान करना। 1. क्रेडिट गारंटी फंड – यह पहल स्टार्ट-अप्स के लिए एक क्रेडिट गारंटी फंड बनाने का प्रावधान करती है।यह फंड स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक (सिडबी) के माध्यम से निर्मित किया जायेगा। अगले चार वर्षो तक 500 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष कार्पस पूंजी के माध्यम से निर्मित किया जायेगा । • सरकार स्टार्ट-अप्स इंडिया हब की स्थापना करेगी। यह स्टार्ट-अप्स के लिए एकल संपर्क बिंदु होगा। • इंडस्ट्री-एकेडमिया पार्टिसिपेशन एंड इन्क्यूबेशन।

J.2. स्टैंड-अप इंडिया स्कीम

(Stand up India scheme)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• गैर कृषि क्षेत्र में उद्यमों की स्थापना के लिए बैंक ऋणों की सुविधा प्रदान करना ।योजना के द्वारा जनसंख्या के वंचित तबके तक पहुंच बनाने के लिए संस्थागत ऋण संरचना का लाभ प्रदान करना • बैंक की प्रत्येक शाखा द्वारा कम से कम दो ऐसी परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान करने (उद्यमियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए औसत रूप से एक) की सुविधा।	• अनुसूचित जाति और जनजाति पृष्ठभूमि के उद्यमी • महिला उद्यमी	• नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (NCGTC) के माध्यम से 5000 करोड़ रुपये की राशि के साथ क्रेडिट गारंटी मेकेनिज्म का सृजन; • इस योजना में ऋणप्राप्तकर्ता को ऋण प्राप्ति से पूर्व के चरण में तथा संचालन के दौरान सहयोग प्रदान करना सम्मिलित होगा; • इस योजना के तहत ऋण एक क्रेडिट गारंटी स्कीम द्वारा प्राप्त क्रेडिट गारंटी द्वारा पूर्णतया सुरक्षित और समर्थित होगा। वित्तीय सेवा विभाग इस क्रेडिट गारंटी स्कीम योजना के मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगा तथा नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) इसकी ऑपरेटिंग एजेंसी होगी।

©Vision IAS

J.3 अन्य योजनाएं

(Other Schemes)

योजना	विशेषता
मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम	कुछ नए उत्पादों को विस्तारित समर्थन और भारत स्कीम (MEIS) से मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स के तहत कुछ अन्य विशिष्ट उत्पादों के लिए प्रोत्साहनों में वृद्धि। नए उत्पाद जोड़े गए: विभिन्न उत्पाद श्रेणियों के तहत आने वाले 2901 अतिरिक्त उत्पाद जोड़े गए।
निर्यात बंधु योजना	अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में पहली पीढ़ी के उद्यमियों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए 2011 में विदेश व्यापार नीति(2009-14) के भाग के रूप में घोषित की गई।

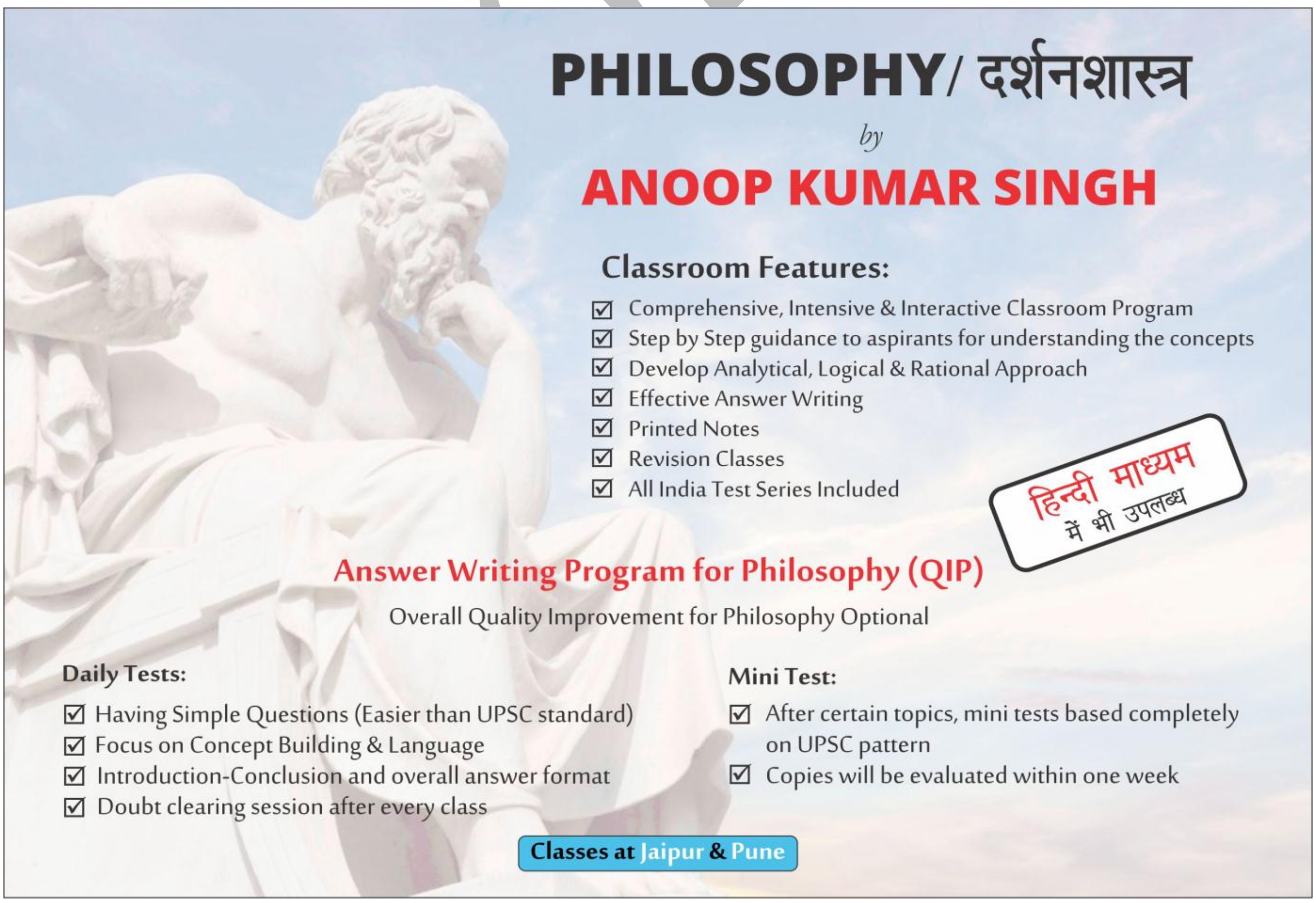

K. कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

(MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP)

K.1. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

(Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, पाठ्यक्रमों में सुधार, बेहतर शिक्षण और प्रशिक्षित शिक्षकों पर विशेष जोर दिया गया है। प्रशिक्षण में अन्य पहलुओं के साथ सॉफ्ट स्किल, व्यक्तित्व का विकास और व्यवहार में परिवर्तन भी शामिल है। • इस योजना के तहत कौशल विकास प्रशिक्षण शुरू करने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करना	• कोई भी भारतीय जिसने एक योग्य प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा एक मान्यताप्राप्त क्षेत्र में कौशल विकास प्रशिक्षण की प्रक्रिया पूरी की हो । • रिकग्निशन ऑफ़ प्रायर लर्निंग (RPL) एवं परम्परागत कौशल को प्राप्त व्यक्ति।	• राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) के माध्यम से कार्यान्वित। सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) के आधार पर कार्यान्वित किया जायेगा। • नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क और उद्योग के मानकों के आधार पर कौशल प्रशिक्षण दिया जायेगा। • तीसरे पक्ष के आकलन और प्रमाणन के आधार पर प्रशिक्षुओं को मौद्रिक पुरस्कार (रिवॉर्ड) दिया जायेगा। • औसत मौद्रिक रिवॉर्ड प्रति प्रशिक्षु 8000 रूपए के आसपास रहेगा। • युवाओं को कौशल मेलों के जरिए एकत्रित किया जाएगा और इसके लिए स्थानीय स्तर पर राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं और समुदाय आधारित संस्थाओं का सहयोग लिया जाएगा। • कौशल प्रशिक्षण के लक्ष्य को मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, राष्ट्रीय सौर मिशन और स्वच्छ भारत अभियान जैसे हाल ही में शुरू अन्य प्रमुख कार्यक्रमों की आवश्यकताओं से जोड़ा जायेगा।

K.2 प्रधान मंत्री युवा योजना

(PRADHAN MANTRI YUVA YOJANA)

लक्ष्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
1. संभाव्य क्षमताओं तथा आरंभिक चरण वाले उद्यमियों को शिक्षित और समर्थ बनाना। 2. सहकर्मियों, सलाहकारों, फंड और व्यापारिक सेवाओं के माध्यम से निर्मित सशक्त नेटवर्क द्वारा उद्यमियों को जोड़ना। 3. उद्यमिता हब्स (E-Hubs) के माध्यम से उद्यमियों को सहयोग प्रदान करना ।	• प्रारंभिक चरण के उद्यमी	• 3050 संस्थानों के माध्यम से 5 साल में 7 लाख से अधिक **विद्यार्थियों** को उद्यमिता शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने वाली फ्लैगशिप योजना। ✓ उच्च शिक्षा के 2200 संस्थान (कॉलेज, विश्वविद्यालय और प्रमुख संस्थान), ✓ 300 स्कूल, 500 ITI. और ✓ विशाल ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम (MOOCs) के माध्यम से 50 उद्यमिता विकास केंद्र। • उद्यमिता शिक्षा के अंतर्गत सीखने की सर्वोत्तम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परम्पराओं को शामिल करना । • यह योजना पांच वर्षों (2016-17 से 2020-21) के लिए

VISION IAS

		लागू की जाएगी । परियोजना लागत 499.94 करोड़ रुपए होगी। • यह योजना जहां युवाओं को सूचना तथा मेंटर नेटवर्क तक पहुँच प्रदान करती है वही ऋण, इनक्यूबेटर, तथा प्रयासों को गति प्रदान करने वाले अन्य तत्वों तक आसान पहुंच प्रदान करती है।

K.3 प्रवासी कौशल विकास योजना: विदेश मामलों के मंत्रालय के परामर्श से

(PRAVASI KAUSHAL VIKAS YOJANA : In consultation with the Ministry of External Affairs)

लक्ष्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
विदेशों में रोजगार की तलाश में संलग्न भारतीय युवाओं को कौशल युक्त बनाना।	• विदेशों में रोजगार के लिए इच्छुक भारतीय श्रमशक्ति; ब्लू कॉलर श्रमिक। • भारतीय राष्ट्रीयता का कोई भी उम्मीदवार जो एक सक्षम प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा एक उपुक्त क्षेत्र में कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करता है। • RPL और पारंपरिक कौशल धारक।	• वैसे भारतीयों को प्रशिक्षित और प्रमाणित करना जो विशेष क्षेत्रकों में विदेशी रोजगार हेतु उत्सुक हैं, • अल्पावधि कार्यक्रम (2 सप्ताह से एक महीने) विभिन्न देशों में चुनौतीपूर्ण कायों को पूर्ण आत्मविश्वास के साथ संपन्न करने में सक्षम बनाने हेतु समग्र प्रशिक्षण ।इसके साथ ही यह इस संबंध में आवश्यक अंतरराष्ट्रीय कौशल आवश्यकताओं को पूरा करेगा। • उपयुक्त कौशल समुच्चय: सांस्कृतिक उन्मुखीकरण के साथ संचार, व्यापार संबंधी विशिष्ट ज्ञान और कौशल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। ये अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होंगे। • राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा अपने प्रशिक्षण साझेदारों तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित।

L.पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

(MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS)

L.1. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

(Pradhan Mantri Ujjwala Yojana)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	योजना की मुख्य विशेषताएं और सम्बंधित मुद्दे
• BPL परिवारों की महिलाओं को 5 करोड़ मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना	• कोई भी BPL परिवार जिनकी सूचना राज्य सरकार द्वारा निर्मित जिला BPL सूची में शामिल है • महिला आवेदक की आयु 1 मई 2016 को कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए I घर में पहले से LPG कनेक्शन विद्यमान नहीं होना चाहिए I	• BPL परिवारों के लिए प्रत्येक LPG कनेक्शन पर 1600 रुपये की वित्तीय सहायता। • रसोई गैस (एलपीजी) तक गरीबों की पहुँच सीमित है। • असामयिक मौतों की समस्या का निवारण किया जाएगा; छोटे बच्चो में श्वसन सम्बन्धी बीमारियों की अधिकता के लिए इनडोर पोल्युशन भी ज़िम्मेदार है। • LPG फील्ड ऑफिसियल्स आवेदक के विवरणों की जांच करेंगे और अर्हता की पुष्टि के लिए उन विवरणों का SECC (सोशिओ इकॉनमिक एंड कास्ट सेन्सस) के डेटा से मिलान करेंगे I

L.2. पहल

(PAHAL)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएँ
• लीकेज को कम करना और डुप्लिकेट या जाली LPG कनेक्शनों को खत्म करना। • सब्सिडी हेतु प्रत्यक्ष नकदी अंतरण को आरंभ करना।	• LPG सिलेंडर का उपयोग करने वाले उपभोक्ता; • लीकेज कम होने के कारण सरकार स्वयं • तेल विपणन कंपनियां - बिचौलियों की समाप्ति होने के कारण।	• यह प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम) के तहत विश्व की सर्वाधिक नकद सब्सिडी है; • पहल (DBTL) के तहत आने वाले जिलों में CTC घरेलू LPG सिलेंडर उपभोक्ताओं को घरेलू LPG सिलेंडर बाजार की निर्धारित कीमत पर (इसमें सब्सिडी सम्मिलित नहीं होगी) बेचे जाएंगे। • **उपभोक्ता को अंतरित राशि:** उपभोक्ता द्वारा जितने सब्सिडी आधारित LPG सिलेंडर प्राप्त किये गए हैं,उसके अनुरूप कुल नकदी (निर्धारित सीमा तक) प्रत्येक CTC (कैश ट्रान्सफर कम्प्लायेंट) उपभोक्ता को उसकी पात्रता के अनुसार अंतरित कर दी जाएगी । • सब्सिडी प्राप्त करने हेतु उपभोक्ताओं का अपना बैंक खाता होना चाहिए। इसमें जन-धन योजना के तहत खोले गए खातों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आधार के साथ संबद्ध किये जाने के कारण इसकी बेहतर निगरानी संभव है।

VISION IAS

M. ऊर्जा मंत्रालय

(MINISTRY OF POWER)

M.1. उदय (उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना)-

[UDAY (Ujwal DISCOM Assurance Yojana)]

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• उदय का लक्ष्य विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) का वित्तीय सुधार एवं उनका पुनरूत्थान करना, • समस्या का एक टिकाऊ और स्थायी समाधान सुनिश्चित करना। • दीर्घ काल में सभी के लिए सस्ती और सुलभ 24x7 विद्युत आपूर्ति ।	• डिस्कॉम • सम्पूर्ण ऊर्जा क्षेत्र	• 2018-19 तक सभी वितरण कंपनियों को लाभदायक बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य। • इस लक्ष्य की प्राप्ति चार पहलों से होगी (i) डिस्कॉमों की परिचालन क्षमता में सुधार; (ii) ऊर्जा की लागत में कमी करना; (iii) डिस्कॉमों की ब्याज लागत में कटौती करना; (iv)राज्य वित्त के समान डिस्कॉमों में भी वित्तीय अनुशासन लागू किया जाए। • राज्यों को 30 सितम्बर 2015 से 2 वर्षों में अर्थात 50% 2015-2016 में एवं 25% 2016-17 में डिस्कॉम का 75% ऋण का भुगतान स्वयं करेगा; • भारत सरकार वित्तीय वर्ष 2015-16 और 2016-17 में संबंधित राज्यों के राजकोषीय घाटे (FRBM के लिए) की गणना में उपरोक्त योजना के अनुसार राज्यों द्वारा उठाए गए ऋण शामिल नहीं करेगी । • राज्य, बाजार में या सीधे संबंधित बैंक/ वित्तीय संस्थानों (जिनका डिस्कॉम पर कर्ज है) को SDL सहित गैर –SLR बांड जारी करेंगे। • डिस्कॉम के जिस ऋण का भुगतान राज्य नहीं करेंगे उसे बैंक / FIs द्वारा लोन या बांड में परिवर्तित कर दिया जाएगा

M.2. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना

(Deendayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएँ
• नई परिभाषा के अनुरूप सभी गांवों और बस्तियों का विद्युतीकरण करना • सभी ग्रामीण परिवारों तक विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना • गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले (BPL) परिवारों को नि: शुल्क बिजली कनेक्शन प्रदान करना	• ग्रामीण आबादी • कृषि और सिंचाई गतिविधियाँ • डिस्कॉम (DISCOMs) - चूंकि मीटरिंग के कारण उन्हें होने वाले घाटे में कमी होगी • समग्र अर्थव्यवस्था	DDUGY के घटक: ✓ फीडर सेपरेशन (Feeder separation) : ग्रामीण घरों और कृषि हेतु अलग फीडर्स तथा सब-ट्रांसमिशन एवं वितरण आधारभूत संरचना को सुदृढ़ बनाना; ✓ सभी स्तरों पर मीटरिंग (इनपुट पॉइंट्स, फीडर्स और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स पर); ✓ माइक्रो ग्रिड और ऑफ़ ग्रिड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ✓ ग्रामीण विद्युतीकरण • इससे ग्रामीण घरों को 24 घंटे विद्युत प्रदान करने और कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त विद्युत प्रदान करने में मदद मिलेगी • राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (RGGVY) को इस नई योजना में समाहित कर दिया गया है। RGGVY, DDUGY का

VISION IAS

		ग्रामीण विद्युतीकरण घटक होगा। • मई 2014 तक देश भर में कुल 96% अविद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण किया गया है और 80% गांवों का गहन विद्युतीकरण पूरा हो चुका है, जबकि फ्लैगशिप कार्यक्रम RGGVY के अंतर्गत 77% BPL परिवारों को मुफ्त विद्युत कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

M.3 उजाला (उन्नत ज्योति बाइ अफोर्डेबल LEDS फॉर आल (UJALA))

[UJALA (Unnat Jyoti By Affordable Leds For All (UJALA)]

उद्देश्य	लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• कुशल प्रकाश व्यवस्था को बढ़ावा देना। • बिजली के बिल को कम करने और पर्यावरण को संरक्षित करने में मदद करना।	• निजी व्यक्तियों के लिए लागत में कटौती। • ऊर्जा बचत: जलवायु परिवर्तन के नियंत्रण हेतु कार्रवाई।	• उजाला योजना एलईडी-आधारित कुशल प्रकाश कार्यक्रम है। • 200 मिलियन उद्दीप्त (incandescent) बल्बों को प्रतिस्थापित करने का लक्ष्य। • उपभोक्ता बिल की वार्षिक लागत में 40,000 करोड़ रुपए की अनुमानित कमी। • वार्षिक अनुमानित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 79 मिलियन टन CO_2 की कमी।

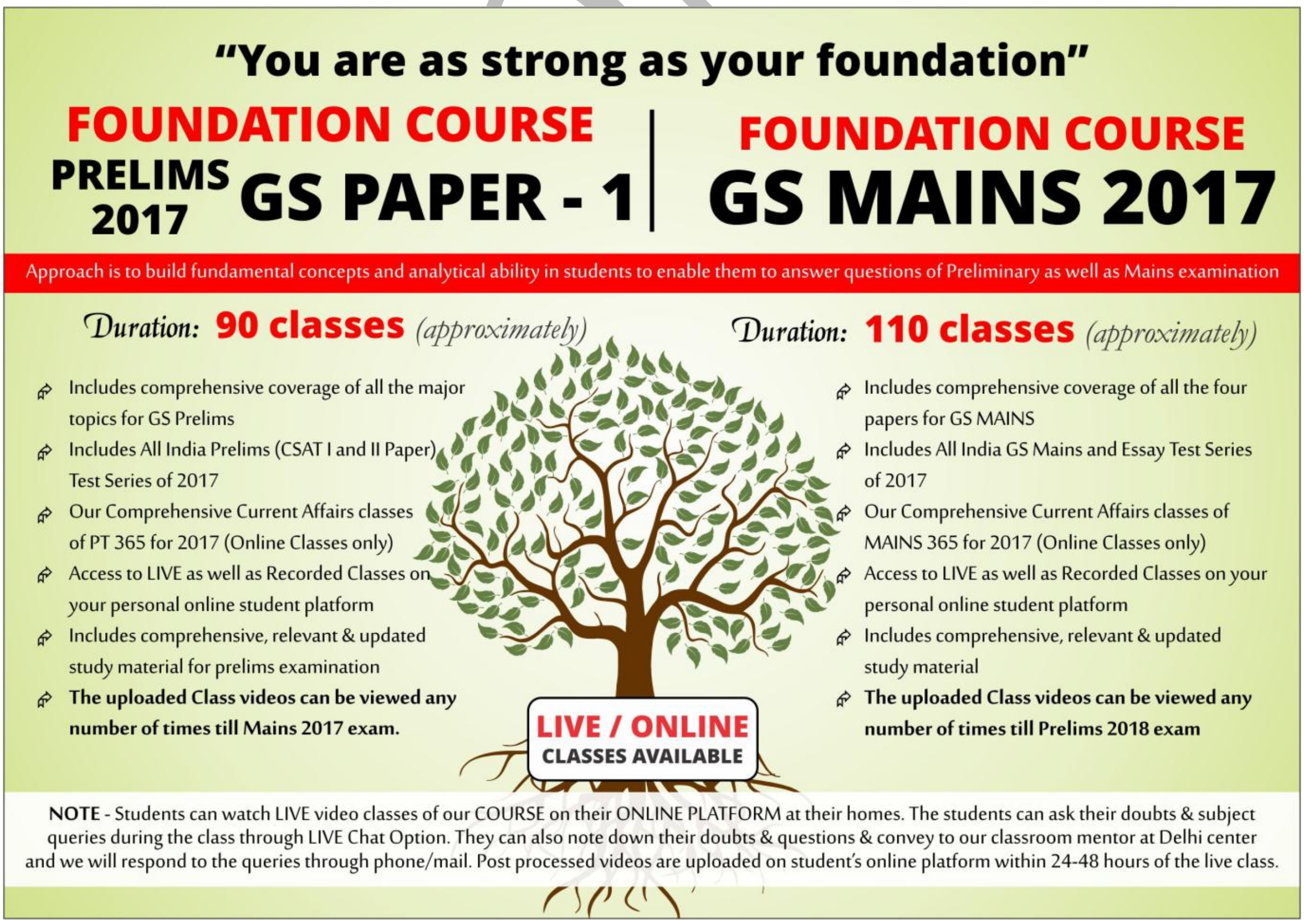

N. खेल और युवा मामलों का मंत्रालय

(MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS)

N.1 स्वच्छ युग अभियान

(Swachh Yug Campaign)

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा खेल और युवा मामलों के मंत्रालय तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के साथ साझेदारी में।

लक्ष्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
पांच राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगा के तट पर बसे सभी गांवों को खुले में शौच मुक्त (ODF) बनाने के लिए सहायता बढ़ाना	1. नागरिकों के स्वास्थ्य में सुधार और पर्यावरण पर पैथोजेनिक भार को कम करना। 2. रोजगार उन्मुख पर्यटन को बढ़ाना। 3. पर्यावरण अनुकूल एवं पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार।	स्वच्छ युग अभियान, स्वच्छ भारत मिशन, स्थानीय युवा नेतृत्व तथा नमामी गंगे परियोजना के बीच एक सहयोगी प्रयास है। नेहरू युवा केंद्र संगठन के समन्वयन के अंतर्गत युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा भारत स्काउट्स और गाइड्स, नेहरू युवा केंद्र और राष्ट्रीय सेवा योजना जैसी युवाओं की संस्थाओं का सहयोग प्राप्त किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 52 जिलों में एक व्यवहार परिवर्तन अभियान को सहयोग प्रदान करने के लिए स्थानीय युवा स्वयंसेवकों का सहयोग प्राप्त करने के लिए इन संगठनों को आमंत्रित किया जाएगा। इसके अलावा वर्चुअल क्लास रूम के उपयोग से इन स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

N.2. अन्य योजनायें

(Other Schemes)

योजना	विवरण
खेलो इंडिया	• यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य मौलिक प्रतिभाओं को विकास हेतु एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करना है। • खेलो इण्डिया योजना गुजरात के "खेल महाकुम्भ" मॉ डल पर आधारित है, जिसमें देश भर के विद्यालय और विश्वविद्यालय 27 विभिन्न क्षेत्रों (disciplines) में भाग लेते हैं। • भारत सरकार ने 2016 में राजीव गाँधी खेल अभियान का 'खेलो इण्डिया' में विलय कर दिया था। • खेलो इण्डिया योजना के अंतर्गत दो अन्य योजनायें भी लायी गयी हैं: शहरी खेल अवसंरचना योजना (USIS) और राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना
मिशन XI मिलियन	• सबसे बड़ा स्कूल स्पोर्ट आउटरीच कार्यक्रम। • भारत में फुटबाल को लोकप्रिय खेल बनाना।

O. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(MINISTRY OF S & T)

O.1. INSPIRE (इनोवेशन इन साइंस पर्सूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च)

Inspire (Innovation In Science Pursuit For Inspired Research)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• प्रतिभाओं को विज्ञान के क्षेत्र में आकर्षित करना। • विज्ञान की रचनात्मक खोज के उत्साह को देश के युवाओं तक पहुंचाना, कम आयु में ही प्रतिभाओं को विज्ञान के अध्ययन हेतु आकर्षित करना और इस प्रकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रणाली एवं अनुसन्धान और विकास के आधार को सुदृढ़ और विकसित करने के लिए आवश्यक महत्त्वपूर्ण मानव संसाधन पूल का निर्माण करना।	• युवा बच्चों का विकसित और कुशल मानव संसाधन में रूपांतरण । • देश में सशक्त अनुसन्धान और विकास की आधारशिला।	• यह किसी भी स्तर पर प्रतिभा की पहचान के लिए प्रतिस्पर्धी परीक्षा आयोजित करने में विश्वास नहीं करता। प्रतिभा की पहचान के लिए यह प्रचलित शैक्षणिक सरंचना की प्रभावशीलता में विश्वास करता है और उसी पर निर्भर करता है। • INSPIRE के तीन घटक हैं: I. स्कीम फॉर अर्ली अट्रैक्शन ऑफ टैलेंट (SEATS) II. स्कीम फॉर हायर एजुकेशन (SHE) III. अश्योर्ड ऑपरचुनिटीज़ फॉर रिसर्च करियर (AORC)। • Inspire (इंस्पायर) पुरुस्कार का नाम बदल कर MANAK (मानक) कर दिया गया है।

O.2. साइबर फिजिकल सिस्टम (CPS) प्रोग्राम

(Cyber Physical Systems Programme)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• कार्यक्रम का मुख्य फोकस आवश्यक तन्त्र विकसित करने के लिए शीर्ष संस्थानों के वित्तपोषण पर है। • शिक्षा में अंतर-विषयक (इंटर-डिसिप्लिनरी) दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना। • विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों और उद्योगों के बीच बेहतर तालमेल को प्रोत्साहित करना।	• साइबर क्षेत्र अधिक सुरक्षित होगा। • नॉलेज इकॉनोमी और डिजिटल इकॉनोमी पोषित होगी ।	• CPS एक अंतर-विषयक क्षेत्र है। यह भौतिक विश्व में कार्य करने वाली कम्प्यूटर आधारित प्रणाली के परिनियोजन (डिप्लॉयमेंट) से सम्बन्धित है। उदाहरण के लिए स्व-चालित कारें, मानवरहित वायुयान (UAV) और विमान नेविगेशन प्रणाली।

O.3. अन्य योजनाएं

(Other Schemes)

योजना	विवरण
NIDHI (नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस)	NIDHI ज्ञान आधारित और प्रौद्योगिकी आधारित विचारों एवं नवाचारों को सफल स्टार्ट - अप्स में बदलने की दिशा में कार्य करती है । इसका उद्देश्य समाज की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के लिए तकनीकी समाधान प्रदान करना तथा आय एवं रोजगार सृजन के लिए नये अवसर उत्पन्न करना है। NIDHI के घटक जो प्रत्येक चरण में एक उदीयमान स्टार्टअप का समर्थन करते हैं: • PRAYAS (प्रोमोटिंग एंड एक्सेलरेटिंग यंग एंड एस्पायरिंग इनोवेटर्स एंड स्टार्टअप्स), जिसका उद्देश्य अन्वेषकों को दस लाख रूपये तक का अनुदान और फेब्रिकेशन लेबोरेटरी

©Vision IAS

	(फैब लैब) तक पहुंच प्रदान करना है। • सीड सपोर्ट सिस्टम जो प्रत्येक स्टार्टअप को एक करोड़ रूपये प्रदान करता है और जिसे टेक्नोलॉजी बिज़नेस इन्क्युबेटर के माध्यम से लागू किया जाता है।
बायोटेक किसान	किसानों, वैज्ञानिकों और देश भर की वैज्ञानिक संस्थाओं को एक नेटवर्क से जोड़ना जो उनकी समस्याओं की पहचान करता है और उनका समाधान करने में सहायता करता है।

N IAS

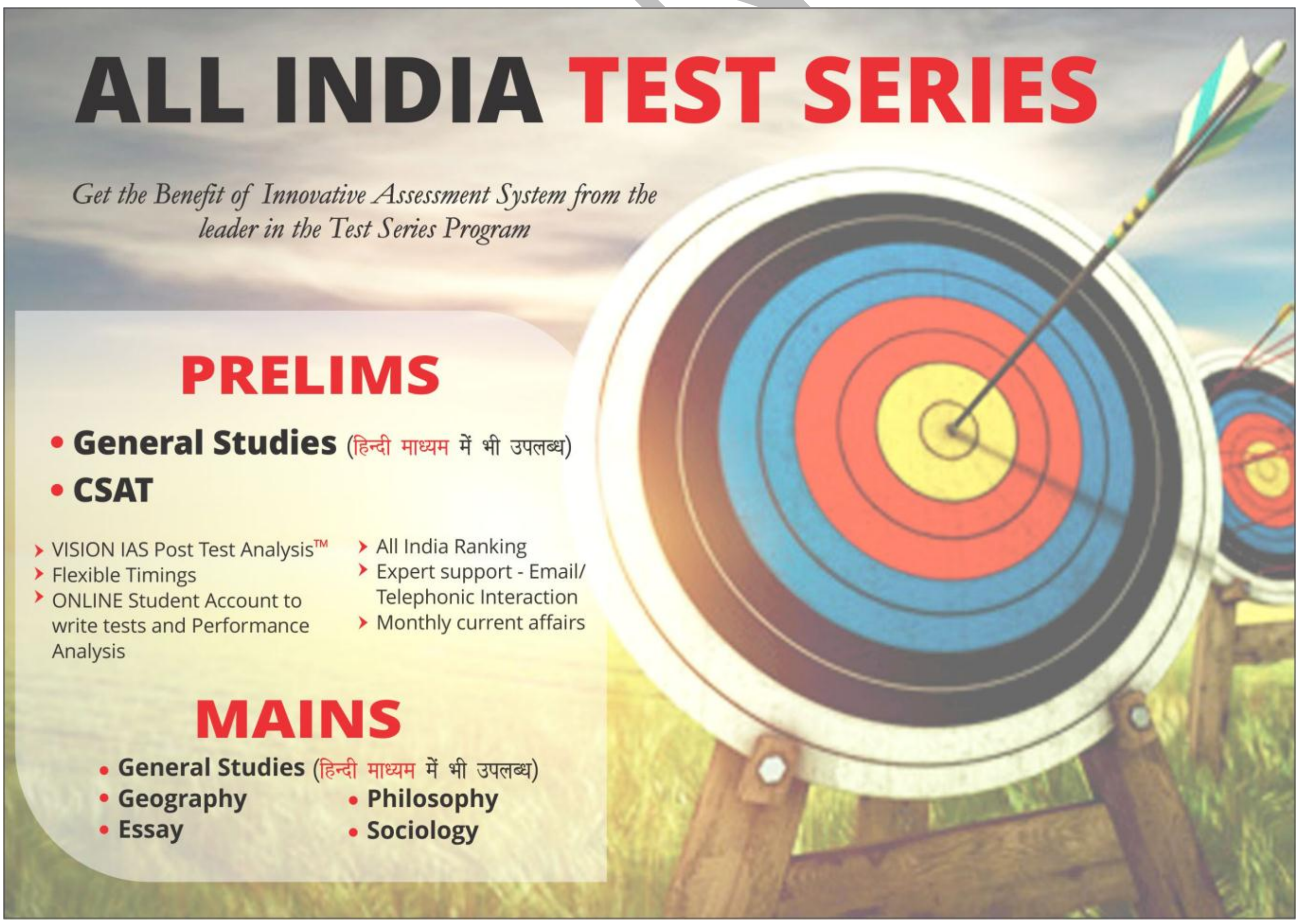

P. श्रम और रोजगार मंत्रालय

(MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT)

P.1. प्रधानमन्त्री रोजगार प्रोत्साहन योजना

(Pradhan Mantri Rojgar Protsahan Yojana)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ (सोशल सिक्यूरिटी बेनिफिट्स) प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना।	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EFPO) के साथ पंजीकृत सभी प्रतिष्ठान लाभ प्राप्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं।	सरकार नवीन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) वाले नए कर्मचारियों के लिए कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में नियोक्ताओं के 8.33% योगदान का भुगतान कर रही है। इस योजना के दोहरे लाभ है: 1. पहला, नियोक्ता को अपने प्रतिष्ठान में श्रमिकों के रोजगार-आधार में वृद्धि के लिए प्रोत्साहन मिलता है। 2. दूसरा, बड़ी संख्या में श्रमिक सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने वाले इन प्रतिष्ठानों में नौकरी प्राप्त कर सकेंगे।

P.2. दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम

(Deendayal Upadhyay Shramev Jayate Karyakram)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• श्रम कानूनों में सुधार, अनुपालन में सुधार करना। • भारत में श्रमिकों की स्थिति में सुधार करना। • भारत के जनसांख्यकीय लाभांश को उपयोग में लाना और देश में इज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुगम बनाना।	• संगठित श्रमिक बल • प्रशिक्षु (अप्रेंटिस) • संगठित औद्योगिक इकाईयाँ	**एक समर्पित श्रम सुविधा पोर्टल:** • लगभग 6 लाख इकाईयों को श्रम पहचान संख्या (Labour Identification Number: LIN) आवंटित करना और उन्हें 44 कानूनों में से 16 के अनुपालन को आनलाइन फाईल करने की अनुमति प्रदान करना। **एक पूर्णतया नई आकस्मिक निरीक्षण योजना:** • निरीक्षण के लिए इकाईयों के चयन में मानव विवेक को समाप्त करने के लिए तकनीकी का उपयोग करना। **यूनिवर्सल अकाउंट नंबर:** • भविष्य निधि खाता पोर्टेबल है और सार्वभौम रूप से अभिगम्य है **प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना:** • प्रशिक्षण के पहले दो वर्षों की अवधि में प्रशिक्षु को दिए गये वेतनमान के 50% की प्रतिपूर्ति करना। **पुनर्निर्मित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना:** • असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक स्मार्ट कार्ड प्रारम्भ करना जिसमे दो और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के विवरण सम्मिलित हो।

Q. आयुष मंत्रालय

(MINISTRY OF AYUSH)

Q.1. नेशनल आयुष मिशन

(National Ayush Mission)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• लागत प्रभावी और न्यायोचित आयुष (AYUSH) स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना। • आयुष प्रणालियों को पुनर्जीवित करना और सशक्त बनाना। • गुणवत्तापूर्ण आयुष शिक्षा प्रदान करने में सक्षम शैक्षणिक संस्थानों में सुधार करना। • आयुष दवा निर्माताओं को गुणवत्ता मानकों को अपनाने हेतु प्रोत्साहित करना और आयुष दवाओं के निर्माण हेतु आवश्यक कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति उपलब्ध कराना।	• जो कम लागत वाली दवाओं और स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच बढ़ने के कारण लाभान्वित होने वाले मरीज़	मिशन के घटक • अनिवार्य घटक(रिसोर्स पूल का 80%) ✓ आयुष सेवाएं ✓ आयुष शैक्षणिक संस्थान ✓ ASU &H औषधियों का गुणवत्ता नियंत्रण ✓ औषधीय पौधे • लचीले (Flexible) घटक (रिसोर्स पूल का 20%) ✓ योग और प्राकृतिक चिकित्सा सहित आयुष स्वास्थ्य केंद्र ✓ IEC गतिविधियाँ ✓ टेली-मेडिसिन निगरानी और मूल्यांकन ✓ केंद्र / राज्य स्तर पर समर्पित MIS निगरानी और मूल्यांकन इकाई (सेल) स्थापित की जाएगी।

Q.2. अन्य योजनायें

(Other Schemes)

योजना	उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
मिशन मधुमेह	मधुमेह के गैर-संक्रामक रोग के लिए लागत प्रभावी उपचार और नियन्त्रण प्रदान करना।	आयुर्वेद के माध्यम से मधुमेह के प्रभावी प्रबन्धन के लिए विशेष रूप से डिजाइन किये गये राष्ट्रीय उपचार प्रोटोकोल के माध्यम से देश भर में इस मिशन को लागू किया जायेगा। मधुमेह की सम्भावनाओं वाले लोगों द्वारा स्व-आकलन के लिए, आयुर्वेद दर्शन पर आधारित एक मधुमेह आकलन उपकरण (Madhumeh Assessment Tool: MAT) भी विकसित किया गया है।
स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम	गावों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता एवं स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देना।	स्वास्थ्य संवर्धन और स्वास्थ्य शिक्षा के लिए रैलियों, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से व्यापक प्रचार, जिसमें व्यक्तिगत, पर्यावरण और सामाजिक स्वच्छता के सम्बन्ध में जागरूकता के प्रसार पर ध्यान केन्द्रित किया जायेगा। स्वास्थ्य स्थिति का आकलन और आयुर्वेद की पथ्य-अपथ्य की अवधारणा का प्रचार तथा स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार।

VISION IAS

R. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार मंत्रालय

(MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION)

R.1. नमामि गंगा योजना

(Namami Ganga Yojna)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएँ
• गंगा नदी को पूर्णतया स्वच्छ और संरक्षित करना। • गंगा नदी बेसिन में जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन तथा अपवाह एवं प्रदूषण को कम करना। • गंगा नदी की मुख्य धारा के किनारे स्थित ऐसे गांवों का विकास जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक और / या पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। • रिवर फ्रंट (River Front) मैनेजमेंट • जलीय जीव-जन्तुओं का संरक्षण • विभिन्न संलग्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करना।	• गंगा नदी की पारिस्थितिकी और जलीय जीव-जंतु • प्रत्यक्ष रूप से नदी पर आश्रित मछुआरे और अन्य लोगों को आजीविका • पर्यटन में वृद्धि के कारण स्थानीय क्षेत्र की अर्थव्यवस्था • सांस्कृतिक लाभ	परियोजना के तहत 8 राज्यों, 47 शहरों और 12 नदियों को कवर किया जाएगा। • **स्वच्छ गंगा कोष** (Clean Ganga Fund) की स्थापना • राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) और स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप्स (SPMGs) के तत्त्वाधान में राज्यों, शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) और PRIs को परियोजना में शामिल किया जाएगा। • घाट और रिवर फ्रंट पर हस्तक्षेप के माध्यम से बेहतर नागरिक सुविधा हेतु नदी केंद्रित शहरी नियोजन प्रक्रिया की स्थापना। **गतिविधियां:** नदी-जल की सतह पर प्रवाहित ठोस अपशिष्ट की समस्या के समाधान हेतु नदी की सतह की सफाई; ग्रामीण मलजल (सीवेज) वाहित करने वाले नालों द्वारा नदी में प्रवेश करने वाले प्रदूषण (ठोस और तरल) की समस्या को हल करने के लिए ग्रामीण स्वच्छता को बढ़ावा देना और शौचालयों का निर्माण। **मध्यम अवधि की गतिविधियां:** • गंगा के तट पर 118 शहरी आवासीय बसावटों में सीवरेज अवसंरचना के कवरेज का विस्तार। • बायो-रिमेडिएशन विधि, इन-सीटू ट्रीटमेंट, म्यूनिसिपल सीवेज और इफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स द्वारा अपशिष्ट जल को शोधित कर प्रदूषण की रोकथाम। • औद्योगिक प्रदूषण प्रबंधन • जैव विविधता संरक्षण, वनीकरण, और जल की गुणवत्ता की निगरानी **दीर्घकालिक गतिविधियां:** पारिस्थितिक-प्रवाह का निर्धारण, जल उपयोग दक्षता में वृद्धि, और सतह सिंचाई (surface irrigation) की बेहतर दक्षता।

गंगा पुनरुद्धार की चुनौती की बहु-क्षेत्रीय, बहु-आयामी और बहु-हितधारक प्रकृति की पहचान करते हुए, कार्य योजना के निर्माण के लिए कई प्रमुख मंत्रालय जून 2014 से एक साथ काम कर रहे हैं। ये मंत्रालय हैं: (a) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार मंत्रालय (b) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (c) पोत परिवहन मंत्रालय (d) पर्यटन मंत्रालय (e) शहरी विकास मंत्रालय (f) पेयजल, स्वच्छता और ग्रामीण विकास मंत्रालय।

VISION IAS

R.2. जल क्रांति अभियान

(Jal Kranti Abhiyan)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• जल सुरक्षा के संबंध में मूलभूत स्तर पर पंचायती राज संस्थानों और स्थानीय निकायों सहित सभी हितधारकों की भूमिका को सुदृढ बनाना; • सहभागी सिंचाई प्रबंधन (PIM); • जल संसाधन संरक्षण और उसके प्रबन्धन में पारम्परिक ज्ञान को अपनाने/उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना; • ग्रामीण क्षेत्रों में जल सुरक्षा के माध्यम से आजीविका की सुरक्षा को बढ़ाना।	• जल क्रांति अभियान के अंतर्गत, प्राथमिक रूप से जल की अत्यधिक कमी का सामना कर रहे दो गावों को **"जल ग्राम"** के रूप में चुना जा रहा है। • प्रत्येक जल ग्राम से पंचायत के एक निर्वाचित प्रतिनिधि और जल उपभोक्ता संघ के एक प्रतिनिधि की **जल मित्र / नीर नारी** के रूप पहचान की जा रही है और उन्हें जन जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। • प्रत्येक जल ग्राम के लिए एक **सुजलाम कार्ड** (जिस पर "बचाया गया जल, उत्पादित जल है" का लोगो अंकित है) तैयार किया जा रहा है, जो सभी स्रोतों से उपलब्ध होने वाले जल की उपलब्धता की वार्षिक स्थिति/सूचना प्रदान करेगा। • केन्द्रीय जल आयोग (CWC) और केन्द्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) इसके कार्यान्वित के लिए नोडल एजेंसियां हैं।

S. पर्यटन मंत्रालय

(MINISTRY OF TOURISM)

S.1. स्वदेश दर्शन

(Swadesh Darshan)

उद्देश्य	लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
देश में विषय-वस्तु (थीम) आधारित पर्यटन का विकास करना।	• इन शहरों और नगरों के निवासी। • हमारी प्राचीन धरोहर। • पर्यटक और पर्यटन क्षेत्र आजीविका के अवसर उत्पन्न करेंगे।	• इस योजना के अंतर्गत विकास के लिए 13 थीमयुक्त परिपथों की पहचान की गयी है। • ये हैं: उत्तर-पूर्वी भारत परिपथ, बौद्ध परिपथ, हिमालय परिपथ, तटीय परिपथ, कृष्णा परिपथ, मरुस्थल परिपथ, जनजातीय परिपथ, पारिस्थिकी परिपथ, वन्यजीव परिपथ, **ग्रामीण परिपथ,** आध्यात्मिक परिपथ, रामायण परिपथ और धरोहर परिपथ। • राज्य और संघ शासित प्रदेशों में विभिन्न धार्मिक/आध्यात्मिक स्थलों को मिलाकर विशेष विषयगत परिपथ को विकसित करने पर प्रमुखता से बल दिया जा रहा है।

S.2. प्रसाद

(PRASAD)

उद्देश्य	लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
चिन्हित किये गये तीर्थस्थलों का विकास और सौन्दर्यीकरण	पर्यटक और पर्यटन क्षेत्र आजीविका के अवसर उत्पन्न करेंगे।	प्रसाद (PRASAD) योजना के अंतर्गत विकास के लिए 13 स्थलों की पहचान की गयी है, जिनके नाम हैं: अमृतसर, अजमेर, द्वारका, मथुरा, वाराणसी, गया, पुरी, अमरावती, कांचीपुरम, वेल्लन्कानी, कामाख्या और पटना।

T. विविध कार्यक्रम

(MISCELLANEOUS PROGRAMMES)

T.1. प्रगति: प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) द्वारा प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन [PRAGATI:

Pro-Active Governance and Timely Implementation by Prime Minister's Office (PMO)]

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• प्रोएक्टिव गवर्नेंस तथा समयबद्ध कार्यान्वयन का वातावरण निर्मित करना • इसका उद्देश्य आम जन की शिकायतों का समाधान करना तथा साथ-साथ भारत सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रम और परियोजनाओं तथा राज्य सरकार की परियोजनाओं की निगरानी और समीक्षा करना।	• बेहतर शासन के कारण आम लोग और • बेहतर कार्यान्वयन के कारण विभिन्न सामाजिक योजनाओं के लाभार्थी • नागरिक (जिन्हें कोई सार्वजनिक शिकायत है)	• एक मल्टी-पर्पस एवं मल्टी-मोडल प्लेटफार्म • 'प्रगति' प्लेटफार्म विशेष रूप से तीन नवीनतम तकनीकों का एक साथ प्रयोग करता है : ✓ डिजिटल डेटा प्रबंधन, ✓ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ✓ भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी • एक तीन स्तरीय प्रणाली : यह सहकारी संघवाद की दिशा में भी एक अद्वितीय पहल करता है, क्योंकि यह भारत सरकार के सचिवों और राज्यों के मुख्य सचिवों को एक मंच पर लाता है. • प्रधानमंत्री एक मासिक कार्यक्रम का आयोजन करेगा जिसमें वह डेटा तथा जियो-इन्फार्मेटिक्स विजुअल सक्षम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत सरकार के सचिवों तथा राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ संवाद करेगा।

T.2. अटल नवोन्मेष मिशन – नीति आयोग

(Atal Innovation Mission-Niti Aayog)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• देश में इनोवेशन वातावरण को पर्याप्त बढ़ावा देना और उद्यमशीलता की भावना को उत्प्रेरित करना • भारत में इनोवेशन और R&D को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षाविदों, उद्यमियों, और शोधकर्ताओं को एक ऐसा मंच प्रदान करना जहाँ वह अपने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अनुभवों को साझा कर सके • यह मंच विश्व स्तरीय नवाचार केन्द्रों के नेटवर्क की स्थापना, बड़ी चुनौतियों का समाधान, स्टार्टअप व्यवसाय और अन्य स्व-रोजगार गतिविधियों को प्रोत्साहित करना, विशेष रूप प्रौद्योगिकी संचालित क्षेत्रों में।	• स्टार्टअप उद्यमी • इनोवैटर • गैर-कृषि क्षेत्र में उद्यमी • सामान्य रूप से अर्थव्यवस्था (R&D में सुधार होने से)	• AIM एवं SETU (सेतु) के लिए क्रमशः 500 करोड़ रु एवं 1000 करोड़ रु के प्रारम्भिक धन का प्रावधान किया है • युवा स्टार्ट-अप और अन्य स्व-रोजगार प्रौद्योगिकी पर आधारित विचारों को समर्थन और प्रोत्साहन देने के लिए स्वरोजगार एवं प्रतिभा उपयोग(सेतु) एक तकनीकी-वित्तीय, इन्क्यूबेशन और सरलीकरण (फेसिलिटेशन) कार्यक्रम है • सेतु का लक्ष्य स्टार्टअप के द्वारा लगभग 100,000 रोजगार सृजित करना है • **इनोवेशन प्रमोशन:** एक ऐसा मंच प्रदान करना जहाँ नये विचार पैदा हो सकें

T.3.नयी मंजिल योजना

(Nai Manzil Scheme)

अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय (Ministry of Minority Affairs)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• युवाओं के लिए रोजगार सृजन एवं उद्यमों को आरम्भ करने के लिए ऋण सुविधाओं का विस्तार करना।	• स्कूल न जाने वाले छात्र / स्कूल बीच में ही छोड़ देने वाले छात्र तथा मदरसों में पढने वाले छात्र I **ये अपेक्षित लाभार्थी** इसलिए है क्योंकि ऐसे छात्रों को औपचारिक रूप से कक्षा 10 और कक्षा 12 के प्रमाण पत्र नहीं मिल पाते जिसके कारण ये बड़ी संख्या में संगठित क्षेत्र में रोजगार से वंचित रह जाते हैं । • इस योजना का उद्देश्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों और मदरसों के 17 से 35 आयु वर्ग के छात्रों को कवर करना है।.	• यह योजना प्रशिक्षुओं को **'ब्रिज कोर्सेज'** प्रदान करेगी; उन्हें **'डिस्टेंस मीडियम एजुकेशनल सिस्टम'** के माध्यम से कक्षा 12 और 10 के लिए प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएगी एवं साथ ही साथ उन्हें 4 पाठ्यक्रमों - विनिर्माण, इंजीनियरिंग, सेवा, सॉफ्ट स्किल्स में **ट्रेड बेसिक स्किल ट्रेनिंग** भी प्रदान करेगी। • यह योजना उच्च शिक्षा जारी रखने हेतु अवसर प्रदान करेगी और संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगी।

T.4. उस्ताद

(Ustad)

अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय

(Ministry of Minority Affairs)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• अल्पसंख्यकों की परंपरागत पारिवारिक कला / शिल्प के संरक्षण हेतु कौशल और प्रशिक्षण में सुधार करना।	• सरकार द्वारा अधिसूचित 6 अल्पसंख्यक समुदाय • संपूर्ण भारत में लागू	राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ पारंपरिक कला / शिल्प का लिंकेज स्थापित करना और श्रम की गरिमा सुनिश्चित करना।

हमारी धरोहर:

इस योजना का उद्देश्य भारतीय संस्कृति के संदर्भ में अल्पसंख्यक समुदायों की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना है।

T.5. जन औषधि स्टोर्स

(Jan Aushadi Stores)

फार्मा विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

(Department of Pharma, ministry of chemicals and fertilizers)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• समर्पित विक्रय केन्द्रों (स्टोर्स) के माध्यम से गुणवत्ता वाली दवाओं को कम कीमत पर उपलब्ध कराना। • प्रति व्यक्ति उपचार की लागत कम करना	**गरीब लोग :** बजट से बाहर होने वाले खर्च और ऋणग्रस्तता में कमी के कारण।	• ब्यूरो ऑफ़ फार्मा PSUs ऑफ़ इंडिया (BPPI) जन औषधि योजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। • देश भर में विशेषकर गरीबों के लिए जन औषधि स्टोर्स (JASs) के माध्यम से सस्ती कीमत पर जेनेरिक दवाओं की वहनीयता, गुणवत्ता और आसान उपलब्धता सुनिश्चित

• विशेष रूप से सरकारी अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टरों को जेनेरिक दवाइयां प्रीस्क्राइब करने के लिए प्रोत्साहित करना		करना। • कल्याणकारी गतिविधियों में कम से कम 3 वर्ष के सफल संचालन का अनुभव वाले NGO/चैरिटेबल सोसाइटी/संस्था/स्वयं सहायता समूह भी अस्पताल के परिसर के बाहर जन औषधि स्टोर खोल सकते हैं। • यह योजना विशेष तौर पर जेनेरिक फार्मा और वृहद स्तर पर सम्पूर्ण दवा उद्योग को प्रोत्साहन प्रदान करेगी।

T.6 प्रोजेक्ट मौसम – संस्कृति मंत्रालय

(Project Mausam – Ministry of Culture)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• 'परियोजना मौसम' का उद्देश्य **हिंद महासागर के 39 देशों के साथ पार सांस्कृतिक संबंध स्थापित करना** और ऐतिहासिक समुद्री, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को पुनर्जीवित करना है।	• सांस्कृतिक संवर्धन से हिंद महासागर के 39 देशों के लोगों के मध्य मित्रता तथा वाणिज्यिक एवं धार्मिक आदान-प्रदान को बढ़ावा मिलेगा।	• भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) नोडल एजेंसी के रूप में इसे लागू करेगा। • ASI को सहयोगी निकायों के रूप में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र (IGNCA) और राष्ट्रीय संग्रहालय से अनुसंधान सहायता मिलेगी। • सरकार ने विश्व विरासत के लिए नामांकन हेतु 39 देशों की पहचान की है। • पूर्वी अफ्रीका से लेकर अरब प्रायद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप और श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्वी एशियाई द्वीपसमूह तक फैले बहुआयामी हिन्द महासागर में होने वाले सांस्कृतिक, वाणिज्यिक एवं धार्मिक आदान-प्रदान की विविधता के प्रमाण के लिए पुरातात्विक और ऐतिहासिक अनुसंधान का मिलान करना। • भारतीय नौसेना के नौवहन प्रशिक्षण पोत तरंगिनी और ओमान की रॉयल नौसेना ओमान नौवहन प्रशिक्षण पोत शबाब द्वारा राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष के उपलक्ष्य में 24 नवंबर से 03 दिसंबर, 2015 तक एक संयुक्त नौवहन यात्रा आयोजित की गयी।

T.7. सेतु भारतम – सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

(Setu Bharatam-Ministry of Road, Transport and Highway)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षित और सहज यात्रा के लिए पुलों का विकास • 2019 तक सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे	• राष्ट्र और अर्थव्यवस्था - अवसंरचना नेटवर्क एक राष्ट्र के विकास एवं संवृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है।	• इस योजना का कार्यान्वयन लेवल क्रासिंग पर लगातार होने वाली दुर्घटनाओं और जीवन के नुकसान को रोकने के लिए किया जा रहा है। • कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 20,800 करोड़ रु. की लागत से लेवल क्रासिंग पर 208 रेलवे

लेवल क्रॉसिंग से मुक्त बनाना		ओवर ब्रिज (ROB) / रेलवे अंडर ब्रिज (RUB) बनाये जायेंगे । • 30,000 करोड़ रु की लागत से लगभग 1500 जर्जर पुलों को चरणबद्ध तरीके से प्रतिस्थापित / चौड़ा करके / मजबूत कर इन्हें उन्नत किया जायेगा।

T.8. उड़े देश का आम नागरिक (UDAN):नागर विमानन मंत्रालय

[UDE DESH KA AAM NAAGRIK(UDAN) : Ministry of Civil Aviation]

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• वर्तमान हवाई पट्टियों और विमानस्थलों के पुनरुत्थान के माध्यम से देश के सेवा रहित या कम विमानन सेवा प्रदान करने वाले स्थानों को कनेक्टिविटी प्रदान करना। • क्षेत्रीय विमानन बाजार को विकसित करना। • उडान को वहनीय बनाना।	• टियर-2 और टियर-3 शहर। • विमानन कम्पनियां	• UDAN उन उड़ानों पर लागू होगी जो 200 कि.मी. और 800 कि.मी. के बीच की दूरी तय करती है। इनमे पहाड़ी, सुदूर, द्वीपों और सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र भी सम्मिलित हैं। • इस योजना के अंतर्गत कुछ न्यूनतम UDAN सीटें सब्सिडी दरों पर आरक्षित की जायेंगी और कम दूरी की उड़ानों किए लिए किराये को कम किया जाएगा । • क्षेत्रीय कनेक्टिविटी विकसित करने के लिए UDAN बाजार पर आधारित एक अनूठा मॉडल है। • वायाबिलिटी गैप फंडिंग (VGF)- योजना के अंतर्गत VGF आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी निधि गठित की जायेगी ।

T.9. सूर्यमित्र :नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

(SURYAMITRA: Ministry of New and Renewable Energy)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
युवाओं के कौशल को विकसित करने के लिए भारत में बढ़ती हुई सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना, संचालन और रखरखाव में आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना।	अभ्यर्थी दसवी कक्षा तथा साथ ही ITI से इलेक्ट्रिशियन / वायरमैन आदि में उत्तीर्ण होने चाहिए। अभियांत्रिकी स्नातक और उच्च योग्यता वाले व्यक्ति आवेदन हेतु पात्र नहीं है।	• "सूर्यमित्र" एक घरेलू कार्यक्रम है जो 100% भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है और देश भर में NISE द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। • सूर्यमित्र पहल भारत के मेक इन इंडिया का ही एक भाग है। • सूर्यमित्र पाठ्यक्रम 600 घंटे (अर्थात 3 महीने) का कौशल विकास कार्यक्रम है, जिसे सौर ऊर्जा संयत्रों और उपकरणों के संचालन और रखरखाव के लिए कुशल श्रम शक्ति बनाने हेतु डिजाइन किया गया है • सूर्यमित्र कार्यक्रम को नए अभ्यर्थियों को सौर ऊर्जा क्षेत्र में उद्यमियों के रूप में तैयार करने के लिए भी डिजाइन किया गया है। • MNRE ने अगले तीन वर्षों में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कुशल श्रम शक्ति के रूप में 50,000 सूर्यमित्र तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

T.10. सम्पदा (कृषि-समुद्री प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण समूह के विकास हेतु योजना)- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

(SAMPADA : Scheme For Agro-Marine Processing And Development Of Agro-Processing Clusters)

उद्देश्य	लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• कृषि की पूरक व्यवस्था करना, प्रसंस्करण का आधुनिकीकरण और कृषि-अपशिष्ट को कम करना। • कृषि प्रसंस्करण समूहों के लिये मूलभूत संरचना का निर्माण, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज तथा श्रृंखला एवं भंडारण सुविधाओं का निर्माण।	• 20 लाख किसानों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ और • 2019-20 तक देश में 5,30,500 प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उत्पन्न करना।	यह खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की चल रही योजनाओं को सम्मिलित करने की अम्ब्रेला योजना है: • मेगा फ़ूड पार्क, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन सरंचना, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन सरंचना आदि जैसी योजनायें। समग्र खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में सुधार के लिए अवसंरचना के निर्माण हेतु: कृषि प्रसंस्करण समूह के लिए अवसंरचना , बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का निर्माण और खाद्य प्रसंस्करण एवं सरंक्षण क्षमताओं का निर्माण शीघ्र ही आरम्भ किया जाएगा। उपर्युक्त सभी SAMPDA के अंतर्गत शामिल होंगे ।

T.11. सागरमाला- पोत परिवहन मंत्रालय

(Sagarmala-Ministry of Shipping)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• **प्रमुख और गैर-प्रमुख बंदरगाहों की क्षमता को बढ़ाने और उन्हें आधुनिकीकरण** द्वारा कुशल बनाना; • बंदरगाहों से माल को शीघ्रता से और कम लागत में लाने एवं ले जाने के लिए बेहतर अवसरंचना प्रदान करना; • सागरमाला परियोजना का उद्देश्य इंटरमॉडल समाधानों के साथ विकास के नए क्षेत्रों तक पहुंच विकसित करना तथा उत्कृष्ट मॉडल को प्रोत्साहन देना और मुख्य आर्थिक केन्द्रों तक संपर्क में सुधार करना।	• बंदरगाह और बंदरगाह क्षेत्र में शामिल श्रमिक • CEZs के रूप में विकसित होने वाले तटीय क्षेत्रों की आबादी • परिवहन क्षेत्र के रोजगार • राष्ट्र (निर्यात में वृद्धि से देश की आर्थिक वृद्धि दर में सुधार होगा)	• सागरमाला पहल में विकास के तीन स्तंभों पर ध्यान दिया जाएगा • बंदरगाह आधारित विकास को समर्थन देना और उसे सक्षम बनाना • बंदरगाहों के आधुनिकीकरण सहित बुनियादी ढांचे का विस्तार और नए बंदरगाहों की स्थापना • बंदरगाहों से आतंरिक क्षेत्र के लिए और आतंरिक क्षेत्र से बंदरगाहों तक माल लाने के काम में दक्षता लाना। • सागरमाला के लिए **राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (NPP)** के साथ सम्पूर्ण तटरेखा के लिए एक समेकित योजना बनायी जा रही है जो संभावना युक्त भौगोलिक क्षेत्रों की पहचान करेगी जिसे तटीय आर्थिक क्षेत्र(CEZs) कहा जायेगा • NPP, योजनागत औद्योगिक कोरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम, औद्योगिक समूहों और सेज के साथ तालमेल एवं एकीकरण सुनिश्चित करेगा। • इसके अलावा यह योजना तटीय आर्थिक क्षेत्र (CEZ) में रहने वाली आबादी का सतत विकास सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। • राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति (NSAC) समग्र नीति मार्गदर्शन और उच्च स्तर के समन्वय के लिए बनायी गई है।

VISION IAS

इस से जुड़ा अन्य कार्यक्रम 'परियोजना सेतुसमुद्रम' है जिसका उद्देश्य मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से जोड़ना और इसके माध्यम से समुद्री व्यापार की सुविधा का विकास करना है।

T.12. प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY)- खान मंत्रालय

(Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana : PMKKKY- Ministry of Mines)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं

• खनन प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न विकास और कल्याणकारी कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना।
• खनन के दौरान और उसके पश्चात , खनन जिलों में पर्यावरण, स्वास्थ्य और लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम करना;
	• जिन क्षेत्रों में खुदाई, खनन, विस्फोट, अपशिष्ट निपटान जैसी प्रत्यक्ष गतिविधियाँ संचालित होती हैं, वहां निवास करने वाले तथा इन गतिविधियों से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने वाले लोग।	• खान एवं खनिज (विकास व नियमन) संशोधन आधिनियम, 2015 के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्मित डिस्ट्रिक्ट मिनिरल फाउंडेशन (DMFs) में एकत्र धन के उपयोग से खनन सम्बन्धी गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्रों और लोगों के कल्याण का प्रबंध करना।
		• उच्च प्राथमिकता क्षेत्र – PMKKKY की निधि का कम से कम 60% उपयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में करना होगा:
		  • पेय जल आपूर्ति
		  • पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियन्त्रण उपाय
		  • स्वास्थ्य सेवा
		  • शिक्षा
		  • महिलाओं और बच्चों का कल्याण
		  • कौशल विकास
		  • स्वच्छता
		• PMKKKY के तहत प्रदत्त राशि का 40% तक निम्नलिखित कार्यों के लिए उपयोग किया जाएगा:
		  • भौतिक संरचना
		  • सिंचाई
		  • ऊर्जा और वाटरशेड डेवलपमेंट

T.12.1. ताम्र (TAMRA)

ताम्र (TAMRA) एक वेब पोर्टल और मोबाइल एप है। इसे उत्खनन कार्य के लिए आवश्यक विभिन्न सांविधिक मंजूरियों की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए विकसित किया गया है।
ताम्र (TAMRA) में T का अर्थ है **ट्रांसपेरेंसी**, AM का अर्थ है **आक्सन मॉनिटरिंग** (नीलामी की निगरानी) और RA अक्षर का अर्थ **रिसोर्स आगमेंटेसन** (संसाधन संवर्धन) हैं। यह नीलाम किए जाने वाले ब्लॉक्स की जानकारी ब्लॉक, राज्य और खनिज के अनुसार प्रदर्शित करेगा।

T.13. पॉवरटेक्स- कपड़ा मंत्रालय

(Powertex- Ministry of Textiles)

उद्देश्य	लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
अवसंरचना और पावरलूम क्षेत्रक के आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना।	• पावरलूम क्षेत्रक • श्रम गहन कपड़ा क्षेत्रक में रोजगार • निर्यात	• इसके नौ प्रमुख घटक हैं, जैसे- सादे पॉवरलूमों का इन-सीटू अपग्रेडेशन, ग्रुप वर्कशेड योजना (GWS), धागा बैंक योजना, कॉमन सर्विस सेंटर टैक्सचर वेंचर कैपिटल फंड आदि।

T.14.यूनीफाइड पेमेंट इंटरफेस (UNIFIED PAYMENT INTERFACE) प्रोजेक्ट

Unified Payment Interface (UPI) Project

RBI द्वारा लांच (Launched by RBI)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• देश को और अधिक कैश लेश मॉडल की ओर ले जाना • वित्तीय समावेशन • नेक्स्ट जेनरेशन ऑनलाइन इमिडीऐट पेमेंट हेतु लाभ पहुँचाने वाली प्रवृत्ति जैसे स्मार्टफोन का बढ़ता प्रयोग, भारतीय भाषा इंटरफेस, तथा इंटरनेट और डेटा तक सार्वभौमिक पहुंच की सुविधा के लिए एक संरचना प्रदान करना।	• अर्थव्यवस्था - कर अपवंचन और कालाबाज़ारी को कम करना • आर्थिक संवृद्धि- मुद्रा प्रवाह में वृद्धि • भारतीय वित्तीय बाज़ार - अब अधिक परिपक्व, लचीला और अनुकूल बन गया है • ई-कॉमर्स • सामान्यत: उपभोक्ता	• नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया (NPCI) द्वारा विकसित • आसान प्रक्रिया- इसमे खाताधारक केवल "pay to" या "collect from" "payment address" (जैसे आधार नंबर, मोबाइल नंबर, RuPay कार्ड, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस आदि में से एक) से एक ही क्लिक के माध्यम से अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से धन प्रेषित करने या प्राप्त करने में सक्षम होगा। • नवाचारी • अपनाने में आसान • सुरक्षित - UPI में एक "सिम्पल क्लिक -टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिस्टम" है जिसका अर्थ है कि सिर्फ एक क्लिक से ही ट्रांजैक्शन का ऑथेंटिकेशन 2 स्तरों पर हो जाता है। उपयोगकर्ता को मोबाइल फ़ोन के साथ m-pin नामक मोबाइल पिन और प्रोवाइडर द्वारा प्रदत्त एक वर्चुअल ID की आवश्यकता होगी। एक क्लिक के साथ ही ट्रांजेक्शन की जाँच हो जाती है, यदि मोबाइल पिन वर्चुअल एड्रेस के साथ मेल खाता है तभी ट्रांसैक्शन हो सकता है । • कम ट्रांजैक्शन लागत - ऑथेंटिकेशन डिवाइस के रूप में मोबाइल फ़ोन , वर्चुअल पेमेंट एड्रेस का उपयोग तथा आधार (AADHAAR) जैसी थर्ड पार्टी पोर्टेबल ऑथेंटिकेशन स्कीम का उपयोग प्राप्त करने वाले तथा जारी करने वाले पक्ष दोनों की ओर से लागत को कम करेगा।

T.15. राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क – इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

(National Optical Fibre Network - Department of Electronics and IT)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• दो लाख से अधिक ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना। • प्रत्येक 2.5 लाख पंचायतों को 100 Mbps की एक न्यूनतम बैंडविड्थ प्रदान करना।	• भारत की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों के 600 मिलियन ग्रामीण नागरिकों को जोड़ेगा। • बेहतर शासन	• डिजिटल इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक पहल • एक डिजिटली सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था (नॉलेज इकोनामी) विकसित करना। • हर ग्राम पंचायत को 100 Mbps बैंडविड्थ देना, इससे ग्रामीण क्षेत्र में ई-गवर्नेंस, ई-स्वास्थ्य, ई-शिक्षा, ई-बैंकिंग, इंटरनेट का सार्वजनिक उपयोग, G2C, B2B, P2P, B2C, मौसम, कृषि और अन्य सेवाओं के वितरण को सुविधाजनक बनाना। • NOFN प्रोजेक्ट का वित्तपोषण यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फण्ड(USOF) द्वारा किया जाता है। रहा है • NOFN के अनुभवों पर आधारित अपेक्षाकृत नवीन, अपडेटेड

 ©Vision IAS

		और उन्नत संस्करण -भारतनेट को एक देशव्यापी ब्रॉडबैंड नेटवर्क के रूप में परिकल्पित किया गया था • भारतनेट सभी 250000 ग्राम पंचायतों को कनेक्ट करने के लिए 2011 में आरम्भ किये गए नेशनल ऑप्टिकल फाइबर मिशन(NOFN) का पुनर्संरचित संस्करण है। • इसका लक्ष्य 2017 तक भारत के सभी परिवारों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के सभी परिवारों को ब्रॉडबैंड(2-20 Mbps) के माध्यम कनेक्ट करना है। • भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (BBNL) की स्थापना दूरसंचार विभाग के तहत की गई है। BBNLकी स्थापना NOFN के संचालन, प्रबंधन और गठन हेतु एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के रूप में की गई है।

T.16. डिजिटल इंडिया- इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी विभाग

(Digital India- Department of Electronics and IT)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था (knowledge economy) में रूपांतरित करना।	• उन्नत आईटी अवसंरचना और सेवा सुपुर्दगी में सुधार के माध्यम से नागरिक	**डिजिटल भारत कार्यक्रम तीन मुख्य दृष्टिकोणों पर आधारित है:** • प्रत्येक नागरिक को आवश्यक सार्वजानिक सुविधा के रूप में (utility) डिजिटल सेवाओं संबंधी आधारभूत ढांचा प्रदान करना • मांग पर आधारित (on demand) शासन और सेवाएं • नागरिकों का डिजिटल रूप से सशक्तिकरण **इसका उद्देश्य विकास क्षेत्रों के उन नौ स्तंभों पर अधिक बल देना है जिन्हें इसकी आवश्यकता है, नामतः** • ब्रॉडबैंड हाई-वे, • सभी को मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करना • सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम • ई-शासन: प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार में सुधार करना। • ई-क्रान्ति सेवाओं का इलेक्ट्रॉनिक वितरण • सभी इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण की जानकारी • नौकरियों के लिए IT, और • अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम। **डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत आरंभ की गईं कुछ परियोजनाएं:** • भौतिक दस्तावेज़ के उपयोग को कम करने तथा पंजीकृत रिपोजिटरी के माध्यम से ई-शेयरिंग को संभव बनाने हेतु **डिजिटल लॉकर सिस्टम।** • "डिस्कस ,डू और डिसएमिनेट" दृष्टिकोण के माध्यम से शासन में नागरिकों को सहभागिता प्रदान करने हेतु MyGov.in एक ऑनलाइन मंच है।

		• **राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (National Scholarship Portal)** लाभार्थी को सत्यापन, मंजूरी और संवितरण(disbursal) हेतु आवेदन जमा करने की सुविधा देता है। • राष्ट्र के सभी 250,000 ग्राम पंचायतों को जोड़ने हेतु **भारत नेट कार्यक्रम** एक हाईस्पीड डिजिटल हाई-वे है।यह ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करने वाली विश्व की सबसे बड़ी ग्रामीण ब्रॉडबैंड परियोजना है।

T.17. जीवन प्रमाण- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

(Jeevan Pramaan-Department of Electronics and IT)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• पेंशन भोगियों को जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की ऑन-लाइन सुविधा उपलब्ध कराना • जीवन प्रमाण पत्र पाने की प्रक्रिया को आसान और बाधा रहित बनाना	• पेंशन भोगी	• आधार बॉयोमीट्रिक प्रमाणीकरण आधारित डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र। • इस डिजिटल प्रमाणन से पेंशनभोगियों के लिए यह अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी जिसमें उन्हें प्रत्येक वर्ष नवम्बर माह में स्वयं जाकर अपना जीवन प्रमाण पत्र पेश करना पड़ता है, ताकि उनके खाते में पेंशन की राशि आने का क्रम जारी रह सके। • डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने से पेंशन भुगतान की प्रामाणिकता भी सुनिश्चित होगी।

T.18. प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान - इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी विभाग

(Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan- **Department of Electronics and IT)**

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना।	भारत के नागरिक क्योंकि: • शैडो अर्थव्यवस्था (Shadow economy) को सीमित करता है तथा मनी लान्ड्रेरिंग को नियंत्रित करता है। • यह डिजिटल कॉमर्स हेतु समर्थ बनाता है। • अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करता है: धन के प्रवाह को बढ़ावा देता है।	ऐसा माना जा रहा है कि PMGDISHA विश्व का सबसे बड़े डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों में से एक सिद्ध होगा। इस योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2016-17 में 25 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जाएगा और वहीं वित्त वर्ष 2017-18 में 275 लाख; और वित्त वर्ष 2018-19 में 300 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। भौगोलिक पहुंच में एकरूपता सुनिश्चित करने हेतु 2,50,000 ग्राम पंचायतों में से प्रत्येक से औसतन 200 से 300 उम्मीदवारों का पंजीकरण अपेक्षित है।

T.19. सायबर स्वच्छता केन्द्र -इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी विभाग

(Cyber Swachhta Kendra- Department of Electronics and IT)

उद्देश्य	लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
भारत में बोटनेट संक्रमण का पता लगा कर एक सुरक्षित साइबर स्पेस सृजित करना तथा एक ऐसे सुरक्षित तथा वायरस मुक्त ढांचे का निर्माण करना जिसके माध्यम से एंड यूजर्स (अंतिम	• सम्पूर्ण डिजिटल अर्थव्यवस्था	• यह एक बोटनेट क्लीनिंग और मैलवेयर विश्लेषण केन्द्र है। • यह डिजिटल इंडिया पहल का हिस्सा है। • जो भी उपयोगकर्ता CSK वेबसाइट पर रजिस्टर करेंगे, उनके सिस्टम का, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम

VISION IAS

उपयोगकर्ता) को सिस्टम में और अधिक संक्रमणों से सुरक्षित किया जा सके।		(CERT-in) के द्वारा निशुल्क स्कैन किया जाएगा। • इस स्थिति में यह खतरे के बारे में सूचित करेगा, किसी भी संक्रमण से मुक्त करेगा तथा संक्रमण रोकने के लिए एंड यूजर (अंतिम उपयोगकर्ता) के सिस्टम को सुरक्षित करेगा। • यह केंद्र इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISPs) और उद्योगों के साथ समन्वय के माध्यम से कार्य करेंगे। • यह केन्द्र नागरिकों के बीच बाटनेट और मैलवेयर संक्रमण के बारे में जागरुकता बढ़ाने के साथ-साथ उनके डिवाइसेज़ को सुरक्षित करने के उपायों के संबंध में भी जानकारी बढ़ाएगा।

CSK के अंतर्गत प्रदत्त टूल्स	प्रकार्य
• M कवच	• स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए विशेष एंटी वायरस उपकरण।
• USB प्रतिरोध	• यह USB, मेमरी कार्ड, एक्सटर्नल (बाह्य) हार्ड डिस्क जैसे विभिन्न एक्सटर्नल स्टोरेज (बाह्य संग्रह) डिवाइस को साफ करने में मदद करने वाला एक USB रक्षक है।.
• AppSamvid	• यह डेस्कटॉप के लिए एक विस्लिंग टूल है।

T.20. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF)

(Backward Region Grant Fund)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• पिछड़े राज्यों में पहले से जारी विकास कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए आर्थिक संसाधन मुहैया कराकर क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करना, जिससे निम्न लक्ष्यों को प्राप्त किया जा स के - • मौजूदा विकास कार्यक्रमों और स्थानीय संरचना के बीच जटिल अंतर को समाप्त करना। • स्थानीय लोगों की जरूरतों को प्रतिबिम्बित करने के लिए उपयुक्त क्षमता निर्माण के साथ पंचायतों और नगर निकायों को सशक्त करना, सहभागी योजनाओं को आसान बनाना, निर्णय लेना, क्रियान्वयन और निगरानी करना।	• पिछड़े गाँव • पंचायती राज संस्थान	• इसके तहत योजना को ऊपर से नीचे की बजाए जमीनी स्तर से ऊपर की ओर बढ़ने की पद्धति पर तैयार किया किया गया है। • इसके दिशा-निर्देश ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों, शहरी क्षेत्रों में नगर-पालिका तथा जिला स्तर पर जिला योजना समितियों को योजना बनाने और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु केन्द्रीय भूमिका प्रदान करते हैं। • पंचायती राज मंत्रालय द्वारा उस योजना के लिए नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग फ्रेमवर्क (NCBF) को अपनाया गया है जिस योजना में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा अधिकारियों के क्षमता निर्माण के साथ ही साथ ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र के सशक्तिकरण की परिकल्पना की जाती है। • 2015-16 के बाद पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि को किसी भी अतिरिक्त केंद्रीय सहयोग से पृथक (डीलिंक) कर दिया गया है। BRGF को भी केंद्र के बजटीय सहायता से पृथक कर दिया गया है।

T.21. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना -पंचायती राज्य मंत्रालय

(Rashtriya Gram Swaraj Yojana- Ministry of Panchayati Raj)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।	• गैर-BRGF जिले	• सहभागी योजना की ओर बढ़ना, जमीनी स्तर से शीर्ष स्तर तक सहभागी प्रयासों को बढ़ावा देना। • क्षमता निर्माण प्रक्रिया को अधिक सशक्त करने के साथ पंचायत स्तर के शासन को सशक्त बनाना।

T.22. विभिन्न राज्यों की महत्वपूर्ण योजनाएं

(Important Schemes of Various States)

राज्य	योजना	मुख्य विशेषताएं
छत्तीसगढ़	सौर सुजला योजना	मार्च, 2019 तक किसानों को 3HP और HP क्षमता वाले सौर ऊर्जा चालित सिंचाई पंप वितरित किए जाएंगे।
कर्नाटक	कृषि भाग्य योजना	किसानों को जल संरक्षण के उपाय अपनाने में सहायता करना, जैसे अपनी कृषि भूमि में तालाबों का निर्माण करना। इसके अतिरिक्त सूखे के दौरान खेत में लगी फसलों की सिंचाई में उपयोग करने हेतु वर्षा जल की प्रत्येक बूंद को सग्रहित करना।
महाराष्ट्र	उन्नत खेती-समृद्ध किसान योजना	फसल विकास के लिए क्षेत्र-वार योजना का निर्माण। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यवाही की जाएगी: • राज्य में प्रमुख फसलों की उत्पादन में वृद्धि प्रमुख फसलों का अर्थ उन फसलों से है जो अधिकतम पैदावार देगी। • फसलों का विविधीकरण। • विपणन तकनीकों के संबंध में किसान को जागरूक करना।
तेलंगाना	मिशन काकतिया	वर्षा जल संचयन और तालाबों का पुनरोद्धार

Copyright © by Vision IAS
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.